Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का २५ वां दिवस [संख्या १९

वृहस्पतिवार, दिनांक १२ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. २.३३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, पंचायत, राजस्व, विकास, योजना, उद्योग, सामान्य प्रशासन तथा कोलोनाइजेशन–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री रामकिशन ।

शोधग्रन्थ का प्राइमरी स्कूलों के पुस्तकालय हेतु स्वीकार किया जाना

६६९. श्री रामकिशन (बैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डॉ. शम्भूदयाल शर्मा द्वारा लिखित "तुलसी का शिक्षा दर्शन" (शोध ग्रन्थ) प्राइमरी स्कूलों के पुस्तकालय हेतु स्वीकार किया गया है ?

(२) इसकी एक प्रति का मूल्य क्या है ?

(३) क्या इस शोध ग्रन्थ की कीमत तथा प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों के उपयोग के लिये सरकार इसे उचित समझती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस शोध ग्रन्थ की बिक्री का एकाधिकार एक ही विक्रेता को दिया गया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजन नाथ आचार्य) : (१) डॉ. शम्भूदयाल शर्मा नहीं डॉ. शम्भूलाल शर्मा । डॉ. शम्भूलाल शर्मा द्वारा लिखित 'तुलसी का शिक्षा दर्शन' शोध ग्रन्थ को इस विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूलों के पुस्तकालयों हेतु स्वीकार नहीं किया गया है ।

(२) इसकी एक प्रति का मूल्य ७) रुपये ५० नये पैसे हैं ।

(३) जब इस शोध ग्रन्थ को प्राथमिक विद्यालयों के लिये इस विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तो प्राथमिक शालाओं के लिये इसकी उपयोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) इस प्रश्न का इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह समाज शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत है ?

Page No 2

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है ।

श्री रामकिशन : यह जो ग्रन्थ है, आपने जैसा कहा, उसकी प्राथमिक शालाओं के लिये उपयोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता । जब इसकी कीमत ७ रुपये ५० नये पैसे है तो प्राथमिक शालाओं के छात्रों के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या उत्तर है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि प्राथमिक शालाओं के लिए स्वीकृत नहीं है और मैंने पढ़ा नहीं है ।

श्री भीमसेन : प्राथमिक शालाओं में यह किताब खरीदी गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी जानकारी में नहीं है और मैंने इन्कारी में उत्तर दिया है ।

श्री रामकिशन : आप नाम के लिए कह कर बच रहे हैं कि जो नाम दिया गया है वह नहीं है, यह ग्रन्थ है डॉक्टर शम्भूलाल के नाम का ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जो पहले नाम था उसको उलटकर बताया है कि डॉ. शम्भूदयाल नहीं डॉक्टर शम्भूलाल हैं । वैसे मैं टाल सकता था इस प्रश्न को ।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी ।

कच्चे नमक का निर्यात

६७० **श्री हनुमानसिंह चौधरी** : (नांवा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के यह बात कभी ध्यान में आई है कि कुचामन सरगोठ खारडे में जो नमक तैयार कर अन्यत्र भेजा जा रहा है उसका सरकार की ओर से कोई केमिकल एक्ज़ामिनेशन की व्यवस्था न होने से पार्टीज़ कच्चा नमक भेज रही है, जो स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है ?

(२) आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य के लिये क्या योजना है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि नमक तैयार करने पर राज्य सरकार द्वारा रासायनिक विश्लेषण होने पर ही तैयार किया हुआ नमक बेचा जा सके ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसार): क्या यह नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही है कि इस कच्चे नमक के खाने से स्किन डिज़ीज़ होती है; क्या यह सरकार के ध्यान में आया है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं नहीं कह सकता कि नमक के खाने से डिज़ीज़ हो जाती है । भारत सरकार ने नमक का कोई स्पेसिफिकेशन तय नहीं किया है कि कितना पर्सेन्टेज कौनसा केमिकल होने से नमक शुद्ध माना जायगा ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह

Page No 3

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

राज्य सरकार की व्यवस्था है कि कच्चा नमक बाहर भेजा जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकार के स्पेसिफिकेशन तय करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : न राज्य सरकार ने व्यवस्था की है और न भारत सरकार कोई व्यवस्था कर रही है और कच्चा नमक बाहर भेजा जा रहा है जिससे कई तरह की बीमारी फैल रही हैं । मैंने लास्ट सैशन में एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन दिया था लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है ।

श्री चन्दनमल वैद : जो फैक्ट्स हैं, मैंने पेश कर दिये ।

श्री भीमसेन : स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । इस कच्चे नमक से स्वास्थ्य पर उल्टा असर पड़ता है तो राज्य सरकार क्या एक्शन लेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछें तो अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

सरकारी खजाने में पंचायतों का जमा रुपया

६७१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूतपूर्व जोधपुर रियासत के समय से पंचायतों का कितना रुपया सरकारी खजाने में जमा है व किन किन पंचायतों का व कितना कितना ?

(२) राज्य सरकार ने उक्त रुपये को पंचायतों को हस्तान्तरित करने हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उक्त धनराशि को खाते से निकालने के अधिकार दिये हुए हैं ?

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : जो सूची दी है यह पंचायतवार सूची नहीं है, यह तो परगनावार सूची है । क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतवार कितना कितना रुपया जमा है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह अलग से प्रश्न है । मेरे पास सूची है नहीं कि मैं पंचायतवाइज़ आंकड़े बता सकूं ।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था, वह इसलिए पूछा था कि सरकार के पास रेकॉर्ड तक नहीं है । ये कहते हैं कि धनराशि को खाते से निकालने का अधिकार दिया गया है । पंचायतों का तहसील में चाहे एक है, चाहे सौ है उसको नहीं निकाल सकते । क्या आपने कोई अधिकार दिया है या कोई सक्यूंलर निकाला है जिसके अनुसार पंचायत सरपंचों को खाते से धनराशि निकालने का अधिकार दिया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : १२

(श्री भवानीशंकर नंदवाना)

जुलाई १९५६ का सक्यूंलर है और नम्बर है बी २१,००४।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह पुरानी पंचायतों के लिए है लेकिन नई पंचायतों के सरपंच किस तरह हां कर सकते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह क्लेक्टर से निवेदन करें, आवश्यक व्यवस्था कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

ईडवा में भूमि का अलॉटमेंट

६७२. **श्रीमती गौरी पूनिया**(डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कलेक्टर नागौर ने २७–७–६२ को तहसील डेगाना के ग्राम ईड़वा में खसरा नं० ३३६ गुमानसिंह पुत्र भूरसिंह को एलॉट की है ?

(२) डेगाना तहसील की लैंड अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है या नहीं ?

(३) खसरा नं ३३६ रेकॉर्ड में अंगोर दर्ज है या काबिलकाश्त ?

उप मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) तहसील डेगाना में अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है।

(३) रेकॉर्ड में खसरा नं ३३६ में अ.गोर दर्ज है, उसका पानी किसी नाडी में नहीं जाता है।

श्रीमती गौरी पूनिया : अगर रेकार्ड में आगौर दर्ज है तो गुमानसिंह किसकी आज्ञा से काश्त करता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इसमें ३३ बीघा १४ बिस्वा जमीन ऐसी है जो नाडी का रकबा है, नाडी का पानी जाता है, वह छोड़ी गई है बाकी जमीन गुमानसिंह को अलॉट की गई है; जिसके सम्बन्ध में जिलाधीश की आज्ञा के विरुद्ध अपीलेट ऑथोरिटी को अपील चल रही है। मामला सब–जुडिस है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यह सही है कि लैंड अलॉटमेंट रूल्स के तहत कलेक्टर को डाइरेक्ट अलॉट करने का अधिकार नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि अपील चल रही है।

श्री अध्यक्ष : किसने की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एग्रीव्ड पार्टी ने।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि आगोर की भूमि कानूनन अलॉट नहीं की जा सकती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून की स्थिति स्पष्ट है, इसलिए अपील चल रही है।

श्री तेजाराम गहलोत : कलेक्टर को अधिकार नहीं, लेकिन अधिकार के विरुद्ध गैर कानूनी अलॉटमेंट किया है उस पर क्या एक्शन लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून की पोज़ीशन क्या है, वह बताने की आवश्यकता

Page No 5

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं हैं। मैंने कहा कि उन्होंने अलॉट की है वह जायज है या नाजायज है, इस सम्बन्ध में अपीलेट ऑथोरिटी के पास अपील की है।

श्रीमती गौरी पूनिया : जो नाजायज कब्जा है उसको रेगुलेराइज क्यों किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किया है, यह बात सही है और अपील हुई है, यह बात सही है। अपील इसलिए हुई है कि कलेक्टर की आज्ञा में कुछ न कुछ दोष है।

श्रीमती गौरी पूनिया : क्या यह मंत्री महोदय की जानकारी में है कि गुमान सिंह कलेक्टर का ड्राइवर है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मालूम नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है जिसने गलती की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला सब-जुडिस है। उसने गलत किया है या सही किया है, यह अदालत के निर्णय के बाद मालूम हो सकता है ?

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने राज्य सरकार के सक्यूंलर के मुताबिक रेगुलराइज किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा मेरी सूचना के अनुसार पाया जाता है कि सक्यूंलर के मुताबिक रेगुलेराइज़ करने की कार्यवाही की गई है।

श्री तेजाराम गहलोत : कलेक्टर ने यह अपने ट्रान्सफर के कितने दिन पहले किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तिथि का मुझे पता नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : तारीख आपके पास होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि कलेक्टर का ट्रान्सफर कब हुआ और कितने पहले कार्यवाही की गई, इसका मुझे पता नहीं।

प्रश्न संख्या ६७३

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

६७४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालय, फागी, जिला जयपुर में सन् १९५९-६०, ६०-६१ व ६१-६२ में कितने अध्यापकों की अस्थायी नियुक्त की गई ? उनके नाम व नियुक्ति तिथि तथा शैक्षणिक योग्यता का पूर्ण विवरण दें।

(२) क्या यह सही है कि सन् १९५९-६० से अभी तक के कार्यकाल में उक्त विद्यालय के एक अस्थायी अध्यापक को कई बार फागी से अलवर स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो किस अध्यापक को कितनी बार और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि इस विद्यालय के उक्त अध्यापक को, जिसे अनेक बार स्थाना-

(श्री मुरलीधर व्यास)

न्तरित किया गया है, उसे उसके राजकीय सेवा काल में दो बार परीक्षा में बैठने की अनुमति विभाग द्वारा दे दी गई हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अधीन ?

(४) अध्यापकों की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के क्या नियम हैं ? क्या अस्थायी तौर पर नियुक्त अध्यापक भी परीक्षा में बैठ सकते हैं ? यदि हां, तो पिछले ५ वर्षों में शिक्षा विभागों द्वारा कितने अस्थायी अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है ? नाम, नियुक्ति स्थान, परीक्षा जिसमें वे बैठे हैं का पूर्ण विवरण देने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। इस अध्यापक (राजेन्द्र कुमार) का न तो अनेक बार स्थानान्तरण किया और न उसको कोई लिखित नियमित अनुमति परीक्षा में बैठने को दी गई।

(४) परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। अस्थायी अध्यापक को उसी समय अनुमति दी जाती है जबकि उसे बराबर २ वर्ष सरकारी सेवा में हो गये हों। विशेष तौर पर अस्थायी अध्यापक को नियमानुसार शिक्षा अध्यक्ष की आज्ञा से अनुमति दी जा सकती है।

(५) जिन अस्थायी अध्यापकों को गत ५ वर्षों में अनुमति दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास ; नम्बर (३) के उत्तर में आपने बताया कि कोई लिखित में नहीं दी गई , लिखित में नहीं तो जुबानी दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: किसी प्रकार से परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें लिखित शब्द लिखा हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: हमेशा शिक्षा विभाग लिखित में काम करता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने (४) के उत्तर में कहा है कि टेम्परेरी को, जिनकी सेवाएं दो वर्ष की हो गई हो उनको दिया गया है। आपके इस सम्बन्ध में बने गये नियमों के नियम ७ में यह साफ दिया है कि परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जावेगी, उसके बावजूद भी आपने ७० नाम दिये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ विषय होते हैं जिसके लिये कमी होती है उन विषयों में जिनकी योग्यता अच्छी होती है और जिनकी दो साल की सेवाकाल की अवधि पूरी हो जाती है और अस्थाई होते हैं तो विषय परिस्थितियों में उनको इजाजत दे दी जाती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसे कौनसे विषय हैं जिनमें टीचर्स की कमी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अंग्रेजी एवं साइन्स का है।

Page No 7

श्री भीमसेन : क्या ये जो पर्मिशन्स दी गई हैं वे सब उन्हीं लोगों को दी गई हैं जो अंग्रेजी और साइन्स के लोग थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री रामकिशन (वैर) : ज्यादातर हिन्दी और दूसरे विषयों में इजाजत दी गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि विशेष योग्यता वालों को इजाजत देते समय ध्यान में रखा जाता है।

श्री भीमसेन : विशेष योग्यता का निर्णय कैसे किया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हैडमास्टर निर्णय लेता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस समय परमानेन्ट टीचर्स आगे स्टडी के लिये पर्मिशन मांगते हैं तो आप उनको पर्मिशन नहीं देते और उसका नतीजा यह होता है कि आगे के चान्सेज परमानेन्ट के मारे जाते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था आपके विभाग में क्यों की गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम हर साल २० पर्सेन्ट लोगों को अनुमति देते हैं। वह इसलिये कि अगर इससे ज्यादा लोगों को पर्मिशन दी गई हो तो सारे के सारे लोग चले जावेंगे और स्कूलों में टीचर्स नहीं रहेंगे, सभी इम्तिहान देने में लग जायेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : आप नियम की बात समझावें ? क्या यह नियम है कि २० पर्सेन्ट में टेम्परेरी टीचर्स को ही परमिशन दी जाए और परमानेन्ट को नहीं दी जाए ऐसा रखा गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २० पर्सेन्ट का इजाजत देने का प्रत्येक विद्यालय के लिए रखा इसमें कभी २ अस्थाई परमानेन्ट को भी रियायत कर दी जाती है। अन्यथा उनको कोई हक नहीं है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : परमानेन्ट के रहते हुए टेम्परेरी को आपने मौका दिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे रूल्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मगर होता जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा कहा कि कभी कभी उनकी विशेष योग्यता को देखते हुए करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जितनी भी पर्मिशन्स डाइरेक्टर की इजाजत से दी जाती हैं, क्या जितनी भी टेम्परेरी की पर्मिशन दी गई सब डाइरेक्टर की इजाजत से दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सब सूची को तो नहीं देख पाया लेकिन हमारे नीचे के अधिकारी ऐसी स्थिति में देखते हैं कि जिनकी सेवा दो साल से ज्यादा हो उनको इजाजत दे दी जाती है और इससे कम होगी तो विशेष मामलों में डाइरेक्टर की इजाजत ले ली जाती है ...

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें यह स्पष्ट नियम है कि डाइरेक्टर की इजाजत से दिया जाता है। क्या इसके लिये डाइरेक्टर से इजाजत ली गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह अर्ज किया कि सभी शिक्षकों के संबन्ध में मैंने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जानकारी नहीं की है। अगर आपकी ऐसी जिज्ञासा है तो मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। यहां पर इस समय बताना मेरे लिये संभव नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह डाइरेक्टर की मंजूरी से पर्मिशन दी गई, यह बात मैं पूछ रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यही व्यवस्था आपको दो दफे प्रकट की है और कहा है कि अगर आपको ऐसी जिज्ञासा है तो जानकारी करके बता दूंगा। यह इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि जिसमें कोई डॉक्युमेन्ट्स इधर से उधर चले जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : मानना तो यही चाहिये कि नियमानुसार हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह दें कि जानकारी कर ली है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कह कैसे दूं। आप कहलवाना चाहते हैं लेकिन मैं यह कह कैसे दूं।

प्रश्न संख्या ६७५

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

राजस्थान में नये स्कूल

६७६. श्री श्योपतिसिंह (हनुमानगढ़) [श्री कुमारानन्द (ब्यावर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में १९६०-६१, ६१-६२ व ६२-६३ में कुल कितने मिडिल स्कूल हाई स्कूल व हायर सैकन्डरी स्कूल खोले गए हैं? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए बहुत ही कम स्कूल खोले गए हैं?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार अगले वर्ष गंगानगर जिले में अधिक स्कूल खोलने का विचार रखती है?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान में १९६०-६१ व ६२-६३ में जो स्कूल खोले गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कुमारानन्द : क्या आप हायर सैकन्डरी स्कूल कहां कहां पर खुले हुए हुए हैं, उनके नाम बता सकते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रश्न संख्या ६७७

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

शिवगंज हाई स्कूल की शिकायत

६७८. श्री भैरोसिंह, (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शिवगंज हाई स्कूल में १९६२ की परीक्षा में कुछ अध्यापकों द्वारा छात्रों को पास करवाने का ठेका लिया जाकर परीक्षा की कॉपियों के कागजों में प्रश्न-पत्रों के सवालों का उत्तर देकर परीक्षा के समय लड़कों को दिये जाने की शिकायत शिक्षा विभाग को मिली है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं ! परीक्षा की कापियों में प्रश्न पत्रों के सवालों का उत्तर देकर परीक्षा के समय लड़कों को दिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई परन्तु यह शिकायत निराधार प्रमाणित हुई।

श्री भैरोसिंह : यह जांच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के द्वारा ।

श्री भैरोसिंह : क्या प्रश्न-पत्र पर लड़कों के नोट लिखे हुए कागज पकड़े गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे नहीं पकड़े गये।

श्री भैरोसिंह : किस प्रकार से पकड़े गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसी प्रकार से भी नहीं पकड़े गये थे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सांचोर पंचायत समिति में लघु सिंचाई योजनाएं

६७९. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है जिला परिषद् जालौर की पिछली बैठक में जब ९५,०००) ९० लघु सिंचाई योजनाओं के लिए वितरित किया गया तो सांचोर पंचायत समिति से कोई भी लघु सिंचाई योजना सर्वे होकर नहीं आई थी, इसलिये इस पंचायत समिति में उक्त रकम में से कुछ भी सैंक्शन नहीं की जा सकी ? अगर हां, तो पंचायत समिति सांचोर से कोई भी लघु सिंचाई योजना सर्वे होकर न आने के क्या कारण थे ?

(२) पंचायत समिति सांचोर में लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे कब तक होने की सम्भावना है ? क्या इस ओर सिंचाई विभाग द्वारा लापरवाही नहीं बरती जा रही है ? क्या भविष्य में सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी ?

उप-मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां । कोई रकम नहीं दी गई क्योंकि वहां लघु सिंचाई के लिए बांध आदि के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सर्वे ही नहीं किया गया । इसका क्या कारण था और यह डिले क्यों की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वहां लघु सिंचाई के लिए कोई जगह नहीं है जहां पर कोई काम किया जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रुपया डिस्ट्रिब्यूट पहले कर दिया गया था और बाद में पास किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिला परिषद और पंचायत समिति दे सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इसके लिए कोई आदेश दिये गये हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८०

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

नापासर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

६८१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नापासर के लिये जन-सहयोग की राशि दस हजार रुपये सरकार को २-३ वर्ष पूर्व दी जा चुकी है? अगर हां, तो नापासर में उक्त चिकित्सा केन्द्र के वर्तमान भवन में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन, स्टाफ क्वार्टर्स एवं अन्य निर्माण कार्य क्यों नहीं करा रही है ?

(२) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हेतु कितना कितना आवर्तक तथा अनावर्तक खर्चा मिलता है ? नापासर केन्द्र को अब तक यह खर्चा क्यों नहीं मिला है ?

योजना मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हां। यह सही है प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नापासर के मौजूदा भवन में जरूरी रद्दो बदल के लिये रू० २१,०००) सरकार ने मंजूर किया है और चीफ इन्जीनियर, पी. डब्लू.डी. ने एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, बीकानेर को इस इमारत को बनाने का काम चालू करने का हुक्म दे दिया है।

(२) प्राइमरी हैल्थ सेंटर को इमारत के लिये भारत सरकार राज्य सरकार को ७५ पर्सेन्ट सहायता देती है यूनीसेफ ऐसे सेन्टरों को जब कि क्वालिफाइड हो जाते हैं तो एक जीप, कुछ सामान और दवाइयां देती हैं। नापासर सेन्टर ११ जुलाई, १९६३ को क्वालिफाइड हो चुका है। अब इसके लिये जीप की सप्लाई जल्द होने वाली है और दूसरा जरूरी सामान और दवाइयां भी जल्द मिल जाएंगी।

श्री भीमसेन : चीफ इन्जीनियर ने एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, बीकानेर को इस प्राइमरी चिकित्सा केन्द्र की इस इमारत को बनाने का काम चालू करने का हुक्म कब दिया ?

श्री बरकतुल्लाखां : ३०-५-६३ को।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

भाखरा केनाल क्षेत्र में भूमि-हीन पुरुषार्थियों को अलाटमेंट

६८२. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भरतपुर जिले की कामां, डीग, नगर तहसीलों के भूमिहीन पुरुषार्थियों ने भाखरा केनाल क्षेत्र में भूमि अलाॅट किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं ?

(२) यदि हां, तो प्रार्थना-पत्रों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को भूमि एलाॅट की गई है ?

(३) यदि अभी तक भूमि अलाॅट नहीं की गई है तो कब तक अलाॅट कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भरतपुर जिले की कामां, डीग, नगर तहसीलों के किसी भी पुरुषार्थी से भाखरा क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६८३।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

चम्बल नदी के कटाव से खतरा

६८४. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील में चम्बल नदी के किनारे पर बसे हुए ग्राम बीरज, नोताड़ा, नीमोठा, रोटेवा, बालीथा, घाटाका, वाराण, भरख्या, बगली बहडावली, गवाटा, मारखींद, पीपल्दा गांवों में नदी के कटाव के कारण बड़े बड़े खाल दरड़े हो गये हैं एवं आबादी के समीप कटाव होने से गांव की आबादी को खतरा पैदा हो गया है ?

(२) क्या उक्त ग्रामों की जनता ने राज्य सरकार, कलेक्टर, बूंदी पंचायत समिति व जिला परिषद से उक्त आबादी को चौड़े मैदान में व खेतों में बसाने की प्रार्थना की है ?

(३) क्या सरकार नदी व बाढ़ के कटाव को रोकने के लिये प्रयत्नशील है एवं विशेषज्ञों के द्वारा शीघ्र जांच करवाकर निर्णय लिये जाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री,राजस्व(श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां ! वे ग्राम चम्बल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं लेकिन अब चम्बल बांध बंध जाने से नदी चम्बल का पानी उतना नहीं जा पाता जिससे खाल दरड़े अब बढ़ने पावें। सिवाय एक ग्राम पीपल्दा को छोड़कर अन्य ग्रामों को अब कोई खतरा नहीं है।

(२) सदस्य महोदय विधानसभा द्वारा एक प्रार्थनापत्र कलेक्टर कार्यालय में भेजा गया था जिसमें उक्त ग्रामों का जिक्र था कि ग्रामवासी समतल मैदान में अपने मकान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

निर्माण करना चाहते हैं जिसकी जांच के सब लिये डिवीजनल ऑफिसर को लिखा गया है।

(३) जी हां। इस बारे में सोइल कन्ज़र्वेशन वालों से दर्यापत किया गया है। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने स्वीकार किया है कि पीपल्दा में कटाव से खतरे की संभावना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि चारों तरफ इतने दरड़े और खालें हो गई हैं कि वहां बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है, वह एक टापू की तरह बसा हुआ है। इसलिये आपको जो सूचना मिली है वह गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि पीपल्दा गांव को खतरा है। दूसरे गांवों की भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार आपके बताने के माफिक खतरा नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज करूं कि जितने गांवों के नाम दिये हैं उन सबको बराबर खतरा है, मैं देखकर आया हूं। अगर आपको सही जानकारी करनी है तो आप किसी अधिकारी को मौके पर भेजें, मैं साथ जाने को तैयार हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि खतरा है तो फिर जानकारी प्राप्त करली जायगी।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : जिन गांवों को खतरा है उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा होगा तो जांच करा ली जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पीपल्दा के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पीपल्दा को दूसरी जगह बसाने की कार्यवाही जारी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कब से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब से आपने प्रार्थना-पत्र दिया। रिपोर्ट मांगी गई है सोइल कन्ज़र्वेशन की। कलेक्टर ने एस. डी. ओ. को भेजा है, बरसात के दिनों में ही निरीक्षण किया जाय, जिससे कि खतरे का पता लग सके, बरसात बरस रही है, उसके निरीक्षण के बाद रिपोर्ट पेश करने का है। जिस स्थान पर बसाने के लिए दरख्वास्त दी है उस सम्बन्ध में जांच करके बसाने की कार्यवाही की जायगी। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जिस जगह के लिए आपने प्रार्थना-पत्र में लिखा वह स्थान भी ऐसा नहीं है जो उनको हमेशा कटाव से बचा सके।

प्रश्न संख्या ६८५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

कोटा कोलोनाइजेशन विभाग के कर्मचारी

६८६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या मंत्री, कोलोनाइजेशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(१) कोटा से कोलोनाइजेशन विभाग कब समाप्त किया गया तथा उसमें कितने गजटेड, कितने नॉन गजेटेड व कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे ?

(२) उक्त कर्मचारियों को किस प्रकार उक्त विभाग की समाप्ति पर एब्जोर्ब किया गया ?

उप-मंत्री, कोलोनाइजेशन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कोलोनाइजेशन विभाग पूर्णतया १-५-६३ को समाप्त किया गया था, कोलोनाइजेशन विभाग में उसके समाप्त होने से पूर्व निम्न स्टाफ था:—

गजटेड स्टाफ ७

नोन गजटेड स्टाफ ११६

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ३०

(२) (१) डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन का परिवर्तन सेक्रेटरी, राजस्थान केनाल बोर्ड, जयपुर में हो चुका है ।

(२) डिप्टी डाइरेक्टर का परिवर्तन असिस्टेन्ट कलेक्टर जमींदारी अबोलिशन के स्थान पर अलवर हो चुका है ।

(३) बाकी गजटेड कर्मचारियो को राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा एब्जोर्ब किया जा चुका है व नोन गजटेड व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अलग अलग विभागों में एब्जोर्ब किया गया है ।

अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद !

राजस्थान स्टेट होटल के कर्मचारी

६८७. **श्री गोकलप्रसाद शर्मा** (मांडल) [श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) द्वारा पूछा गया] : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के कर्मचारियों को साल भर में कितनी नेशनल होलीडेज एवं कितनी फेस्टीवल होलीडेज दी जाती हैं ?

(२) क्या राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के कर्मचारियों से ओवर टाइम लेने पर भी उन्हें श्रम नियमों के अनुसार दूना वेतन नहीं दिया जाता है ?

(३) राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर में क्यों नहीं श्रम नियमों को मान्यता दी जाती है जब कि होटल एक निर्विवाद औद्योगिक एस्टेब्लिशमेंट है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राजस्थान सरकार से निश्चित की हुई फेस्टिवल तथा नेशनल होलीडेज स्टेट होटल के कर्मचारियों को दी जाती हैं । कर्मचारियों की सुविधानुमार जिस जिस नेशनल या फेस्टीवल होलीडे पर जो कार्य पर अपनी स्वेच्छा से आना स्वीकार करते हैं उनको उसके बजाय अन्य दिन जिसमें कर्मचारियों को सुभीता हो अवकाश दिया जा कर उसकी पूर्ति की जाती है ।

(२) राजस्थान स्टेट होटल के कर्मचारियों से ओवर टाइम ही नहीं लिया जाता, इसलिये दूना वेतन देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(३) स्टेट होटल का शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एकट की दी हुई परि-

(श्री परसराम मदेरणा)

भाषा के अन्तर्गत आता है और उक्त एक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत स्टेट होटल को उसके प्रावधानों से मुक्त किया हुआ है और जहां तक लेबर लॉज का प्रश्न है उनका पालन किया जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : प्रश्न यह है कि नेशनल और फेस्टिवल होलीडेज़ उनको रिफ्यूज़ कर दी जाती हैं, ऐसी कोई शिकायत आई है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले शिकायत जरूर थी, पर अब उसका ऑल्टर्नेटिव अरेंजमेंट कर दिया है। यहां सभी कोम्युनिटी के कर्मचारी हैं, जिनकी फेस्टिवल और नेशनल होलीडे होती है वे ले लेते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट के बाद अब कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : गवर्नमेंट होस्टल में श्रमिकों की संख्या कितनी है और उनकी तनख्वाह क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : संख्या तो, प्रश्न पूछ लीजिये मैं बता दूंगा।

श्री कुमारानन्द : Does the Government know the number of the labourers in the Government hostel and what are their monthly wages ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न गवर्नमेंट होस्टल के बारे में नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने यह कहा कि ओवर टाइम नहीं लिया जाता है तो क्या आप बतायेंगे कि उन लोगों से कितने घंटे काम लिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : ८ घंटे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ८ घंटे से ज्यादा काम लिया जाय तो क्या ओवर टाइम देते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया कि लिया ही नहीं जाता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या स्टेट होटल में डिनर वगैरह कभी नहीं हुए ?

श्री परसराम मदेरणा : डिनर तो होते रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : डिनर तो शाम को होते हैं, दिन को होते नहीं; फिर आप कैसे कहते हैं कि ओवर टाइम नहीं लेते ?

श्री परसराम मदेरणा : वहां के कर्मचारी दो शिफ्ट में काम करते हैं कुछ मोर्निंग में कुछ शाम को। जब देख लेते हैं कि डिनर है तो उन लोगों को कह दिया जाता है, वे लेट आते हैं, बाद में आते हैं। कुल मिला कर ८ घंटे से ज्यादा काम नहीं लेते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वहां पर एक्स्ट्राज के बिल का पेमेंट होता है; क्या वहां नौकरों की जांच करेंगे कि एक्स्ट्राज का पेमेंट होता है ? लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह नौकरी करते हैं, यहां आते हैं या नहीं आते हैं, फिर भी उनके नाम में पेमेंट कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री परसराम मदेरणा : यह शिकायत आई नहीं।

Page No 15

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

धार्मिक जागीरें

६८८. श्री गंगासिंह (जायल) : Will the Revenue Minister reply :—

(a) How many religious Jagirs are there in Nagaur District the income of which are above Rs. 1000/—.

(b) In how many cases of such Jagirs the Final award has been given ?

(c) In how many cases of such Jagirs perpetuity in gratuity has been given to Pujaris ?

(d) Is it a fact that in the case of religious Jagirs not a single instrument of perpetuity in gratuity has been awarded so far in Nagaur District ?

(e) If it is true, reasons for the same may be stated ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद-लड्ढा): (a) Eight.

(b) Six.

(c) Nil.

(d) Yes.

(e) Certificates of payment of amunity in Parpetuity have been Sent by the Collector Nagaur to Commissioner Devasthan. Commissioner Devasthan is taking necessary action to issue form 12 (b) to Collector Nagaur. On receipt of the same the Collector will take necessary action for payment.

श्री गंगासिंह : क्या यह सत्य है कि करीब १२ महीने हो गये, फाइनल अवार्ड नहीं मिला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १२ महीने दो अवार्ड को हुए हैं, बाकी ६२ के नवम्बर महीने में हो गये।

श्री गंगासिंह : इन दो में इतना अर्सा लगने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Matters will now be expedited

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

मऊ के गर्ल्स स्कूल की योजना

६८६. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम मऊ, इब्राहिमपुर में गर्ल्स स्कूल खोलने की सरकार ने योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो वह योजना कब आरम्भ होगी ? और यदि नहीं बनाई है तो कब तक बनाई जावेगी ?

(३) क्या यह सच है कि यहां पर स्कूल न होने के कारण लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है ?

(४) क्या यह भी सच है कि यहां पर जनसंख्या को देखते हुए गर्ल्स स्कूल होना जरूरी है ?

(श्री श्रवणलाल)

(५) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) ; (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(६) जी नहीं। माध्यमिक शाला में लड़कियों को शिक्षा मिल रही है।

(४) जनसंख्या केवल ७०० के करीब हैं, अत: यहां अलग कन्या पाठशाला का होना जरूरी नहीं है।

(५) कन्या प्राथमिक शाला खोलना आवश्यक भी प्रतीत नहीं होता और न पंचायत समिति ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है।

(३.०० म. प.)

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

श्री श्रवणलाल : जैसा अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि प्राथमिक पाठशाला में लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि लड़कियां चौथी कक्षा से आगे विद्या अध्ययन करने में असमर्थ रह जाती हैं क्योंकि देहात हैं और वहां पर लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ना उचित नहीं समझती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इतनी बड़ी आबादी है और वहां एक कन्या पाठशाला खोलने की कृपा करें। क्या आप इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि पाठशाला खोल दी जायगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आश्वासन देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि अभी वहां १८ लड़कियां ही पढ़ रही हैं। पचायत समिति का प्रस्ताव होना चाहिये और इसके लिए अन्य आवश्यक कार्यवाही भी होनी चाहिये माध्यमिक शाला में, आप जैसे लोग वहां बैठे हैं तो लोगों को समझाइश करनी चाहिये और उनको प्रोत्साहित करना चाहिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ६ लाख, लाखों का प्रतिनिधि जब आपसे प्रार्थना कर रहा है तो क्या राज्य सरकार उनकी बात को नहीं मानती ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मानती है। सब बातें देख कर ही तो किया जाता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : वहां पर लेडी टीचर रखने का विचार कर सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दिक्कत यह है कि वहां माध्यमिक शाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

ब्यावर को औद्योगिक शहर बनाने की योजना

६६०. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ब्यावर को औद्योगिक शहर बनाने जा रही है ?

(२) यह कार्य कब तक शुरु हो जायगा? सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं।

Page No 17

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) सरकार औद्योगिक शहर नहीं बसाती। जो जो उद्योग वहां आना चाहेंगे उनको पूर्ण इमदाद दी जावेगी।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुमारानन्द : क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने पूछा कि औद्योगिक शहर सरकार बनाती है, मैंने उत्तर दिया कि औद्योगिक शहर सरकार नहीं बनाती है।

श्री कुमारानन्द : ब्यावर को इन्डस्ट्रियल एरिया सरकार डिक्लेयर करेगी ?

इसको इन्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करने का था।

श्री चन्दनमल वैद : इन्डस्ट्रियल एस्टेट का सुझाव था अब उसको रद्द कर दिया है और आगे अभी इस पर कोई विचार नहीं है। यदि वहां के उद्योगपति इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बजाय असिस्टेन्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री कुमारानन्द : ब्यावर एक इन्डस्ट्रियल सेन्टर है, मजदूरों का भी सेन्टर हैं। रॉऊल मिलने का सेन्टर है सबसे बड़ा ब्यावर है। ब्यावर के कई बार आवेदन-पत्र आपको दिये गये थे इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए, क्या आपको पत्र मिले थे ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर चुका हूं। सरकार ऐसा काम नहीं करती है। शहर सरकार नहीं बनाती है। इन्डस्ट्रियल एटेस्ट का प्रस्ताव था उसको सरकार ने रद्द कर दिया है। यदि उद्योगपति कोई असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहें तो जो सुविधा सरकार की ओर से दी जा सकती है वह दी जावेगी। यदि कोई उद्योगपति जहां कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहे तो सरकार उनको जमीन, पॉवर आदि की सुविधा देने के लिए तैयार है।

श्री कुमारानन्द : आपके कहने के अनुसार ब्यावर को पहले इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया था ?

श्री चन्दनमल वैद : इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिए मैं कह चुका हूं और वह प्रस्ताव रद्द कर दिया है। ऐसा अर्थाभाव के कारण किया गया था।

श्री कुमारानन्द : क्या ब्यावर को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : इन्डस्ट्रियल एरिया सरकार घोषित नहीं करती।

श्री चन्दनमल वैद : इन्डस्ट्रियल एरिया का कोई प्रस्ताव करे तो सरकार कर सकती है, लेकिन इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का प्रश्न था और वह सरकार ने रद्द कर दिया। यदि उद्योगपति चाहें तो असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना सकते हैं और सरकार नियमानुसार सहायता दे सकती है।

श्री कुमारानन्द : इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं है, क्या आप यह बता रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

पाली जिले को प्लास्टिक का कोटा

६६१. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में सन् १९५६–५७ से १९६२–६३ तक किन किन को कितना प्लास्टिक का कोटा दिया गया ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त एलॉटीज में से अधिकतर ने इम्पोर्ट किया हुआ कोटा वगैर काम में लिये ही रिसेल मुनाफा उठा कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(३) हर अलॉटी ने इम्पोर्ट किये हुए मैटिरियल्स से सालवार कितना कितना माल मैन्यूफैक्चर किया व सैल किया ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देर से आया है और इस कारण सूची सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकी। जवाब लम्बा है और आप फरमायें तो मैं उनको पढ़ कर सुना दूं। वैसे मैने माननीय सदस्य को लिस्ट दे दी है, यदि वे सम्पलोमेन्टरी पूछना चाहें तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने लिस्ट देखी है। उसमें जो डिटेल्स दी हुई हैं वे सही नहीं हैं। उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय यदि इन्क्वायरी करायें तो मैं साबित कराने के लिये तैयार हूं कि माल मिला है, उन्होंने इम्पोर्ट नहीं किया है और खास तौर से सेल्यूसेज़ और बाइट्रेकेट मिला है उसको उन्होंने पाली में इम्पोर्ट नहीं किया है। तीन चार फर्मस हैं, काम नाम मैं बता सकता हूं। ७, १२, १५, १६ नम्बर पर हैं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : नम्बर २ पर आपका क्या जवाब था ?

श्री चन्दनमल वैद : पहले जवाब में तो मैंने कहा कि मैं लिस्ट सदन की मेज पर नहीं रख सका। दूसरे में 'जी नहीं'। तीसरे में लम्बी सूची है आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। जैसा प्रश्न-कर्त्ता माननीय सदस्य ने कहा कि जो जवाब दिया गया वह सही नहीं है। मुझे इसमें इतना ही अर्ज करना है कि मेरी सूचना यह है कि जो कुछ भी माल इम्पोर्ट किया गया उसका माल बनाया गया। जैसा माननीय सदस्य ने नम्बर कोट किये हैं ७, १२, १५, १६, अगर वे चाहें, सचमुच में ही उन्होंने बिना माल बनवायें ही रॉ मेटिरियल बेच दिया हो, तो उसकी इन्क्वायरी कर सकते हैं।

श्री केसरीसिंह : एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिये जाते, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। फिर भी उनका कोटा था वह काट दिया गया।

श्री चन्दनमल वैद : आपके प्रश्न और आपके प्रश्न में फर्क है। आप यह कह रहें है कि इम्पोर्ट लाइसेन्सेज दिये गये हैं लेकिन उनका मिसयूज कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इम्पोर्ट लाइसेन्सेज नहीं दिये गये। किसका जवाब दूं ?

श्री केसरीसिंह : आप फरमा रहे हैं, उन्होंने गलती नहीं की ? तो फिर उनका कोटा क्यों काट दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : शिकायत हुई है तो जरूर काट दिया गया होगा। आप ऐसे केसेज मुझे बतायें कि जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और उनको फिर भी एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट नही दिये गये हैं तो निश्चित रूप से मैं जानकारी करके बताऊंगा। ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है।

Page No 19

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार किस आधार पर यह स्टेटमेन्ट देती है कि जो कोटा इम्पोर्ट हुआ है उसका प्रोपर यूटिलाइजेशन हुआ है ? किस आधार पर यह आता है और किस आधार पर जानकारी मिलती है कि सही रूप में उसका उपयोग हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद : इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर। सरकार हर चीज को तो देखती नही है। उनके कर्मचारी रिपोर्ट देते हैं जिन चीजों का इम्पोर्ट हुआ है और उनका उपयोग हुआ है ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं देखें या डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ एक एक इन्डस्ट्री को जाकर चैक अप करे। क्या एक ऐसा प्रोसिजर लैडाउन है कि ऐसा स्टेटमेन्ट दे और उसका वेरीफिकेशन इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी करें और यह बता सके कि जितना कोटा आया है उसका प्रोपर युटिलाइजेशन हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद: एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट देने पर हमें सूचना मिलती है कि इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला है या नहीं। माल जाता हैं तो डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर के सामने डिक्लेयर करते हैं कि माल आ गया हैं और जब दूसरी बार एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट के लिये एप्लाई करते हैं तो चैक किया जाता है कि पिछली दफा इम्पोर्ट किये गये माल का माल बनाया या नहीं और बनाया तो क्या सबूत है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न तो उस वक्त पैदा होता है जब दूसरी दफा इसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट के लिए एप्लाई करता है या कोटा देते हैं। मान लीजिये कि एक बार कोटा अलॉट करवा लिया और दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं मांगे। उसका इमीजियेट चैकिंग या ऑनस्पोट चैकिंग के लिए कोई प्रोसीजर लेड डाउन कर रखा है ?

श्री चन्दनमल वैद : माल जाने पर उस युनिट को माल डिक्लेयर करना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज ऑफिसर सर्टिफाई करता है कि माल आ गया है।

श्री अध्यक्ष : शायद माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि पीरियोडिकल स्टेटमेन्ट, इतना प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, देते हों या सूचित करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर के पास रिटर्न आती है।

श्री अध्यक्ष : प्रोडक्शन।

श्री भैरोंसिंह : प्रोडक्शन का कोई रिटर्न नहीं आता है।

श्री चन्दनमल वैद : डिस्ट्रिक्ट इन्डस्टीज़ ऑफिसर के पास रिपोर्ट देता हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रोडक्शन का रिटर्न आता है क्या ; मंथली, वीकली, किस हिसाब से आता है ? आपका क्या प्रोसीजर हैं ? कितने दिनों में आना चाहिये ?

श्री चन्दनमल वैद : निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि रिटर्न आता है या हर चीज दर्ज करानी पड़ती है। रिटर्न जरूर देना पड़ता हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिनों में देना पड़ता है ?

Page No 20

श्री चन्दनमल वैद : समय नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या बता सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

राजकीय सचिवालय के कनिष्ठ लेखक

६६२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजकीय सचिवालय में कितने एम. एज़. का इम्तिहान पास किये हुए व्यक्ति एल. डी. सी. (लोवर डिवीज़न क्लर्क) के स्थान (पोस्ट) पर कार्य कर रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजकीय सचिवालय में एम. ए. पास एक व्यक्ति लोवर डिविज़न क्लर्क के स्थान पर कार्य कर रहा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने बताये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : One.

श्री मानिकचन्द सुराणा : एल. डी. सीज. की जो अंदर सर्विसेज़ हैं क्या उनमें कॉम्पीटिशन करने के लिए उन पर भी एज रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझा नहीं, किस बात के लिए एजरेस्ट्रिक्शन ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : २५ साल की उम्र होने पर जितने कॉम्पीटिटिव एग्ज़ामिनेशन्स हैं उनमें बैठ नहीं सकते हैं और जितने डाइरेक्ट रिक्रूमेन्ट होते हैं उनमें वह बैठ सकते हैं नहीं । गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने एज रिलेक्जेशन अपनी सर्विसेज़ में रख रखा है कि एक बार सर्विस में आ जाय तो किसी सर्विस में कम्पीट कर सकता है । प्रश्न यह किया है कि इस तरह के जो एल.डी.सीज. हैं उनके लिए एज रेस्ट्रिक्शन्स लगा रखे है कि दूसरी सर्विसेज़ में कम्पीट नहीं कर सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल अलग सा प्रश्न है । प्रश्न पूछने पर जवाब दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिह ।

भाखारा क्षेत्र के अलॉटीज

६६३. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) [श्री केदारनाथ (गंगानगर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्वमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र के पुख्ता अलॉटीज़ पर भी तावान व मालकाना लगाया गया है जब कि ये लोग २.६ तक किश्तें भर चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) ऐसे कितने पुख्ता अलॉटीज़ हैं जिन पर मालकाना व तावान कायम किया गया है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भाखरा क्षेत्र में किसी भी पुख्ता अलॉटीज़ पर जिसने कि किश्तें भर दी हैं तावान तथा मालकाना नहीं लगाया गया है । अलबत्ता तहसील कोलोनी हनुमानगढ़ में १०२ ऐसे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

केसेज हैं जिनमें १ से ४ तक किश्तें भरी हैं, लेकिन आगे वाजिब किश्तें न भरने पर नियमानुसार अलॉट शुदा रकबा खारिज कर दिया गया, परन्तु श्रीमान् मुख्य मन्त्री राजस्थान के ३१-५-६२ को पधारने पर जो एडमोमाइर तैयार की गई थी उसके पैरा २२ (२) के तहत ४६ व्यक्तियों ने किश्तें भर दी हैं जिनके रकबे की बहाली की कार्यवाही की जा रही है।

२. प्रश्न संख्या १ के उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जिनके कैन्सिल कर दिये गये क्या कब्जा उनके पास है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कब्जे का पता नहीं और जिनका कैन्सिल कर दिया गया उन्होंने इस नये रूल के तहत जिन लोगों ने, किश्तें भर दीं इस नये डिसीजन के मुताबिक, उनके बहाल की कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में कुछ लोगों द्वारा पजेशन ले लिया गया होगा या कुछ के पास भी हो सकता है, ये दोनों स्थितियां सम्भव हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

भरतपुर में साइकिल का कारखाना

६६४. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर में साईकिल बनाने का कोई कारखाना है ? यदि हां, तो कब से और इसे किस माल का कितना कोटा दिया जाता हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस कारखाने का तैयार माल कभी चैक किया है ? यदि हां, तो कब कब ?

(३) इस कारखाने में अब तक कितनी साईकिलें तैयार हुई हैं और इसकी बिक्री का क्या रेकॉर्ड है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) भरतपुर में लक्ष्मी साईकिल इन्डस्ट्री के नाम से साईकिल का कारखाना है। यह सन् १९५८ से है। इसको अब तक निम्न इ०सी० जारी हुए हैं।

अप्रेल-सितम्बर १९५८	४१६ सैट हब चैन फ्राइविल
अक्टूबर ५८ से मार्च १९५९	६२५ ,,
अक्टूबर, ५९ से मार्च ६०	२४०० ,,
अक्टूबर ६० से मार्च ६१	२०० ,,
अप्रेल ६१ से सितम्बर ६१	२५० ,,
अप्रेल ६२ से मार्च ६३	बीयरिंग७,२०० रुपये के
अप्रेल ६२ से सितम्बर ६२	सी०आर०सी० शीट्स २००० रु० के
अप्रेल ६२ से मार्च ६३	स्टील बाल्स २००० रु० के

१. पैकिंग और रैपिंग पेपर	१,५०० रु०
२. टैप्स एन्ड डाइज	१,५०० रु०
३. शेपिंटग्ज	१,५०० रु०
४. केल्शियम कार्बाइड	१,५०० रु०
५. गोल्ड फोर लाइनिंग	१,५०० रु०

(२) समय समय पर कारखाने का चैकिंग होता रहा है।

(श्री चन्दनमल वैद)

(३) यह सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है, प्राप्त की जा रही है।

श्री रामकिशन : प्रश्न के भाग २ का जवाब दिया गया है। समय समय पर कारखाने का चैकिंग होता रहा है और उसके बाद तीन का जवाब दिया है प्रोडक्शन कितना हुआ इसकी सूचना नहीं मिली, तो फिर चैकिंग किस बात का हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद : चैकिंग समय समय पर होता रहा है जब से फैक्टरी खुली, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ जब तक डेफीनिट फीगर्स मेरे पास न हों तो उसके बिना कैसे जवाब दिया जा सकता है। इस स्थिति में यह कहना पड़ा कि सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिस साल से फैक्टरी बनी है उससे लेकर किसी भी साल के आंकड़े बता सकते हैं कि इतनी साईकलें बनीं ?

श्री चन्दनमल वैद : निश्चित संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): दस, बीस, पचास जितनी भी साइकलें बनीं और बिकीं हैं वे ही बता दीजिये ?

श्री रामकिशन : इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था उस पर आपने फरमाया था कि डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज ऑफिसर के पास सूचना देनी पड़ती है कि कितना माल बना और कितना बिका तो, इन पांच सालों में आपके डि. इ. ओ के पास कोई सूचना दी है या उसने जाकर चैकिंग किया है जिससे यह कहा जा सके कि वहां माल बन रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि वहां साइकलें बनी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जो सूचना मुझे दी गई उसके आधार पर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कौनसी साल की सूचना है ?

श्री चन्दनमल वैद : सारे सालों के बारे में है; साइकलें बनी हैं, बिकी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप सूचना किस आधार पर दे रहे हैं ? क्या उस इन्डस्ट्री ने कोई प्रोडक्शन के रिटर्नस फाइल किये हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं एक भी रिटर्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साईकलें बनती ही नहीं हैं तो बिकने की नौबत ही कैसे आयेगी ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न तीन के उत्तर में स्पष्ट है, यह प्रश्न पूछने के बाद भी आप इस प्रकार की सूचना एकत्रित नहीं कर सके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री कह रहे हैं कि वक्त दिया जाय, इस समय इसका पूरा जवाब नहीं दे सकते। जितनी भी जान-

(श्री अध्यक्ष)

कारी वे प्राप्त कर सकेंगे, अगले टर्न पर जवाब दे देंगे।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी भी यूनिट का मामला हो, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको देखा जायगा, यहां किसी को बचाने का सवाल नहीं है। अभी मेरे पास सूचना नहीं है, होती तो मैं बता देता। जितनी सूचना आयी वह मैंने बतादी। मैं चाहता तो सारे प्रश्न का यह कहकर जवाब टाल देता कि अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामकिशन : पिछले सैशन में यह प्रश्न दिया था, डेढ़ साल हो गया है, अभी तक आप सूचना प्राप्त नहीं कर सके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट की स्थिति यह है कि जितने भी एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट्स दिये जाते हैं उनका बराबर हिसाब–किताब नहीं रहता है।

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न इसी विधान सभा के इसी अधिवेशन में पूछा गया है और मेरे पास अभी आया है, इस वास्ते यह कहना कि डेढ़ साल से यह प्रश्न हमारे पास है गलत है। जब से यह प्रश्न मेरे पास आया है मैनें जानकारी करने की कोशिश की है। जितनी सूचना प्राप्त हुई है वह दे दी है।

श्री भैरोंसिह : आपके विभाग के पास रिटर्न्स आते हैं, जैसा कि आपने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है। उन रिटर्न्स के बेसिस पर ही आप सदन में जानकारी दे रहे हैं, वे रिटर्न्स किस किस साल के हैं ?

श्री अध्यक्ष : रिटर्न्स क्या आते हैं, यह भी इनको मालूम नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : साइकल कोई छोटी चीज तो नहीं है, आप अन्दाज से ही बता सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : 'अन्दाज' से सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। हम तो सही सूचना चाहते हैं

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपको एक ही सवाल पूछा था इसका भी जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

डीडवाना में बी० डी० ओ० क्वार्टर्स

६६६. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि डीडवाना, जिला नागौर में बी. डी. ओ. क्वार्टर्स बनाने का कार्य सरकारी भूमि में न किया जाकर प्राइवेट लैंड में किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(ख) क्या इस भूमि को कानूनन एक्वायर कर लिया गया है ? यदि हां, तो यह

Page No 24

(श्री भैरोंसिंह)

कार्यवाही कब से आरम्भ हुई और इसका फाइनल एवार्ड कब दिया गया ? यदि फाइनल एवार्ड नहीं हुआ तो क्यों ?

(क) क्या फाइनल एवार्ड के अनुसार मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : यह प्रश्न पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट को भेजा हुआ है, आयन्दा टर्न पर वे इसका जवाब देंगे ?

बीकानेर में क्लस्टर टाइप ट्रेनिंग सेन्टर

६६७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्लस्टर टाईप ट्रेनिंग सेन्टर, बीकानेर में कब से स्थापित है तथा इनमें किस किस ट्रेड के इन्स्ट्रक्टर्स कब से नियुक्त हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन्स्ट्रक्टर्स की कमी के कारण यह सेंटर सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है ? अगर हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) क्लस्टर टाइप ट्रेनिंग सेन्टर, बीकानेर २० अगस्त, १९६१ से स्थापित हुआ है। इसमें दो प्रकार के ट्रेन्ड इन्स्ट्रक्टर्स, ब्लैकस्मिथी व फुटवियर के, अगस्त ६१ से नियुक्त हैं।

(२) यह संस्था प्रशिक्षणार्थी (ट्रेनीज) न मिलने के कारण प्रगति नहीं कर सका। इसलिये राजगढ़ में स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री भीमसेन : इन्स्ट्रक्टर्स आपने कब नियुक्त किये और उन्होंने जोइन कब किया ?

श्री चन्दनमल वैद : दो इन्स्ट्रक्टर्स, मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार लोहारगिरी के इन्स्ट्रक्टर की नियुक्ति १४।८।६१ को की गई। कार्पेन्टरी के इन्स्ट्रक्टर की नियुक्ति १।११।६१ को की गई और चर्म उद्योग इन्स्ट्रक्टर की २२।८।६१ को की गई। एक इन्स्ट्रक्टर तीन महिने बाद सस्पेन्ड हो गया वह स्थान खाली रहा। एक बाहर ट्रेनिंग के लिए चला गया।

श्री भीमसेन : राजगढ़ में इसकी क्या प्रगति है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह।

सरपंच द्वारा त्यागपत्र

६६८. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि धारा १८, राजस्थान पंचायत अधिनियम के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत सरगोठ ने अपने पद से काफी दिनों पूर्व त्यागपत्र दे दिया था ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सरपंच के विरुद्ध धारा १७ (२) की कार्यवाही भी पंचायत द्वारा की जा चुकी है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इसके उपरान्त भी सरपंच पंचायत समिति की कार्यवाही में भाग ले रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां। सरपंच के पांच बैठकों में लगातार उपस्थित नहीं होने की शिकायत की जांच की जा रही है।

(३) जी हां। क्योंकि वे अभी तक अपने पद पर हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही है कि उन्होने त्यागपत्र दे दिया वह सरगोठ पंचायत समिति ने वापिस भेज दिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह कार्यवाही किस स्टेज पर चल रही है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि इनको बराबर नोटिस दिया गया या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

हाथीदांत व चन्दन के माल की खरीद

६६६. **श्री जोधासिंह** (गिरवा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) उद्योग विभाग द्वारा सन् ६० से लेकर अब तक हाथी दांत व चन्दन का कितना कितना माल कहां कहां से खरीदा गया ?

(२) क्या यह माल किन्हीं वास्तविक मेन्युफेक्चरर्स की बनी हुई सहकारी समितियों से खरीदा है, यदि हां, तो किस किस से और नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान के कच्चे माल की वितरण कमेटी में इन समितियों के प्रतिनिधि नहीं लिये जाते ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) इस वितरण कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं और किस किस योग्यता के कारण ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) उद्योग विभाग द्वारा सन् ६०.से लेकर अब तक हाथी दांत व चन्दन का सामान साथ में संलग्न तालिका के अनुसार खरीदा गया है।

(२) यह माल साथ में संलग्न तालिका के अनुसार कुछ तो वास्तविक मेन्युफेक्चरर्स की तथा उनकी बनाई हुई सहकारी समितियों से खरीदा है तथा कुछ व्यापारियों से। उद्योग विभाग के हस्तकला केन्द्र व्यापारी संस्थायें हैं, इस कारण कम से कम कीमत पर अच्छा माल खरीदा जाना आवश्यक है, इसलिये यह माल टेन्डरों द्वारा खरीदा गया है। ऐसी खरीदी से टेन्डरों में व्यापारी तथा सहकारी समितियों द्वारा दिए गए भाव बराबर या एक से होने पर सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाती है।

(३) जी नहीं। राजस्थान के कच्चे माल की वितरण कमेटी में समितियों के प्रतिनिधि लिये जाते हैं।

(४) इस वितरण कमेटी के सदस्य निम्नलिखित हैं :-

(श्री चन्दनमल वैद)

१. संयुक्त संचालक, हस्त शिल्प राजस्थान ।

२. क्षेत्रीय उप-संचालक, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ।

३. अध्यक्ष, राजस्थान आइवरी एसोसियेशन, पाली ।

४. अध्यक्ष आइवरी ब्रास हैन्डीक्राफ्ट्स मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, पाली ।

५. मैसर्स तारियामल बालचन्दर, जयपुर ।

६. मैसर्स गोबिन्दराम रामचंदर जयपुर

७. हाथीदांत चन्दन कलाकार मंडल, जयपुर ।

उपरोक्त वितरण कमेटी के सदस्य हाथी दांत की कारीगरी व व्यापार का अनुभव रखने योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि हाथी दांत का काम पाली के मुकाबिले में जयपुर में ज्यादा होता है ?

श्री चन्दनमल वैद : मेरी सूचना के अनुसार पाली में ज्यादा होता है।

श्री भैरोंसिह : आपने जो प्रतिनिधि लिये हैं उनमेंजयपुर के किसी मैन्यूफैक्चरर्स को लिया है, पर आपको क्या यह पता है कि वह काम मैन्यूफेक्चरिंग का नहीं करता हैं, काम करने वाले मैन्यूफेक्चरिंग का दूसरे हैं, वह तो बने बनाये माल की बिक्री का काम करता है ।

श्री चन्दनमल वैद : इसमें हाथी दांत ' चन्दन कलाकार मण्डल का प्रतिनिधि है ।

श्री भैरोंसिह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मैन्युफेक्चरर्स की सोसाइटी हैं या बने बनाये माल को वेचने वालों की सोसायटी है । इसकी कभी आपने जांच भी की हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : आपको इस विषय में ऐतराज हैं तो मैं इसकी जांच कर लूंगा ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो माल दिया जाता हैं उस पर कोई नियन्त्रण रखते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ७००

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह ।

हनुमानगढ़ में मकानों के लिये प्लॉट

७०१. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) [श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) द्वारा पूछा गया] : क्या मन्त्री, कोलोनाइजेशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १९५५ के बाद हनुमानगढ़ टाउन में रिहायशी मकानों के लिये प्लॉट नहीं काटे गये ?

(२) क्या यह भी सही है कि भाखरा की नहरें आने के बाद इस शहर की आबादी बहुत

(श्री श्योपतसिंह)

बढ़ गई हैं जिससे रिहायशी मकानों की मांग बहुत बढ़ गई है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र रिहायशी मकानों के लिये हनुमानगढ़ टाउन में प्लॉट काटने की व्यवस्था करने का विचार रखती हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) हनुमानगढ़ टाउन 'सी' श्रेणी की मंडी में शुमार है और इस श्रेणी की मंडियों के विकास का कार्य कुछ वर्षों तक नहीं लिया जा सकेगा। हनुमानगढ़ टाउन में जो आबादी बढ़ी है और जिससे रिहायशी मकानों की मांग बहुत बढ़ गई हैं उनका प्रमुख कारण भाखरा क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही सरकारी कुल स्कीम हैं जिसके फलस्वरूप काफी सरकारी महकमों को वहां काम करना पड़ता है और सरकारी कर्मचारियों की काफी तादाद में वहां उपस्थित ही मुख्य है। वैसे हनुमानगढ़ जंकशन जो 'ए' श्रेणी की मंडी इसके नजदीक ही चार मील के फासले पर आबाद की जा रही है वहां सरकार द्वारा काफी संख्या में प्लॉट्स काटे जाकर फरोख्त किये गये हैं जिसके बन जाने से रिहायशी मकानों की वैसी मांग नहीं रखेगी। फिर भी हनुमानगढ़ टाउन में प्लॉट्स काटने की व्यवस्था करने का विचार, प्रथम श्रेणी की मंडी करने का विचार जंकशन पर आबाद हो जाने के बाद ही किया जाना चाहिये। क्योंकि इससे पूर्व कोई भी व्यवस्था करना प्रथम श्रेणी की मंडी आबाद होने में विलम्ब का कारण बन जावेगी और सरकार की नीति भी यही है कि प्राथमिकता प्रथम श्रेणी की मंडी को ही दी जाये।

बीकानेर में मिल्क पाउडर फैक्टरी और पेश्चुरेशन प्लान्ट की योजना

७०२ श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार बीकानेर शहर में कोई मिल्क पाउडर फैक्टरी एवं पेश्चुरेशन प्लान्ट लगा रही है ? अगर हां, तो कितनी लागत से एवं कब तक ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस प्लान्ट के लिए शहर में कोई जमीन रिजर्व की है ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी नहीं। लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा मिल्क कलेक्शन एण्ड चिलिंग (Milk Collection and Chilling) की योजना है, परन्तु उक्त योजना कितनी लागत से एवं कब तक पूरी होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(२) जी हां

स्थगित प्रश्न

(५-६-६३)

केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि फार्म द्वारा लिये गये तालाबों व कुओं का मुआवजा

४७८. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील पंचायत सूरतगढ़ को ३१-३-५८ को डिप्टी डाइरेक्टर भाखरा

Page No 28

(श्री केदारनाथ)

कोलोनाइजेशेन सूरतगढ़ द्वारा अमरपुरा जाटान, श्योपुरा, कानपुरा व नानूवाली ढानि के तालाब व कुओं का मुआवजा केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि फार्म में आने का इन गांवों में वितरित करने के लिये दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो कितना और क्या यह रुपया इन गांवों को मिल चुका है ?

उप-मन्त्री जार्वजनिक निर्माण, (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। अलावा ग्राम नानूवाली ढाणी के तालाब व कुओं का मुआवजा वितरित करने हेतु दिया गया था।

(२) २७,४४७) रूपया। अलावा गांव कानपुरा व नानूवाली ढाणी के यह मुआवजा वितरित कर दिया गया है।

श्री केदारनाथ : अब तक इन गांवों में पैसा नहीं दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उनकी मांग आई नहीं। आने पर डिप्टी डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन की तस्दीक से अब भी दिया जा सकेगा।

श्री केदारनाथ : अगर गांव के लोग मांगें तो पंचायत समिति को देने को तैयार हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कह दिया न कि डिप्टी डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन के तस्दीक करने पर दिया जा सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि वहां की पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ ४०६ ताजीरात हिन्द में मुकद्मा दर्ज किया गया है और उसकी तफतीश की जा रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस समय मेरी जानकारी में यह नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह रुपया पंचायत समिति में किस तारीख को जमा कराया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह पोस्ट ऑफिस में जमा है, इतना मैं कह सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह रुपया पोस्ट ऑफिस में क्यों पड़ा है, जब गांव वालों को देने के लिये दिया गया था तो उनको दिया क्यों नहीं गया अभी तक ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वे मांगें तब दिया जावे न। सार्वजनिक पैसा है।

श्री मानिकचंद सुराणा : गांव वाले तो मांग चुके हैं, पर प्रधान ने अपने पास रख लिया था। अब उसके पास हिसाब नहीं है, इसलिये नहीं मिल पा रहा है उनको।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : सरकार से यह रुपया किस आधार पर मांगा गया था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं निवेदन करूंगा कि उधर जब मुख्यमंत्रीजी भी दौरे में

Page No 29

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आये तो उस वक्त भी गांव के लोगों ने अपना रिप्रेजेन्टेशन उनको पेश किया था और उस पर मुख्य मन्त्रीजी ने कलेक्टर को कहा था कि इसकी जांच और तफतीश करके उनको रुपया दिलाने का इन्तजाम करे। पर आज तक वह रुपया ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक कार्यवाही करे और गांव वालों की मांग आने की इन्तजार न करे। वे तो लगातार मांग करते रहे हैं और प्रधान ने उस रुपये को अभी दिया नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया कि मांग आई नहीं है हमारे पास।

श्री मानिकचंद सुराणा : मांग तो और भी आ जावेगी। हम कहते हैं उसे आप मांग नहीं समझते।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वहां लोगों में आपस में झगड़े हैं, पार्टीबन्दी है। कई पार्टियां हैं, इस वजह से मांग नहीं आ रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप हमारी मांग को गांव वालों की मांग नहीं समझते हैं क्या?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह रुपया कहां पर है, किसने कहां पर रख रखा है? यह ३५ हज़ार रुपया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि पोस्ट ऑफिस में जमा है। यह रकम सेविंग बैंक अकाउन्ट्स में है।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल, व्यवधान एवं अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order please! Order!! आप एक एक बोलें।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : कहा गया मुझे रिप्रेजेन्टेशन दिया गया। मेरे पास तो कई जगह के रिप्रेजेन्टेशन आते रहते हैं। इसलिये पर्टिकुलर विलेज की मुझे याद नहीं; मैं कह नहीं सकता कि वहां की क्या बात है। पर जो रुपया जमा है उसका गांव के लोग उपयोग करना चाहते हैं तो कलेक्टर को हिदायत दे देंगे कि उसका जल्दी से जल्दी उपयोग हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस तारीख को यह रकम जमा कराई गई और कहां जमा है? असल बात तो यह है कि रुपया प्रधान ने रख लिया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो आपने उसको बचाने के लिये मौका दिया कि वह रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करा दे सेविंग बैंक में। आपको इन्क्वायरी करानी चाहिये इसकी।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें, केवल जानकारी प्राप्त करें। प्रश्न पूछें केवल।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि यह रुपया प्रधान ने अपने पास दो-तीन साल रख लिया हो तो ४०६ की कार्यवाही करने को आप तैयार हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : यह रुपया कौनसी तारीख को दिया गया प्रधान को और कौनसी तारीख को प्रधान ने पोस्ट ऑफिस में दाखिल कर दिया उसको ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। पहले प्रश्न के वक्त पर तारीख पूछते तो वह भी बता सकता था। इस समय तारीख मेरे पास नही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, सेशन के दौरान में चन्द माननीय सदस्यों ने यह राय प्रकट की थी कि...........

(३. २७ म. प.)

राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र-निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ पर हुए वाद-विवाद सम्बन्धी

श्री मानिकचंद सुराणा : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, कल तीन दिन से बहस जो सीलिंग पर हो रही थी उसका सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है और दो ही मिनिट मन्त्री महोदय ने अपनी बात कही थी और इसके बाद ही सदन का समय समाप्त हो गया।

तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी सदन में कार्यवाही हो, बहस हो परम्परा के तौर पर प्रत्येक का जवाब सरकार के द्वारा दिया जाना आवश्यक है। तो इस पर भी सरकार के द्वारा जवाब नहीं दिया जाना उचित नहीं होगा, परम्परा के विपरीत होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि पक्ष और विपक्ष द्वार इस सीलिंग पर व्यक्त किये गये तीन दिन के विचारों पर सरकार द्वारा प्रकाश डाला जाना और उसका जवाब दिया जाना सदन की परम्परा और प्रतिष्ठा के लिये आवश्यक है। इसलिये आप आज की सदन की कार्यवाही के प्रारम्भ होने से पूर्व इसकी व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया कि इसके लिये तीन दिन का समय निर्धारित किया गया था वह तीन दिन का समय सदन को मिला। अब तक किन कारणों से उस निर्धारित समय के भीतर बहस का उत्तर सरकार की ओर से नहीं दिया जा सका, उन कारणों में जाना मैं उपयुक्त नहीं समझता। सदन के माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि सदन में कुछ ऐसी बातें भी हुई जो शोभनीय नहीं कही जा सकतीं और उसके परिणाम स्वरूप जो समय सदन का इस बहस के लिये निर्धारित किया गया था वह सरकार की ओर से पूरी तरह से जवाब दिये जाने से पूर्व ही समाप्त हो गया।

अब आज जो कार्यवाही निर्धारित की गई है उसके लिये हमारे पास विभिन्न विधेयक हैं और ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं चाहता कि उनके निर्धारित समय में से समय काट कर इस कार्य के लिये दिया जाय।

राज्य सेक्टर में श्रमिकों की समस्याओं इत्यादि के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का वक्तव्य

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सेशन में चन्द माननीय सदस्यों ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि जो विभाग मेरे पास हैं उनके सम्बन्ध में जो लेबर की समस्याएं हैं

Page No 31

(श्री हरिश्चन्द्र)

उन समस्याओं के हल के रूप में राज्य सरकार ने अब तक क्या क्या किया है इसकी जानकारी देने के लिये कई माननीय सदस्यों ने पूछा था। इस पर मैंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस मसले के ऊपर में एक ब्रीफ तैयार करके माननीय सदस्यों के सामने पेश करूंगा उस आश्वासन के तहत मैंने एक ब्रीफ तैयार किया है जिसको कि मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं और इसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी स्वीकृति चाहता हूं।

ब्रीफ की प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये। वक्तव्य के साथ लगा परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान प्राइमरी एजुकेशन बिल, १९६३।

राजस्थान प्राइमरी शिक्षा विधेयक, १९६३
(प्रवर समिति को)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्राइमरी एजुकेशन बिल, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपनी रिपोर्ट सदन के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत है।

जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि आज व कल दो दिन निर्धारित किये गये हैं, ५ विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करने के लिए; इसलिए संक्षेप में माननीय सदस्य बहस करें तो सब विधेयक लिये जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अगर हमारा आगे बहस करने के लिए राइट्स रिज़र्व रहता है तो प्रवर समिति को भेज दिया जाये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बहस होना चाहिए। आखिर बिना बहस के कोई भी बिल सिलेक्ट कमेटी को चला जाता है तो सदस्यों की उसके बारे में और लोगों की क्या राय है वह सबको नहीं मालूम पड़ती। इस तरह सिलेक्ट कमेटी को मूव करने से कोई मकसद हल नहीं होता है; इसलिए थोड़े समय में ही इसके बारे में राय मिल जाय तो यह अच्छी परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय मंत्री महोदय बोलें और इसके बारे में जानकारी करा दें और उसके बाद एक दो माननीय सदस्य बोलना चाहें तो वे भी बोल लें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय भी तैयार नहीं हैं और सदस्य भी तैयार नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अपनी भावनाओं से परिचित होकर मैंने पहले ही मान लिया है और जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहें उसके लिए हम कहते हैं तो फिर प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव लाते। मैंने पहले से ही ले लिया तो फिर क्यों खामख्वाह समय नष्ट करते हैं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : I would draw the attention of Hon'ble the Speaker that 16th and 17th Septemb.

(श्री कुमारानन्द)

er have been fixed for discussion on the Primary Education Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : It is not so.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइमरी एजूकेशन बिल, १६६३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जिसकी सूची बाद में बताई जायेगी ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १६६३

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ज्वालाप्रसाद जी नहीं हैं, उनकी उपस्थिति में पेश किया जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य–मंत्री) : इतनी जल्दी उम्मीद नहीं करते थे कि हो जायेगा। मैं मूव कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप बिना देखे क्यों पेश करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर शामलात कमेटीज़ (डिज़ोल्यूशन) बिल, १६६३ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले ही तय हो गया था कि इन बिलों के पास होने में सभी सहयोग देंगे तो इस पर मैं लम्बा चौड़ा भाषण कोई नहीं दूंगा और केवल दो तीन शंकाओं का निराकरण कराना उचित समझता हूं। एक तो खासतौर से हमारे पास जानकारी नहीं है कि इसकी पूंजी कितनी थी शामलात कमेटीज़ की, जिससे अन्दाजा लगाया जा सके क्योंकि इसका जो उद्देश्य बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि स्थानीय संस्थाओं को यह हस्तान्तरित कर दी जायेगी तो उसका पता नहीं है कि इस पूंजी का क्या उपयोग होगा और इस पूंजी के बाद जो उसके कर्मचारी हैं उनके बारे में भी बिलकुल अस्पष्ट सा प्रावधान रखा गया है कि उनको रिटायर भी किया जा सकता है, उनकी सेवाओं का कोई मुआवजा भी नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वह इस पर प्रकाश डाल दें कि उनकी कितनी पूंजी है, उसका क्या उपयोग होगा, कितने उसके कर्मचारी हैं और उनकी सेवाओं का क्या होगा तो हम इस पर अधिक बहस करना नहीं चाहेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप–मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो आज-कल है, किशनगढ़ सब–डिवीज़न को छोड़ कर, अजमेर जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविन्स और 'सी' क्लास स्टेट थी उस समय कुछ एग्ज़ीक्यूटिव इन्सट्रक्शन्स चीफ कमिश्नर के ऑर्डर्स से.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कुछ साफ आवाज नहीं है। साफ बोलिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्रौर उस समय जो ग्रजमेर मेरवाड़ा का टीनेन्सी एक्ट था उसकी दफा १८० के तहत ऐसा प्रावधान था कि जिसके तहत वहां पर शामलात कमेटीज़ का निर्माण किया गया था। वह शामलात कमेटीज़ जो कॉमन लैण्ड होती थी उनको कॉमन यूज़ के लिए जमीन होती थी उसकी व्यवस्था करती थी ग्रौर साथ ही साथ उससे जो ग्राय होती थी उसका हिसाब-किताब रखकर उसका उपयोग सब के लाभ के लिए करते थे। इस प्रकार यह शामलात कमेटीज़ बनीं। राजस्थान के निर्माण के बाद ग्रौर ग्रजमेर के राजस्थान में मिल जाने के बाद ग्रौर यहां के कानून लागू हो जाने के बाद ग्रौर जमींदारी ग्रौर बिस्वेदारी एबोलीशन एक्ट पास हो जाने के बाद स्थिति यह ग्राई कि जो चीफ कमिश्नर के ग्रॉर्डर के तहत या एग्जीक्यूटिव इन्सट्रक्शन्स के तहत १८० दफा रिपील हो गयी इस वजह से ये संस्थायें कानूनी महत्व नहीं रखने लगीं। बल्कि जिस समय इनका निर्माण किया गया था उस समय भी स्टेचुटरी ग्रॉडीज़ नहीं थीं। इस वजह से उनको कैसे चैक किया जाये, कैसे सुपरवाइज़ किया जाये उनकी कार्यवाहियों का कि ग्राया रुपये का सदुपयोग होता है या नहीं, यह किस प्रकार देखा जाये, इसका एक सवाल सामने ग्राया। सवाल यह भी सामने ग्राया कि उसकी सम्पत्ति जो लोगों के पास थी उनमें से काफी लोग मर गए ग्रौर दूसरों का चुनाव क्योंकि कोई कानून नहीं था इसलिए नहीं हो सकता था ग्रौर सोसाइटीज़ डिफेक्ट हो गयीं ग्रौर शामलात देह का जो प्रोपर्टीज़ थी वह चाहे केश हो चाहे इम्मूवेबल हो उनको कुछ लोगों ने जिनके हाथों में यह व्यवस्था थी ग्रपने निज़ी स्वार्थों की पूर्ति में लगाना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार इस दुरुपयोग की संभावना को लेकर कानून के तहत उसका कोई ग्रस्तित्व नहीं होकर सरकार ने यह मुनासिब समझा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाये जिससे जो शामलात देह की कमेटीज़ हैं वे भंग हो जायें लेकिन इसमें सरकार का इरादा यह नहीं है कि शामलात देह कमेटीज़ की जो सम्पत्ति थी चाहे चल हो ग्रौर ग्रचल हो उसको सरकार स्वयं ले ले, बल्कि सरकार यह चाहती है कि चल ग्रौर ग्रचल सम्पत्ति जो शामलात देह कमेटीज़ के कब्जे में ग्रब तक चली ग्रा रही है उनको लोकल बॉडीज़ के सुपुर्द कर दिया जाये। एक तरह से लीगल डिफेक्ट किसी प्रकार की नहीं रहे इसलिए उस कमेटी के रेज्योल्यूशन को इस बिल के द्वारा कर के वे जो प्रापर्टीज़ हैं जो कि शामलात देह कमेटीज़ की हैं, उसको हम लोकल बॉडीज़ को हस्तांतरित कर दें उस टर्म एण्ड कन्डीशन्स के साथ कि जो इस बिल में रखे हुए हैं तो इस प्रकार से यह विधेयक जो शामलात देह की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो सकता था उसको रोकने की दृष्टि से ग्रौर डिफेक्ट सारी सोसाइटीज़ पड़ी हुई हैं, उनकी व्यवस्था ढंग से नहीं होती है उसको समाप्त करने की दृष्टि से यह शामलात देह बिल पहले भी रखा गया था लेकिन लैप्स हो गया उसके बाद फिर यह ग्रापके सम्मुख रखा गया है। इसके ग्रन्दर एक सवाल यह उठाया गया कि इसकी कितनी सम्पत्ति है जिससे माननीय सदस्यों को कुछ ग्रन्दाजा हो जाये कि वास्तव में कोई सम्पत्ति भी है जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है।

इस सम्पति के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हुए मैं संक्षिप्त में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ब्यावर है वहां पर ८,००० रु. की मूवेबल प्रोपर्टी ग्रौर १०,००० रु. की इम्मूवेबल प्रोपर्टी है। ग्रजमेर में १४,००० रु. का मूवेबल केश

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वगैरह है और १,६०,००० रु. की प्रोपर्टी है। इसी तरह से केकड़ी में और किशनगढ़ में भी बिल्डिंग्ज़ और प्रोपर्टीज़ हैं।

और साथ ही साथ अमले के बारे में जो सवाल किया गया है तो ज्यादा अमला तो है नहीं। करीब ८–१० आदमी ऐसे हैं जो कि शामलात कमेटी के अन्दर अभी तक मुलाजिम हैं। उन मुलाजिमों को लेने या न लेने के बारे में जिस प्रकार का प्रावधान इस बिल के अन्दर किया गया है उसकी स्थिति इस प्रकार है।

मैं समझता हूं कि ग्रोन दी होल यह बिल और किसी खास आग्रह या किसी के अधिकारों पर कुठाराघात करने की दृष्टि से नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि आज कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है उनको समाप्त कर दिया जाय और उनकी संपत्ति को लेकर लोकल बॉडीज को हस्तान्तरित कर दिया जाय। यही इसका मुख्य ध्येय है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर के लैंड रेकॉर्ड एक्ट के रिपील होने के बाद लीगल एग्जिस्टेन्स रहा या नहीं रहा ? अगर नहीं रहा तो नॉन स्टेच्यूटरी कमेटीज को डिजोल्व करने के लिए बिल की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई कानूनी संभावित आशंका दूर करने की दृष्टि से यह किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आशंका पर कानून नहीं बनाये जाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बारे में सवाल उठाये गये थे कि चुनाव किस प्रकार से कराया जाय और चुनाव कराने के संभावित तरीके का कानून नहीं है, उसकी वजह से चूंकि वहां पर दुरुपयोग की संभावना और शिकायतें थीं और लोग बाग जो खेवटदार और बिस्वेदार थे उनकी सार्वजनिक सम्पत्ति को जो कि कम्बाइन्ड लैंड थी, शामलात देह की संपत्ति थी, जिसके ऊपर कहीं कुछ मकान बने हुए हैं, कहीं कुछ जमीन है, कहीं केश है, तो उसका दुरुपयोग करते थे। उस दुरुपयोग को कानूनी ढंग से समाप्त करके लोकल बॉडीज को हस्तान्तरित करने की दृष्टि से यह किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पब्लिक ट्रस्ट एक्ट से इसको रेग्युलेट क्यों नहीं करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भी एक्जामिन करा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में आती नहीं हैं, इसलिए यह राय हुई कानूनी कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में इसका समावेश नहीं हो सकता है, तो उस कानूनी राय के आधार पर यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में क्योंकि वह अजमेर से ताल्लुक रखता है इसलिए वहां की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेना ठीक होगा। हमारे रेवेन्यू के डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो इसका बेकग्राउन्ड रखा है वह किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि प्रोपर्टी पर्टीक्यूलर लोगों की है, वह एक शामलात के लोग होते थे, निश्चित लोग होते थे और वे निश्चित लोग अपनी एक कमेटी उसकी देखभाल के लिए बनाते थे और

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वह ग्रर्से से चली ग्राती थी, वह सार्वजनिक नहीं थी। वह प्रोपर्टी सब जगह है, ग्रजमेर के ग्रन्दर है ग्रौर उसकी प्रोपर्टी को सरकार चलाना चाहती है लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के जरिये। यह उसमें प्रावधान नहीं है, बल्कि प्रावधान यह है कि सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन इस वक्त जो इस तरह का डिक्लेयर कर रहे हैं वह गलत है। उसको लोकल सैल्फ गवर्नमेंट को या लोकल बॉडीज को देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह गलत होगा, क्योंकि यह पर्टीक्यूलर क्लास है, पर्टीक्यूलर लोग हैं, वे निश्चित हैं। जो विस्वेदार होते थे जमीन के या खेवटदार होते थे उनकी है ग्रौर ग्राज से नहीं बापदादों के समय से ग्राती है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, उसके संचालन के लिए कानून ग्राप बनाना चाहते हैं। यह मुमकिन हो कि शिकायत ग्राई हो इसकी कहीं से, लेकिन ग्रजमेर या ब्यावर जैसी बड़ी जगह से कोई शिकायत नहीं थी ग्रौर शिकायत ग्राई है तो छोटी जगह से ग्राई हैं। रामसर एक जगह है मेरी कान्स्टीटुएन्सी में वहां से। वहां पर भी कलैक्टर जैसा चाहते थे उस तरह से तय कर देते थे। उस एक्ट को पास किया जाय, ग्रवश्य पास किया जाय। इस बिल को पास किया जाय, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ग्रपनी तरफ से इस ग्राशंका, जैसी ग्राशंका वे करते हैं, यह न करें। मेरा ग्राग्रह है कि उसका उपयोग उन्हीं किसानों के लिये हो, किन्हीं एक निश्चित बातों को करके उनके बच्चों के लिए हो, उनकी ग्रौरतों के लिए हो, या जो निश्चित लोग हैं जिनकी कि कमेटी ग्राज भी निश्चित रूप से बनी हुई है उसके द्वारा उनके उपयोग में ग्राये। यह नहीं होना चाहिये कि उसकी टोपी इसके सिर पर रख दी। इस तरह से उनके ऊपर ग्राघात होगा। ग्राप जिस तरह की बात करते हैं तो ग्रापको निश्चित रूप से पता लगना चाहिये, प्रोपर्टी का तो ग्रापने पता लगा लिया कि उनकी इतनी मूवेबल प्रोपर्टी है ग्रौर इतनी इम्मूवेबल है, तथा इसके साथ साथ ग्राप यह कहते हैं कि यह प्रोपर्टी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज को दे देंगे। तो मैं कहूंगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देने का उससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसका ताल्लुक हो सकता है गवर्नमेंट से। यह गवर्नमेंट देख सकती है कि जिनकी प्रोपर्टी है वे निश्चित लोग हैं ग्रौर इसलिये जिनकी प्रोपर्टी हैं उनके उपयोग में ग्राये। इसको ग्राप देख सकते हैं, इसके लिए ग्राप संचालन कर सकते हैं. इसमें ग्राप इन्टरफियरेन्स कर सकते हैं। प्रोपर्टी ग्राप में वेस्ट करें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी की हालत कर रखी है, पंचायतों की हालत कर रखी है, तो ग्रगर पंचायतों को ग्राप सुपुर्द करेंगे तो मैं ग्रजमेर की तरफ से एक ग्रावाज से कह सकता हूं कि उस सारी प्रोपर्टी को ग्राप डिफैन्स ग्रॉफ इण्डिया फण्ड में दे दें तो भी एक भी ग्रादमी यह नहीं कहेगा कि गलत ढंग से किया है, लेकिन किसी ढंग से गलत या किसी तरह से हस्तान्तरित करने की कोशिश करेंगे तो सबकी तरफ से एक ग्रावाज के साथ मैं कहूंगा कि इसको नहीं लेने देंगे।

ग्रगर प्रोपर्टी पर कब्जा करने की बात करते हैं तो कानूनी तौर से मुग्रावजा दें। इस तरह का कानून लगाकर नहीं कर सकते हैं। ग्राज संविधान है तो संविधान के मातहत हम समझते हैं कि बहुत से लोग ग्रार्गनाइज्ड नहीं हैं। यह मैं मानता हूं कि यह जनता की है, लेकिन एक पर्टीक्यूलर क्लास है। ग्रजमेर में थोक मालिया ग्रौर थोक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पालिया ये दोनों ही कौमें हैं किसानों की जो कि पृथ्वीराज के समय से चली आ रही हैं। अजमेर में जो कोर्ट बनी हुई है उनका लगान शामलात कमेटी द्वारा दिया जाता है आज तक। अजमेर शामलात कमेटी की अपनी प्रोपर्टी हैं। शामलात वाली जितनी जमीन बेची है उसका लगान आज तक पिछले साल तक ३–४ हजार रुपये जमा कराये हैं। शामलात कमेटी ने और उसके बाद वहां पर मकान बनाये गये। बड़े बड़े सेठों के घर हो गये, बाजार हो गये। उसका आज तक शामलात कमेटी अजमेर ने लगान दिया है, और उस कमेटी के जो एसेट्स बने हैं उन एसेट्स के लिए आप कहते हैं कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। रामसर में कोई झगड़ा किसी बीड़ को लेकर हो गया तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप टूट पड़ें और कूद पड़ें तो अच्छे के लिए कूद पड़ें।

आपने जो प्रोवीजन रखा है उसकी मन्शा के अलावा जो डिक्लेरेशन किया गया है उसकी वजह से मेरे बोलने की बात आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका यह प्रावधान ठीक है। उसके मातहत इन सब चीजों को समझ लें कि यह प्रोपर्टी इन लोगों की है, सामूहिक किन्हीं लोगों की है, उसके लिए आपको एलान करना चाहिए कि उनके ही हित में लगायेंगे। उन्हीं किसानों के, उन्हीं लोगों के हित के अन्दर सरकार की देखरेख में उन्हीं की कमेटी के द्वारा खर्च किया जायगा। मैं समझता हूं कि मैं इसके पास करने के पक्ष में हूं।

श्री अध्यक्ष : (सर्व श्री रामकिशन और सतीशचन्द्र अग्रवाल के बोलने के लिए खड़े होने पर श्री अग्रवाल से) आप श्री रामकिशन को सुन लें पहले, बाद में कांस्टीट्यूशनल पोइन्ट कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे तो भाषण देंगे। मैं सिर्फ कॉन्स्टीट्यूशनल आब्जेक्शन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जो अजमेर शामलात कमेटी डिजोल्यूशन बिल, १९६३ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है और यहां जिसके ऊपर माननीय उपमंत्री, राजस्व विभाग ने कुछ स्पष्टीकरण दिया और जिसके सम्बन्ध में एक अधिकृत हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड हमारे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया और उसके उपरान्त इस कानून की कुछ धाराओं के पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार उन खेवटदारों और विस्वेदारों को जो जमीन शामलात में थी उनको देना चाहती है, और उनको लोकल बोर्ड्स को देगी, यानी सरकार में स्वयं में वेस्ट करेगी वह प्रोपर्टी। आप जमीनों को लेना चाहते हैं, उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं माननीय उप-राजस्व मंत्री का ध्यान संविधान की धारा ३१ की ओर दिलाना चाहूंगा। जो संविधान की धारा ३१ है, अध्यक्ष महोदय, वह यह कहती है :

"(1) No person shall be deprived of his property save by authority of law.

(2) No property, movable or immovable, including any interest in, or in any company owning, any commercial or industrial undertaking, shall be taken possession of

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

or acquired for public purposes under any law authorising the taking of such possession or such acquisition, unless the law provides for compensation for the property taken possession of or acquired and either fixes the amount of the compensation, or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given."

And then it says.

"(3) No such law as is referred to in clause (2) made by the Legislature of a State shall have effect unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent."

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसमें कोई व्यवस्था इस बात की नहीं की है कि जो राइट्स, टाइटल्स एंड इन्ट्रेस्ट मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी में खेवटदार और बिस्वेदारों के उनके अधिकारों को और सारी शक्ति को, जैसा कि राजस्व उप-मंत्रीजी ने कहा, राज्य सरकार लेना चाहती है और उसके बदले में उनको मुआवजा नहीं देना चाहती। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, निवेदन करूंगा कि....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व): Immovable property has already been vested in the State Government.

कॉमन लैंड जमींदारी बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट के तहत वैस्ट हो चुकी है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी मूल प्रोपर्टी में कौनसी चीज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : There are some Patwarkhanas.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इम्मूवेबल प्रोपर्टी क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ मकानात हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिना मुवावजे के लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किराये पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोपर्टी का टाइटल।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: If they have been declared as personal property, then there is nothing. Then they will pay rent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न नहीं है। सवाल इस बात का है कि सारी प्रोपर्टी उनमें वेस्ट करती है। धारा ३१ मूवेबल और इम्मूवेबल में डिस्टिन्कशन नहीं करती है। जब डिस्टिन्कशन नहीं करती है तो मूवेबल प्रोपर्टी लेना चाहते हैं और इम्मूवेबल प्रोपर्टी-बिल्डिंग वगेरह किराये पर हैं उनको लेना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य इस बात पर प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा कि यह चीज प्रोपर्टी की परिभाषा में कैसे आती

(श्री अध्यक्ष)

है । जो चीज एक्वायर की जा रही है उसको प्राइवेट प्रोपर्टी की परिभाषा में कैसे लेते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसा वे कहते हैं, जैसा उन्होंने हिसाब बताया ब्यावर केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर के बारे में उन्होंने बताया कि इतना ...

श्री अध्यक्ष : इस तरह की चीज जिसको मूवेबल और इम्मूवेबल की डेफिनिशन में नहीं लिया जाता है उसको प्राइवेट प्रोपर्टी की परिभाषा में कैसे लेते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धारा ३१ कॉस्टीट्यूशन की है वह मूवेबल और इम्मूवेबल में डिस्टिन्कशन नहीं करती "No property, movable or immovable" में डिस्टिन्कशन नहीं है; Property may be of any kind, movable or immovable-land, building or any other property.

जो प्रोपर्टी दूसरे आदमी के राइट, टाइटल ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समझे नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रोपर्टी प्राइवेट प्रोपर्टी के अन्तर्गत नहीं आती है और ऐसी प्रोपर्टी है, क्या वह बगैर मुआवजे के नहीं ली जा सकती ? अगर नहीं ली जा सकती तो किस आधार पर नहीं ली जा सकती इस पर प्रकाश डालें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ प्रोपर्टी ऐसी हो सकती है जो ...

श्री अध्यक्ष : हो सकती है का प्रश्न नहीं है । डेफिनेट क्या है वह बतावें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; यह प्रोपर्टी पर्टिकुलर कास्ट की है, माली और तेली पर्टिकुलर कॉम्युनिटी की प्रोपर्टी है । यदि इसको सरकार एक्वायर करना चाहती है तो कॉम्युनिटी प्राइवेट पर्सन की डेफिनिशन में आती है । सिविल लॉ के अंदर प्राइवेट पर्सन की डेफिनिशन में गवर्नमेन्ट भी आती है । ऐसी स्थिति में किसी पर्टिकुलर कॉम्युनिटी के, मान लीजिये पांच आदमी हैं और वे ही मालिक हैं, मदारगेट में माली लोग दूकानें करते हैं जैसा कि अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा उनसे छीन कर किराये पर लेना चाहते हैं, जैसा कि उप-राजस्व मंत्रीजी ने कहा । आप कानून से किराये पर ले सकते हैं तो लीजिये, कंपेन्सेशन देना आवश्यक है तो दीजिये, लेकिन इस सारे प्रश्न पर लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ले लीजिये । लॉ डिपार्टमेन्ट यदि कहता है कि ले सकते हैं तो लीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has already been examined.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Law Department has given its opinion ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not now ? Not in this House ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Prior to the introduction of the Bill.

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया है मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । मेरा निवेदन यह है कि इसमें ५ वीं धारा है उसमें कर्मचारियों की

(श्री रामकिशन)

स्थिति को स्पष्ट ही किया है। यह ठीक है कि उनकी संख्या १० है या १ है, लेकिन यदि एक आदमी के साथ भी अन्याय हो जाता है तो राज्य सरकार के लिये उचित नहीं है, धारा इतनी अस्पष्ट है. कहा गया है कि उनको रखा जा सकता है हटाया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो उनकी सर्विस कंडीशन्स क्या हैं, मैं यह नहीं कहता कि राजस्व उप-मंत्रीजी को इसकी जानकारी है या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिये कि उन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जायगा।

दूसरा यह कहा है कि जो सम्पत्ति गांवों में और शहरों में ऐसे लोगों की है जो सामूहिक रूप से, सामूहिक प्रयत्न रुपये इकट्ठे करके सम्मिलित जमीन द्वारा पैदा की है उसको यदि सरकार अपने अधिकार में लेना चाहती है या स्वायत शासन संस्थाओं द्वारा उसकी व्यवस्था करना चाहती है लेकिन जिन्होंने सम्पत्ति पैदा की है जो लगान देते रहे हैं, दूसरा करते रहे हैं, जैसा कि श्री ज्वालाप्रसाद जी ने बताया यह सम्पत्ति ऐसे लोगों की है जो पिछड़े हुए हैं और गरीब लोग हैं। अब तक जो सम्पत्ति इकट्ठी होती रही है यदि उसकी अव्यवस्था थी और उसमें गड़बड़ियां हुईं तो यह राज्य सरकार के लिये सोचने की बात है ८–९ साल तक इन्तजार करती रही दुर्भाग्य है। यह बिल बहुत पहले आना चाहिये था। मैं सरकार की इस बात के लिये निन्दा करता हूं कि वह कोई बात समय पर नहीं सोचती। हमेशा सोचती है तो ८–१० साल बाद सोचेगी जब कि आम लोग गाली देने लगेंगे। आपके वहां के दो मंत्री है, आधा राज्य उनके हाथ में है उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस सम्पत्ति का फायदा नाजायज लोग उठा रहे हैं जैसा कि राजस्व उप-मंत्रीजी ने कहा गड़बड़ियां हुई हैं। मेरे पास और जानकारी है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि तय हुआ था कि इस पर अधिक विचार नहीं करेंगे, दूसरे बिल लेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था कीजिये और जो वह निधि है स्वायत्त संस्थाओं को देने के बजाय जिस कॉम्युनिटी की यह निधि है. वह बेकवर्ड लोग हैं, उनकी पूंजी उन्हीं के कार्यों में लगाइये। पहले कुछ भी दिया हो, लेकिन आगे उन लोगों के लिये कोई भी योजना है; पढ़ाई की, लिखाई की इसमें उनकी इस सम्पत्ति को लगाइये। उनके जो मकान हैं उनका किराया आता है उसको भी उनके हित के लिये लगाइये। इतना ही कहकर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो एतराज उठाये हैं; एक तो यह कि ये रुपये या तो सरकार रख ले, यह सम्पत्ति रखे या उसका लाभ गांव के लोगों को मिले या डिफेन्स फंड में जावे। मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रोविजन सब क्लॉज (२) में है वह बहुत स्पष्ट है :

"(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, transfer any such assets and liabilities to such Local Authorities as may be mentioned in the notification and may, in doing so, impose any terms and conditions upon which such assets and liabilities shall be so transferred."

यह इतना एग्जॉस्टिव है कि किस तरह से रुपये काम में आवें, इस सम्पत्ति का किस प्रकार उपयोग हो, यह इसके अन्दर प्रेसक्राइब किया जा सकता है। सरकार स्वयं रख सकती है। सरकार लोकल बोडीज के जरिये भी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

व्यवस्था करा सकती है। इस प्रकार की मंशा जो नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जाहिर की थी वह इससे पूरी हो जाती है।

दूसरा सवाल एम्प्लोईज के बारे में उठाया गया। उनके बारे में दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक तो गवर्नमेंट उनको डिस्चार्ज कर दे। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम सोचें, टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स जो रूल्स में प्रेस्क्राइब करें उनकी तहत हम रख लें। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी स्थिति कहीं ऐसी हो गई है कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि हम उनको डिस्चार्ज करते हैं तो जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज उन पर एप्लीकेबल हैं उनके आधार पर होगा। हम रखें तो उन्हीं शर्तों पर रखेंगे। सरकार का यह विचार नहीं है कि उनको परेशानी का शिकार बनाया जाय। अगर हो सका तो उनके रूल्स का इन्टीग्रेशन कर देंगे। उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जायगा जैसा कि किया जाना चाहिए। इन दो स्पष्टीकरणों के बाद मैं समझता हूं और आवश्यकता नहीं रहती है उत्तर देने की।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह हैं कि अजमेर शामलात कमेटी (डिजोल्यूशन) विल, १९६३ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(४ म० प०)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर शामलाल कमेटियां (डिजोल्यूशन) बिल, १९६३ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह हैं कि अजमेर शामलात कमेटीज (डिजोल्यूशन)बिल, १९६३ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६३

(विचार–विमर्श एवं पारित)

राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९६३।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : काहे का मोशन है ?

श्री अध्यक्ष ; पब्लिक ओपीनियन का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:अध्यक्ष महोदय, राजस्थानकृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,१९६३, सदन में माननीय उप राजस्व मन्त्री महोदय ने कृषि मन्त्री महोदय की तरफ से प्रस्तुत किया है। उसके सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के कानेज का यदि गहराई के साथ अध्ययन किया जाय और जिस समय राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी बिल, १९६२ इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था या यूं कहिए कि जिस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था, उस समय सदन में जो विचार व्यक्त किए गए थे, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने उस समय उन विचारों को किसी प्रकार का कोई वजन नहीं दिया। जिस समय विश्वविद्यालय के विधेयक सदन में विचारार्थ आए, उस समय सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार को सुझाव दिए कि विश्वविद्यालय स्थापना की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए हम जल्दी स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों का बनाना और बिगाड़ना यह कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है कि आज यहां पर खोल दिया और यहां पर अगर ठीक ढंग से नहीं चला तो फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। आज हम इसका जुरिस्डिक्शन इतना सा रखें और कल अगर आवश्यकता हुई तो इसका क्षेत्र बढ़ाएं आज हमने जल्दी में इसका नामकरण यह कर दिया और कुछ दिनों बाद यदि आवश्यकता हुई तो नामकरण दूसरे प्रकार का करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इसमें जो बहुत बड़ी बात बताई है और बड़ा भारी कारण बताया है इस विधेयक को लाने का वह इसमें लिखा है :

"1. As a measure of decentralisationand reorganisation ofUniversity education in this State, it has become expedient to amend the Rajasthan Agricultural University Act, 1962, so as to reconstitute the University established thereby, in order to enable it to provide greater facilities for higher education and research, including technology in all branches of learning while continuing to discharge its obligations under the said Act for the development of Agriculture in this State."

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यूनीवर्सिटी एजुकेशन के डीसेन्ट्लाइजेशन और रीआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई कमेटी का निर्माण किया, क्या इसके सारे प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कोई सर्वे कराई राजस्थान के अन्दर कि किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय ज्यादा उपयुक्त हो सकता है ? जिस समय एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी बिल इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था, उस समय सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान उपयुक्त होगा इसके सम्बन्ध में सर्वे कराई जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जानी चाहिए उसकी राय आने के बाद राज्य सरकार यह फैसला करे कि हम अमुक स्थान पर इस प्रकार का विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन सख्त अफसोस है कि जिस समय सुझाव आए, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया और ऐसा लगता है कि शायद वे उस बात के लिए कमिटेड हैं। मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि यह केवल उदयपुर में क्यों बनाया या गंगानगर ज्यादा उपयुक्त स्थान था या और कोई स्थान हो सकता था। सवाल यह है कि आप रेशनलाइज्ड वे में विचार नहीं करते। आपके सोचने का तरीका क्षेत्रीय आधार पर है और राजनैतिक आधार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर है। वह इस प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से रेशनलाइजेशन एजुकेशन का होना चाहिए, जिस प्रकार से डी सैंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार उस दिशा में नहीं सोचती। यूनीवर्सिटी एजुकेशन के साथ राज्य सरकार इस प्रकार से खिलवाड़ करती है।

आज राजस्थान के यूनीवर्सिटी एजूकेशन के स्टैंडर्डस को देखिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे दिन प्रति दिन गिरते जा रहे हैं। वहां के परिणाम, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स निकालिए। विद्यार्थियों की क्या हालत हैं? उनकी हालत पर विचार करने के लिए हमारे ऑल इंडिया सर्विस कमीशन्स के रिजल्ट्स को उठाकर देखिए, आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. और आर. पी. एस. की लिस्टों को उठाकर देखिए और फिर अन्दाजा लगाइये कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान का नम्बर कितना नीचे आता है। उसके कारण क्या हैं? दुर्भाग्यसर कहना पड़ेगा कि राजस्थान के अन्दर जो यूनीवर्सिटी एजुकेशन है, जो विश्वविद्यालयों का शिक्षा का कार्यक्रम है। सरकार की जो नीतियां और रीतियां हैं। उनको कोई एजूकेशनिस्ट्स या शिक्षा के बड़े प्रकाडं पंडित उनका गाइड नहीं करते, उससे रेग्युलेट नहीं होती है। राज्य सरकार को उसके लिए निश्चित मापदन्ड या आधार बनाना चाहिए, लेकिन यहां तो सारे के सारे पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स हैं। जिस समय एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी बिल आया, इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में जो सवाल खड़ा हुआ, उस समय नाम का सवाल खड़ा हुआ।

मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब एक साल पहले एक कानून इस सदन ने पारित किया तो फिर क्या दिक्कत थी कि एक साल के अन्दर उसका नाम बदलने के लिए यह विधेयक लाते।

आप राजस्थान के अंदर यदि यूनीवर्सिटी एजूकेशन को डीसेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं, राशनलाइज करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को उठाना चाहते हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में एक बार गंभीरता से विचार करें। देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकांड पंडित हैं, उनकी कमेटी बनाएं और सर्वे कराएं जो सरकार को परामर्श दे कि राजस्थान में किस प्रकार विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिस जगह पर जो पोटेन्शियलिटीज है, इस सम्बन्ध में कोई नई बात लाए। मैं माननीय उप-मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब आप डीसेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं तो यह नाम बदलने की आवश्यकता क्या हुई? इस प्रकार जुरिस्डिक्शन का एक्सटेन्शन नहीं कर सकते। केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए इसका नाम उदयपुर यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं। मैं क्षेत्रीय भावनाओं का विरोध करता हूं, लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून जो बनाया जिसे साल भर भी नहीं हुआ, आज उसका नाम बदलने को उतारू हो रहे हैं। उसका क्षेत्र बढ़ाने के लिए जितना स्कोप है, जितनी कमेटियां हैं, जितनी ऑथोरिटीज हैं उन सब में संशोधन लाने के लिए आप उतारू हो रहे हैं।

हमारे राजस्थान के अंदर जो तीन विश्वविद्यालय हैं उनकी सारी एजूकेशन की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पोटेन्शियलिटीज का सर्वे कराएं, स्टैंडर्ड्स का अंदाजा लगाएं। प्लानिंग की जाय १० साल, १५ साल या २० साल का। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आए दिन जो इस प्रकार का हस्तक्षेप होता है, वह किसी प्रकार से वाजिब नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने, उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूंगा, इसमें कुछ अपोइन्टमेंट्स का सवाल रखा है। जिस समय यूनीवर्सिटी ऑफ राजस्थान का अमेंडिंग बिल इस सदन में प्रस्तुत हुआ था और जिस समय यहां वाइस चान्सलर की अपोइन्टमेंट को लेकर एक बड़ा भारी उत्पात खड़ा हुआ, उस समय उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो अमेंडिंग बिल पेश किया उसमें क्या व्यवस्था की ? मैं माननीय मुख्य-मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो धारा १६ इसके अन्दर आई थी, इस धारा १६ में यह व्यवस्था है :

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : पहले की या अब की ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विधेयक की। विधेयक के क्लॉज १६ में लिखा है :

"(2) On the date of the commencement of the Rajasthan Agricultural University Amendment Act, 1963

(i) any person holding office as Vice Chancellor of the University shall on such commencement, be the Vice Chancellor of the University so reconstituted and shall continue to hold the said office and to exercise all powers and to perform all duties conferred on the Vice Chancellor by or under the provisions of this Act, Until a new Vice Chancellor is appointed;"

वाइस चान्सलर के लिए आपने यह लिख दिया है और आपने रजिस्ट्रार के लिए और बाकी की ऑथोरिटीज़ के लिए क्या लिख दिया है ? इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई देखना चाहे तो इसके बारे में एक है :

"(iii) the appointments of the Registrar and all other officers and servants of the University, which are lawfully subsisting shall be deemed to have been made under and for the purposes of this Act and the Registrar and all such officers and servants shall continue to hold office and to act, subject to the conditions governing the terms of their office or employment except in so far as such conditions may be altered by competent authority;"

मैं माननीय मुख्य-मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हमारी जो यूनीवर्सिटी एजूकेशन है, इसमें एक वाइस चान्सलर है, दूसरा है रजिस्ट्रार और तीसरे व्यक्ति हैं बड़े बड़े आथोरिटी और कर्मचारी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीन के लिए दो चीजें गवर्नमेंट ने क्यों रखी हैं ? जहां तक वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेंट का सवाल है, उसमें कन्टीन्यू रखा है जब तक वाइस चान्सलर का अपाइन्टमेंट नहीं होता और रजिस्ट्रार और बाकी ऑथो-

Page No 44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रिटी के लिए लॉफुली सब्सिस्टेंस रखा है। उनके लिए कह दिया है कि लाफुली सब्सिस्टेंस होगा। आपका क्या मतलब है? जो अपोइन्टमेंट हुए वे अनलॉफुली हुए, गैर कानूनी ढंग से हुए? अगर नहीं हुए तो इन शब्दों का क्यों उपयोग किया? क्यों यह रखा कि जितनी टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स होंगी वे पुराने कानून के अनुसार होंगी? अगर वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेंट रेगुलर है तो रजिस्ट्रार का भी रेगुलर होगा और वाइस चान्सलर का इर्रेगुलर है तो रजिस्ट्रार का भी इरेगुलर होगा। फिर आपने यह कैसे कहा कि वाइस चान्सलर के लिए टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स पुराने कानून के अनुसार रहनी चाहिए। यह डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन, मैं कहना चाहूंगा कि वाजिब नहीं है।

इसी प्रकार आपने जो पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसकी जो असेट्स हैं, उसकी जितनी जायदाद है उसको अनकन्डीशनली ले लिया है। वे असेट्स और जायदाद नयी यूनीवर्सिटी की हो जायगी। यह कानून में एक पुछल्ला लगा दिया है:

"(viii) all dues, liabilities and obligations incurred and lawfully subsisting in favour of or against the University shall be the dnes, liabilities and obligations in favour of or against the University so re-constituted;"

और साथ में, अध्यक्ष महोदय, यह लिख दिया है कि "(x) the appointments of all the examiners of the University as lawfully subsisting........."

में निवेदन करना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी कर्मचारी हैं, उनका सवाल है, उनके लिए कहते हैं कि लॉफुली सब्सिसटेन्स देखना है पुराने कानून के अनुसार, रजिस्ट्रार के लिए पुराना कानून है, सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिए पुराना कानून है, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के लिए पुराना कानून है, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए पुराना कानून है और युनिवर्सिटी के जो पुराने कर्मचारी है उनके लिए पुराना कानून है, लेकिन वाइस चान्सलर के लिए नया कानून है। मेरी उनसे व्यक्तिगत खिलाफत नहीं है, न उनसे मेरा विशेष परिचय है, न व्यक्तिगत जानकारी है। कुछ लोगों को उनसे शिकायत हो सकती है और जिनको शिकायत है, उन्होंने यूनीवर्सिटी के लिए पर्चा निकाला है। मेरे पास भी यह पर्चा आया है, न मैं उसका हवाला देना चाहता हूं, न उसके आधार पर अपने तर्क बिल्ड अप करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह पर्चा माननीय मुख्य मंत्री के पास भी पहुंचा होगा। वे इस सम्बन्ध में जानकारी करेंगे और निराकरण करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यूनीवर्सिटी एजूकेशन की इन आॅथोरिटीज के बारे में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों करें? क्या आवश्यकता थी? आपने यह क्यों नहीं किया: नये कानून के अन्दर कि वाइस चान्सलर को लेने का प्रश्न था, उनके अपाइन्टमेंट का सवाल है, वह सिलेक्शन कमेटी की रिकमन्डेशन्स पर चान्सलर कर देगा। सवाल यह है कि जिन वाइस चान्सलर का अपाइन्टमेंट राजस्थान सरकार ने किया है और वह किया है इसलिए सरकार की बदनीयति थी कि अगर सिलेक्शन कमेटी बनी और उसने इनके लिए रिकमन्डेशन नहीं की तो वाइस चान्सलर नहीं बन सकेंगे। आपकी यह आंशका उचित नहीं है। क्योंकि कानून में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यवस्था है कि सिलेक्शन कमेटी बनेगी, उसमें बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट्स होंगे, एक यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का आदमी होगा, एक बोर्ड का नोमीनी होगा, एक इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का नोमीनी होगा और इस सिलेक्शन कमेटी की रिकमन्डेशन्स पर चान्सलर, वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेंट करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारा प्रेस्क्राइब्ड प्रासीजर है, फिर डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या आवश्यकता है ? आप नई व्यवस्था क्यों लाना चाहते हैं ? ऐसा लगता है कि आपकी मर्जी का जो होगा, जो आपकी इच्छा होगी, जिसे आप चाहेंगे, जिसको रखना चाहेंगे उसको आप रखेंगे और आप नहीं रखना चाहेंगे तो नहीं रखेंगे। जयपुर की यूनिवर्सिटी में आपने ऐसा ही किया है।

पहले आपने अमेंडिंग बिल पेश किया। उसके बाद आपने क्या किया कि नई यूनीवर्सिटी में आपने ऊपर से नीचे तक ऐसे ही आदमी भर दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, व्यक्ति विशेष की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों से आप यूनीवर्सिटी एजुकेशन के फील्ड में बड़ा भारी विष घोल देते हैं। उसका प्रभाव जन-मानस पर होता है, शिक्षा शास्त्रियों के मानस पर होता है, लेक्चरार्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स और रीडर्स के दिमाग पर असर पड़ता है और इन पर प्रभाव पड़ता है तो विद्यार्थियों को भी आप रिफ्लेक्ट करना चाहते है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों पर रिफ्लेक्शन आता है वह अच्छा नहीं है और प्रोफेसर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना अच्छा नहीं है।

प्रश्न यह आता है कि क्यों राजस्थान सरकार डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है ? राजस्थान सरकार इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है कि कुछ व्यक्तियों को संरक्षण देकर उनको बढ़ावा देना चाहती है। अगर राजस्थान सरकार डिस्क्रिमिनेशन रखना चाहती है तो उसको दूसरी जगहों पर रखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी जगहों में इन बातों को कीजिये, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, प्रशासन की बड़ी भारी मशीनरी है। राज्य सरकार के पास इतने बड़े महकमे हैं, उनमें सरकार इतना हस्तक्षेप करती है वह करतीं रहे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान के नाम पर इन सरस्वती के केन्द्र, इन सरस्वती के मन्दिर, जहां पर राजस्थान की भावी पीढ़ी तैयार होती है, में आप घुसने की कोशिश मत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इस प्रकार की चीज है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जुरिस्डिक्शन के बारे में रखा है कि जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जायगा वह राज्य सरकार नोटीफिकेशन के द्वारा डिसाइड करेगी। इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार के दिमाग में एक बात साफ नहीं है कि उदयपुर की जो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी है, उसका कितना जुरिस्डिक्शन होगा, उसका कितना एक्सपेंशन होगा ? उसके अन्दर में कितने कॉलेजेज आयेंगे ? कितनी उसकी पोटेंशियलिटी का एक्सपेंशन करने की आपकी मन्शा है—यह इस सरकार के दिमाग में साफ नहीं है और इसलिए लिख दिया है कि जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के बाद राज्य सरकार नोटीफिकेशन निकालेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि राज्य सरकार नोटीफिकेशन निकालेगी वह सदन में पेश करेंगे। आप पेश तो करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हम रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिसेन्ट्रलाइजेशन करना चाहते हैं और राजस्थान में जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया, उसका कानून पास किया, उसमें फैसला किया कि पंचायत समितियों की यह सीमा निर्धारित की है, यह पंचायत की सीमा निर्धारित की है, यह जिला परिषद की सीमा निर्धारित की है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी के मुताबिक सीमायें बना दी जायं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में जो तीन यूनिवर्सिटीज हैं, क्यों नहीं इनका डिमार्केशन कर सकते, क्यों नहीं इनका जुरिस्डिक्शन का फैसला कर सकते ? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी राजस्थान के शिक्षा शास्त्रियों से बातचीत हुई है। उनमें एक बड़ा भारी असंतोष राज्य सरकार की नीतियों के प्रति है। राज्य सरकार की सारी नीतियों से लगता है कि राजस्थान सरकार को शिक्षा के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार को शिक्षा की प्रगति के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। यह हो सकता है कि शिक्षा विभाग जिन मन्त्री महोदय के पास है उनको फुर्सत नहीं हो। यह हो सकता है कि शिक्षा विभाग के जो मन्त्री हैं उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि राज्य का शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, उतना खिलवाड़ शायद दूसरे किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे विशेष रूप से देखें। राजस्थान के बाकी के महकमे खराब हो जायेंगे तो वे ठीक हो जायेंगे। इन्डस्ट्रीज विभाग का कोटा ब्लैक कर दिया जाय, हजारों लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों पर मुकदमे चले हैं और कुछ ब्लैक लिस्ट हो गये हैं। वह सब ठीक हो जायगा। लेकिन राजस्थान का जन मानस और आगे आने वाली पीढ़ी का मानस खराब हो गया तो राजस्थान की जो कल्पनायें हैं, जो आशायें हैं वे धूल धुसरित हो जायगी।

अब मैं कुछ छोटी छोटी बातों के उदाहरण रखना चाहूंगा। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसलिए थोड़े में निवेदन करना चाहूंगा कि एक सवाल खड़ा हुआ, यूनीवर्सिटी ने एक रूल बनाया। रूल क्या बनाया कि सात अगस्त के बाद में किसी विद्यार्थी को एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ७ अगस्त को सप्लीमेंट्री की परीक्षा होती है और ७ सितम्बर को उसके परिणाम आते हैं। परिणाम आने के बाद ही कोई विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय ने नियम बनाया कि किसी विद्यार्थी को ७ अगस्त के बाद में प्रवेश नहीं मिलेगा। आप रिजल्ट देरी से निकालते हैं। आप सप्लीमेन्ट्री एग्जामिनेशन्स अगस्त में करें और उसका परिणाम सितम्बर में निकालते हैं और फिर आप कहते हैं कि एडमिशन ७ अगस्त से पहले पहले ले लेना चाहिये। आपने इसके लिये कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, न कोई गजट में आपने छापा किया, न अखबार में निकाला कि ७ अगस्त से पहले जो लड़के एडमिशन कालेज में नहीं लेंगे उनको एडमिशन बाद में नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लड़कों को क्या गारन्टी है कि वे सप्लीमेन्ट्री में पास हो ही जायेंगे और जब वे अपनी फीस पहले जमा करा देते हैं और बाद में फैल हो जाते हैं तो आप उनकी फीस तो वापिस देते नहीं, अतः १५०) की फीस जो वह जमा कराएगा वह यों ही चली जायेगी। समझ में नहीं आता कि आपने

(श्री सतिशचन्द्र अग्रवाल)

यह कौनसे आमदनी का नया तरीका निकाला है ? आपने इसके लिए लोगों को सचेत नहीं किया कि पहले एडमिशन लें, मगर जब सप्लीमेन्ट्री के रिजल्ट आये और लोगों ने एडमिशन मांगा तो आपने कहा कि ७ अगस्त से पहले एडमिशन ले लेना चाहिये था । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इस संबन्ध में युनिवर्सिटी के रूल्स बने हुए हैं ? इस तरह से छात्रों में और जनता में इसके प्रति असंतोष है ।

मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं वह यह है कि हाई स्कूल के फार्म भरे जाते हैं । बहुत से लड़के मेरे पास आए और कहा कि मजिस्ट्रेट एफिडेविट तस्दीक नहीं करते । यह एक छोटी सी बात है, मगर इतनी छोटी सी बातके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाना पड़ा और कहना पड़ा कि इसके लिये व्यवस्था की जाए ताकि उनके एफिडेविट तसदीक हो सकें । चीफ मिनिस्टर ने अपने कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी किया । मगर मुझे बड़ा अफसोस है कि सैकन्ड्री बोर्ड से उस सम्बन्ध में कोई आर्डर नहीं आया और उसका नतीजा यह हुआ कि मास्टरों ने फार्म नहीं लिये । लड़के फिर मेरे पास आए और कहा कि यह पोजीशन है । फिर मैं गया । ७ दिन तक कोई सूचना बोर्ड से नहीं आई और इसका नतीजा यह हुआ कि लड़कों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी और मुझे फिर चीफ मिनिस्टर से कहना पड़ा । बाद में चार दिन के बोर्ड से आदेश आये । आज १२ तारीख हो गई है और १५ तारीख लास्ट डेट ऑफ फॉर्म की है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एज्युकेशन का विभाग इस और कुछ ध्यान नहीं देता और एक प्रकार से लावारिशों का महकमा है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एज्युकेशन को रेशनलाइज करने जा रहे हैं । मगर इससे पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एज्युकेशन के महकमे को तो रेशननेलाइज कर लें, इसमें तो कोई झगड़ा तय नहीं करना पड़ता है । आपके आपसी झगड़े में यह तो नहीं होना चाहिये कि डिपार्टमेंट खत्म में जाए । आपस में मेल-जोल होना चाहिये, मगर आपके यहां ग्रुप्स बन गये हैं । आपकी व्यवस्था ऐसी बन गई है

युनिवर्सिटीज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं और बड़े सख्त अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जोधपुर, उदयपुर और जयपुर की युनिवर्सिटीज में कौनसी रेजीडेन्शियल होगी और कौनसी नोन रेज़िडेन्शियल होगी व कौनसी एफिलियेटेड होगी । आप आये दिन कानून में संशोधन लाते हैं और आए दिन वाइस चान्सलर की मयाद को आगे कानून द्वारा बढ़ाते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके इस प्रकार के रवैये को कोई भी आदमी उचित नहीं कहेगा । यह मैं आपकी सारी इनएफिशियेन्सीज को एक बार कह देना चाहता हूं ।

अभी कृषि मंत्री ने सदन की मेज पर First Statutes of the Rajasthan Agricultural University की कॉपी रखी उसमें लिखा है :

"In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section ......(1) of the Rajasthan Agricultural University Act 1962, the State Government hereby makes the following first statutes of the Rajasthan Agricultural University."

राजस्थान सरकार को यह अधिकार दिया। यह एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कब बनी और अपका यह First Statutes ७ अगस्त को बनता है । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि साल भर तक आपने कैसे काम किया ? किसके हुक्म

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
से काम किया गया किसका हुक्म नामा चला ? सारी व्यवस्था कैसे हुई ? लेकिन हमारी राज्य सरकार के अधिकारी अमेरिका जा रहे हैं, आॅस्ट्रेलिया जा रहे हैं । भेड़ों को देखते हैं मगर वे यह नहीं देखते कि हमारे यहां करोड़ों स्टुडेन्टों का क्या हो रहा है । मगर भेड़ें देखते हैं । मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में कोई खराब भेड़े नहीं हैं । जैसलमेर में बहुत अच्छी भेड़े हैं । क्या फर्क पड़ता है यदि ६ इन्च ऊन हो और ८ इन्च लम्बी नहीं हो । आपने First Statutes साल भर में बताया और बाद में सदन की मेज पर रखा । यह १९ अगस्त को शाया हुआ । आज नया कानून यह कहता है धारा १६ सब-क्लॉज :

(1) All Statutes and Regulations all notices and orders made or issued under this Act shall so far as such Statutes, Regulations, notices and orders are not inconsistent with the provisions of the Rajasthan Agricultural University (Amendment) Act 1963, shall continue in force until they are superseded or modified or withdrawn under the provisions of this Act, and"

कौनसा एक्ट है जिसकी तहत से रूल्स बनेंगे । आप कन्टीन्यु किसको करना चाहते हैं ? उसके लिये आपका लॉ डिपार्टमेंट विचार करेगा । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार कानून बना देती है और नियम नहीं बनाती ।

अगर किसी कानून को बदलना होता है तो बदल दिया जाता है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि यहां पर नियमों का राज्य नहीं, कानून का राज्य है और डन्डे का राज्य है । आप साल साल बाद फर्स्ट स्टेचूट्स बनाते हैं और यहां पर यूनिवर्सिटीज का तो मैं यह कहूंगा कि भगवान ही मालिक है और भगवान ही भला करे ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा । हमारी राजस्थान सरकार को एक प्रकार का मीनिया होता जा रहा है और वह क्या है, हर कानून में Removal of difficulties का क्लॉज है । इसके लिये हमारे यहां का कानून विभाग है । वह उसका समर्थन कर देता है और कह देते हैं कि ऑल इन्डिया के कानून में ऐसा है । इसलिये इसमें भी इस प्रकार का क्लॉज होना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें कौनसी डिफिकल्टी आने वाली है मैं माननीय उप-मंत्री से कहूंगा कि वे खड़े होकर सदन में बता दें कि आपको कौनसी डिफिकल्टी आने वाली है । अभी खड़े होकर कहिये, मगर मैं कहूंगा कि कोई डिफिकल्टी नहीं है । मैं यह कहूंगा कि आपने ये सारे प्रोविजन्स किये हैं वे किस लिये किये है :

If any question arises regarding the interpretation of any Provisions of the Rajasethan Agricultural University Act, 1962 or the Amending Act or of any........."

आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है । आप इसके "removal of difficulties" का अधिकार क्यों लेना चाहते हैं । इसलिये कि जिन अधिकारों को हमने आपको नहीं दिया उनको इन कानून से लेना चाहते हैं । इस कानून का इन्टर प्रिटेशन इस नाम से करना चाहते हैं । मैं यह कहूंगा कि इन्टरप्रिटेशन का काम तो कोर्ट का है । समझ में नहीं आता कि आप इस प्रकार की परिस्थितियें क्यों पैदा करते हैं ? जयपुर का मामला चला । मैं यह नहीं चाहता कि वाइस चान्सलर के एपोइन्टमेंट को लेकर लोगों को रिट करनी पड़े या किसी को हाई कार्ट में जाना पड़े । मगर मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की बातें होती क्यों हैं ? यह इसीलिये होती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन युनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करके कमेटी

Page No 49

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बनाते हैं और मनमाने ढंग से कमेटी का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इसी प्रकार की बातें राजस्थान में बराबर चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमें इस पर गंभीरता से सोचना पड़े।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह टीचर्स के बारे में है। आपने सबको रिप्रेजेन्टेशन दिया है, मगर टीचर्स को क्यों नहीं दिया ? आपके कॉलेजेज जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में हैं लेकिन उनमें टीचर्स का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। इसलिये कि वे लोग गरीब हैं, छोटे हैं, उनको कम तनख्वाह मिलती है, उनकी यूनिवर्सिटी में कोई बात नहीं है। १००)रु पाने वाला टीचर्स उन बड़े बड़े आदमियों के बोर्ड में कैसे बैठ सकता है ! यह आपने समझा है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि बराबरी की भावना पैदा करनी चाहिये। यह भावना आपकी नहीं होनी चाहिये कि बड़े आदमियों के साथ छोटा आदमी नहीं बैठे। आपने सारे गरीब टीचरों को छोड़ दिया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर फिर से विचार करें और उनको रिप्रेजेन्टेशन दें। यह खामी कानून में है इसको दूर करें। बाकी सारी चीजें सुधारी और बर्दाश्त की जा सकती हैं मगर युनिवर्सिटी एज्युकेशन में यदि टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया तो हम जिस प्रकार से एज्युकेशन के स्टेन्डर्ड को सुधारना चाहते हैं वह नहीं सुधार सकेंगे। इसलिये हमने कहा है कि इसको जन-मत जानने के लिये भेज दिया जावे कि जनता की इसमें क्या राय है। युनिवर्सिटी के कर्मचारी कहेंगे कि हमारी सर्विसेज की गारन्टी होनी चाहिये। आपने वाइस चान्सलर को गारन्टी कर दी है, उसके एपोइन्टमेंट की गारन्टी कर दी है। सारे चतुर्थ श्रेणी के टेम्पोरेरी आदमी हैं उनको गारन्टी होनी चाहिये। जब कोई नया आदमी आएगा तो अपनी मर्जी के लोगों को नौकर रखेगा और जो टेम्पोरेरी है उनको बाहर कर देगा, इसके लिये क्या प्रबन्ध होगा। यदि आपकी यही मर्जी हो और यदि यह मर्जी नहीं हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने कर्मचारी हैं, जिनको यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने नियुक्त किया उनकी सर्विसेज को कन्टिन्यू करना चाहिये, वह कानून के अनुसार है, नियमों के अनुसार है। इस प्रकार के अधिकार राजस्थान सरकार ने इस कानून में संशोधन के द्वारा अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, इससे तो तानाशाही बढ़ेगी और शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में ऐसी अपवित्र चीजें आयेंगी जिनसे कि राजस्थान के उज्जवल भविष्य का सपना धूमिल हो जायगा और इसकी हमें विशेष रूप से चिन्ता है, क्योंकि उधर के मन्त्रियों को तो इसकी कोई चिन्ता नहीं क्योंकि वे देखते हैं कि हमें तो मौका ही नहीं आयेगा क्योंकि वे देखते हैं कि उधर कामराज प्रस्ताव है, इधर सेकिन्ड लिस्ट बनने वाली है, मुख्य मंत्री भी सोचते हैं शायद मैं भी चला जाऊं और उप-मंत्री सोचे हुए हैं सारा कार्य भार मेरे ऊपर आये। कृषि मंत्री को तो कोई चिन्ता ही नहीं है, इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल सदन में आया है और उधर वे दौरे पर गये हैं। तो इस तरह मंत्रियों की चिन्ता नहीं है वे देखते हैं कि हमें तो वह दिन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमें तो जो दिन देखना है, हमें तो राजस्थान के उज्जवल भविष्य के उन स्वप्नों को साक्षात् करना है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी

(श्री सतिशचन्द्र अग्रवाल)

भावना शुद्ध है, अगर आप विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं तो राजस्थान के अन्दर हिन्दुस्तान के एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाइये। यूनिवर्सिटी खोलने की आपकी इच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हर साल १५० लड़के पास हो कर निकलते हैं, उनमें से केवल ४० को नौकरी मिलती है और ११० बेकार रहते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं दे सकते और पूछने पर कृषि मंत्री सदन में खड़े हो कर कह दें कि बेकार हैं तो हम क्या करें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो यह कोई प्लानिंग नहीं। एक साल में यदि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को राजस्थान सरकार राजस्थान के अन्दर नौकरियां नहीं दे सकती, उन्हें खपा नहीं सकती, एग्रीकल्चर के फार्म दे कर, जमीनें दे कर बसा नहीं सकती, काम पर नहीं लगा सकती तो क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी खोलने की। फिर आप इसके दायरे को बढा रहे हैं, आसन से डिस्एप्रूव किया गया। यूनिवर्सिटी से निकले हुए मारे मारे फिरें, जिनको आप भूमि नहीं देते, नौकरियां नहीं देते, बसाने की व्यवस्था नहीं करते। केवल डिप्लोमा डिग्री दे देते हैं। यह कोई प्लानिंग का तरीका नहीं, प्लानिंग नहीं कि जो ग्रेजुएट निकलें उनको अपनी स्टेट में काम पर नहीं लगा सकते जमीन दे कर बसा नहीं सकें, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में राजस्थान सरकार का रवैया गलत रहा है, उपेक्षापूर्ण रहा है, हस्तक्षेप करने का रहा है इसको राजस्थान सरकार बदलेगी और राजस्थान में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये एक्सपर्ट्स की कमेटी का निर्माण करके एजुकेशन के मसले पर विचार करेगी।

केवल इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय, इसे पारित किया जाय। यह निवेदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : मैं बीच में कुछ कह सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता था कि जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल को यहां प्रस्तुत किया गया था तो कुछ माननीय सदस्यों ने उस समय एतराज उठाया था कि केवल एग्रीकल्चर फैकल्टी की यूनिवर्सिटी होना, यूनिवर्सिटी की दृष्टि से उपयुक्त बात नहीं हो सकती। उस वक्त हमने कहा था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम देकर स्थापना करने का मूल कारण यह है कि इसमें जो यू. एस. ए. की तरफ से सहायता मिलने वाली बात है उन्होने एक पैटर्न हिन्दुस्थान मे कुछ स्टेट्स में यूनिवर्सिटी स्थापित करने का इवोल्व किया है। उनसे सहयोग प्राप्त हो सके इसलिये हमने इस लाइन पर इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का फैसला किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और भारतवर्ष की एग्रीकल्चर मिनिस्टरी के साथ बात की और एग्रीकल्चर मिनिस्टरी ने भी इसी बात को स्वीकार किया कि इसके साथ 'एग्रीकल्चर' शब्द जोड़ते हैं उसको ड्रॉप किया जा सकता है, जिससे कि ऐसी बात इसमें नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आये । इसके बाद हम लोग अमेरिका गये तो ओहियो में गये थे वहां प्रेसिडेन्ट और डीन्स दूसरे थे जिनकी सलाह पर खास तौर से इस प्रकार की व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी के लिये की थी । हमने उनके सामने यह प्रश्न रखा और कहा कि आज के दिन यूनिवर्सिटी शब्द से जो इसका भाव आना चाहिये वह एग्रीकल्चर शब्द से सीमित हो जाता है और शिक्षा जगत में एक फैकल्टी की बात कही जाती है वह उपयुक्त नहीं समझी जाती, इसलिये कि वे सहमत हो जाय कि यूनिवर्सिटी की तरह अपने यहां डेवलप करके एग्रीकल्चर के लिये एग्रीकल्चर बायस होने का सारा का सारा आधार बने तो उपयुक्त होगा ।

अमेरिका में हर स्टेट में, करीब १०० वर्ष पहले लैंड ग्रान्ट्स कालेजेज शुरू हुए थे, उनके बनने के बाद लैंड ग्रान्ट्स कालेजेज एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिये थे इस वास्ते गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि जो कालेजेज स्थापित किये जायं उनको बड़े बड़े जमीनों के क्षेत्र दे दिये जायं । फिर समय की गति के अनुसार जितने लैंड ग्रान्ट कालेजेज स्थापित हुए वे फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गये । Ohio यूनिवर्सिटी भी लैंड ग्रान्ट कॉलेज की तरह शुरू हुआ था और सारे के सारे कालेजेज फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज में बदल दिया तो हमने उनसे कहा कि आपके यहां यह परिस्थिति हुई है तो हमारे यहां यह कम्पल्शन क्यों रखते हैं ?

दूसरे इसके साथ साथ एम. आइ. टी. अमेरिका में है वह दुनियां में एक मानी हुई संस्था है, उसने ह्यूमेनिटीज और दूसरी व्यवस्था की है, इस आर्ग्युमेन्ट को रखा कि इसको एग्रीकल्चर बायस देकर और फैकल्टी इसके साथ रखी जाती हैं तो आउटलुक ब्रोड-बेस्ड बनता है । दूसरी जगह की बनी है तो हमारे यहां पर भी एतराज नहीं होना चाहिये । वहां पर उनके डीन्स और प्रोफेसर थे उन्होंने आश्वासन दिया कि आप परिवर्तन करते हैं तो भी हमारा सहयोग प्राप्त होता रहेगा । हमने बताया कि आपके यहां लैंड ग्रांट कॉलेजेज शुरू हुए थे । आपके पास...दूसरे नहीं थे, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज़ हैं ।

तो उनके द्वारा इस बात को स्वीकार करने के बाद हमारे सामने जो रुकावट थी कि आगे से सहयोग देंगे या नहीं, इस प्रश्न को हमने यहां हल किया ।

दूसरे यह माननीय सदस्यों की जानकारी में होगा कि हमने अपने पुराने कानून में यह व्यवस्था रखी थी कि जो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल है उसका चैअरमैन और वाइस चान्सलर अलग हो । यह व्यवस्था और मसला उनका सजेस्ट किया हुआ था । हमने कहा कि यह भी वाइस चान्सलर की स्टेटस से मेल नहीं खाता । वह बोर्ड आफ कन्ट्रोल का चैअरमैन नहीं हो तो वाइस चान्सलर एक एम्प्लोई की तरह हो जाता है, उसका जो असर यूनिवर्सिटी पर होना चाहिये वह नहीं होता इसलिये हम वहां गये उससे पहले भारतवर्ष में पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित हुई उसमें यह व्यवस्था की जा चुकी थी । मिस्टर थापर, जो पुराने आई. सी. एस. हिन्दुस्तान में रहे हैं वे इसके वाइस चान्सलर हैं । उनको वाइस चान्सलर बनाया जा रहा था तो उन्होंने यह रखा कि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का चैयरमैन भी मुझे ही बनाते हो तो ठीक है, वर्ना केवल वाइसचान्सलर बनने वाली स्थिति को मैं स्वीकार नहीं करता ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उस पर से वहां के एक्ट को उसी प्रकार का बनाया गया । वहां चेयरमैन बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल ग्रौर वाइस चान्सलर के पद एक हैं ग्रौर दोनों में ग्रन्तर नहीं है । हम यह चाहते हैं कि उनसे ग्रच्छे से ग्रच्छे व्यक्तियों को ला सकें । यदि दोनों के पद में ग्रन्तर हो, व्यवस्था की दृष्टि से वाइस चान्सलर का ग्रलग हो तो फिर उसका युनिवर्सिटी पर ग्रसर पड़ता है । दोनों ही पद एक के पास हों तो यह उपयुक्त रहता है । केवल वाइस चान्सलर का ही प्रश्न नहीं रहता है, सिन्डीकेट सीनेट वगैरह से सारी व्यवस्था युनिवर्सिटी की चलती है । एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ग्रॉफ इन्डिया को भी दिक्कत हो सकती है । ग्रतः युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की राय को सामने रखते हुए, ग्रमेरिकन हेल्प इसमें मिलती है उस दृष्टिकोण से भी जो संशोधन लाया गया है उसकी पूर्ति के लिए, मुझे याद है, इसी सदन में माननीय सदस्यों ने कहा था 'एग्रीकल्चर' शब्द युनिवर्सिटी के सामने जोड़ना उपयुक्त नहीं है, उस समय रुकावट थी, उनको दूर करने के बाद यह ग्रमेंडिंग बिल ग्राज यहां सदन में उपस्थित किया गया है ग्रौर इसके पीछे यह भावना है कि एग्रीकल्चर वायस रहे लेकिन उसमें हयुमेनीटीज़ ग्रौर दूसरी चीजें ग्रा सकती हैं । जैसे साइन्स में है बोटोनीज़ में ग्रवेलेबल हों ग्रौर दूसरी साइन्स की फैक्लटीज़ में भी ग्रवेलेबल हों । यही नहीं उनको दूसरी तरह डेवलप करें ग्रौर उनका लिन्क न किया जा सके इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यह संशोधित बिल रखा गया है । बीच में मैंने सदन का समय लिया माननीय सदस्यों का उन बातों की ध्यान ग्राकर्षित करने के लिए ।

श्री सतिशचन्द्र ग्रग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : एकेडेमिक कौंसिल, डीन्स ग्रौर चेयरमेन के बारे में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारी स्थिति का ग्रध्ययन करने के बाद सेकिन्ड थोट के लिए विचार किया जा सकता है । ग्रब भी हैड्स ग्रॉफ डिपार्टमेन्ट्स ग्रौर डीन्स को इसमें स्थान दिया गया है ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य-मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी के बारे मे युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ग्रौर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ग्रॉफ इन्डिया ने इस प्रकार के कमेन्ट दिये हैं जिसका नोट समाचार-पत्रों में ग्राये हैं ग्रौर वह नोट मुख्य मंत्रीजी के पास पहुँचा होगा । क्या वे उस नोट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिससे माननीय सदस्य उसको ग्रध्ययन करके उस पर चर्चा की जा सके उनके द्वारा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस वक्त नोट यहां तो है नहीं । जैसा ग्रखबारों में ग्राये ग्रापने कहा ग्रौर मैं जो सूचना दे रहा हूं वह एक मूल ग्राधार पर बात है । एग्रीकल्चर तक ही इसको सीमित न रखने जैसी बात के ऊपर ग्रमेरिका ग्रौर दूसरे रिप्रेजेन्टेटिव्ज ग्रौर हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है । वह नोट यहां है, कहां है, मेरी जानकारी मे नहीं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ग्रध्यक्ष महोदय, जो ग्रभी प्रस्ताव माननीय ग्रग्रवाल साहब ने रखा था मैं उसका समर्थन

Page No 53

(श्री विजयसिंह झाला)

करता हूं और मेरा भी यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय । अभी जैसा कि मालूम हुआ माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि उनकी विदेश यात्रा के बाद राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में एक नया मोड़ देने का प्रथम प्रयास है तो मेरी समझ में यह प्रथम प्रयास जो कि वे राजस्थान की जनता के लिए दे रहे हैं वह एक सुचारु रूप से दें, एक व्यस्थित रूप से दें ताकि उसका प्रभाव आगे जाकर के ठीक रहे ।

जहां तक इस संशोधन के लाने का उद्देश्य है, सिद्धान्त है मैं उसका स्वागत करता हूं । राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय, उदयपुर के अन्दर विभिन्न शाखा और खोलने का इसमें प्रावधान है और इसके साथ साथ जो कुछ बोर्ड की व्यवस्था के बारे में पहले विधेयक के अन्दर जो खामियां थीं उनको निकालने का अभी प्रयास किया गया है तथा साथ ही साथ अध्यापकों का भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व लिया गया है । इन तीनों उद्देश्यों से इस संशोधन को लाया गया है । अब देखना है कि इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है ? इस विषय में मैं संक्षेप में सदन के सम्मुख अपने विचार रखना चाहता हूं ।

जिस समय राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय का निर्माण हुआ उस समय हमने यह सोचा था कि कृषि के क्षेत्र में एक इस प्रकार का एक्सपर्ट विश्व विद्यालय खोला जाय जो कि कृषि की शिक्षा को सही रूप से चला सके । अतः हम इसी के अन्दर विभिन्न शाखायें खोल रहे हैं । देखना यह है कि जिस उद्देश्य से एक कृषि विश्व विद्यालय खोला है उस उद्देश्य में किसी तरह का हस्तक्षेप तो नहीं होगा ? क्या वह सेकेन्डरी एम तो नहीं हो जायगा और जिसका काम कृषि के क्षेत्र में था राजस्थान में, शिक्षक या शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में किसी प्रकार का अभाव या प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? ऐसी स्थिति में जो विभिन्न शाखा है कृषि विश्वविद्यालय में ला रहे हैं यह देखना पड़ेगा जिस उद्देश्य से एक विश्व विद्यालय कृषि के लिए खोला था एक स्पेशल पर्पज के लिए, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये ।

जहां तक अध्यापकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है केवल दो अध्यापकों के प्रतिनिधियों को इसमें लिया गया है । मैं समझता हूं कि दो अध्यापकों की संख्या पर्याप्त नहीं होती । एक विश्वविद्यालय में काफी संख्या में अध्यापक होते हैं । आपने प्रिन्सिपल और अध्यक्ष की संख्या दो की है । जिनकी संख्या कम होती है उसको तो आप दो की संख्या दे देते हैं और जिन अध्यापकों की संख्या अधिक है, विस्तृत है उनका दायरा, उसमें उनके केवल दो प्रतिनिधि ही लिये, यह मैं उपयुक्त नहीं समझता । कम से कम उनकी संख्या दस करनी चाहिये । दस नहीं तो कम से कम पांच तो होनी ही चाहिये ।

उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले की व्यवस्था थी बोर्ड की उसमें भी कुछ परिवर्तन आप लाये हैं । सबसे पहले जहां तक नाम का प्रश्न हैं 'राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय' हटा कर 'उदयपुर विश्व विद्यालय' रखा है और विश्व विद्यालय इसलिए रखा कि विभिन्न शाखा उसमें ला रहे हैं इसलिए 'कृषि' शब्द को हटा लिया जाय । जब मूल विधेयक इस सदन में आया था उस

(श्री विजयसिंह झाला)

समय उप शिक्षा मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा था इस कृषि विश्वविद्यालय के नाम के बारे में।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : माननीय सदस्य ने रखा था, न कि शिक्षा उप-मन्त्रीजी ने।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय निरंजननाथ आचार्य जो राजसमन्द से चुन कर आये हैं उन्होंने रखा था। अब वे उप शिक्षा मन्त्री हो गये हैं। जिस नाम के श्रेय को लेकर आप उप शिक्षा मन्त्री बने है ऐसी स्थिति में आशा करता हूं कि एक सदस्य की हैसियत में जिस नाम के प्रति आपकी श्रद्धा थी, उप–मन्त्री बनने के बाद भी वह श्रद्धा रहेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई दूसरे नाम आ गये थे, अकबर और, इसलिये छोड़ दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अकबर के नाम से आप प्रताप को भूल जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इतना असर हो गया है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं विश्वास दिलात्ता हूं कि प्रताप के नाम के प्रति घृणा करने वाला कोई नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रस्ताव पर श्रद्धा थी और उप शिक्षा मन्त्री बनने के बाद भी उसी प्रकार की है जैसी श्री उपाध्याक्ष जी की है। इसलिये इसका नाम प्रताप विश्व विद्यालय रखा जायगा ताकि वह भूमि जो आज प्रताप के पीछे जीवित है इसलिये इनका नाम विश्व विद्यालय के साथ जोड़ने से उनका सदा स्मरण रहेगा। खास तौर पर आज की संकट कालीन स्थिति में प्रताप विश्व विद्यालय से लोगों में वीरता जाग्रत होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् में उन क्लॉजेज पर जो कि पहले के हटाकर उनकी जगह नये क्लॉजेज जोड़े गये है उनके बारे में भी अपने विचार रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त उपकुल पति विश्व विद्यालय का पूर्ण–कालिक वैतनिक पदाधिकारी होगा तथा कुलपति द्वारा सिलेक्शन कमेटी, जिसमें निम्नलिखित होंगे की सिफारिश पर नियुक्त किया जायगा।

इसके बारे में पहले भी आलोचना हो चुकी है। जो कमेटी है उसमें राजनीति के आधार पर विचार होगा, लेकिन उस समय यह माना नहीं गया। आज उस कमी की पूर्ति करनी पड़ी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उपधारा १ जिसमें बोर्ड द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति को लिया जायगा। पहले केवल यह था बोर्ड द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो विश्व विद्यालय या कॉलेज से सम्बन्धित नहीं। इससे स्पष्ट मालूम होता है राजनीति का उसमें प्रवेश हुआ है जिससे ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जो किसी कॉलेज से सम्बन्धित होगा। बहुत सोच विचार करके इन्टरेस्ट लेकर उसमें कुलपति के लिये शिफारिश का नया संशोधन लाना पड़ा।

मैं समझता हूं इस प्रकार क्लॉज २,३,४ इस प्रकार के हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। क्लॉज २ के अन्दर नियुक्ति का जहां रखा है उसमें केवल यह लिखा है "विश्व विद्यालय का एक व्यक्ति" आपने आगे आकर स्पष्ट नहीं किया, यह व्यक्ति कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय से संबन्धित होगा।

(श्री विजयसिंह झाला)

इसी प्रकार क्लॉज ३ के अन्तर्गत स्पष्ट नहीं किया गया है। शिक्षा विज्ञ एक व्यक्ति था, अब कहा है किसी भी विश्व विद्यालय से सम्बधिन्त हो सकता है, किसी कॉलिज से सम्बन्धित हो सकता है। कॉलिज के लिये संशोधन लाना पड़ा, वह संशोधन आगे भी लाना पड़ेगा। जो रेस्ट्रिक्शन राजनीति के आधार पर लाने पड़े वह पूर्ति नहीं होगी तो इसी प्रकार संशोधन आगे भी लाने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ के अन्दर उप कुलपति के लिये जो नया क्लॉज़ लाई गई वह पहले वाली धारा से बहुत खराब है। उप कुलपति का स्थान खाली होता है तब उसका चुनाव इस प्रकार होगा "जब उपकुलपति का पद अवकाशकारणात् अथवा उसकी पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय अथवा रिक्त होजाने की संभावना हो तो उक्त रिक्ति राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलपति द्वारा भरी जायगी"। मेरी समझ में यह अच्छा प्रावधान था। इसको हटाकर मोनोपोली सरकार की करना चाहते हैं। इसमें उप कुलपति का स्थान रिक्त होगा सरकार की सिफारिश पर वह नियुक्त करेगा इसको मैं ठीक नहीं समझता। इसलिये पहले जो प्रावधान था वही उपयुक्त रहेगा।

इसी प्रकार क्लॉज ६ के अन्दर पहले यह था कि उप-कुलपति पहले बोर्ड को त्याग-पत्र दे सकता था। नया जो प्रावधान करने जा रहे हैं उसके अनुसार उप-कुलपति को अपना त्याग-पत्र कुलपति को देना पड़ेगा, इसका विरोध करता हूं। बोर्ड को वह त्याग-पत्र दे सकता था, यह तो ठीक था, किन्तु कुलपति और उप-कुलपति के नहीं बने वैसी हालत में उसका त्याग-पत्र कुलपति को दे, वह कन्डीशनल इस्तीफा होगा, वह कुलपति के अवैधानिक कार्य से इस्तीफा देना चाहता है। इसका निर्णय कुलपति करें, मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता। पहले जो प्रावधान था कि बोर्ड को त्याग-पत्र देना चाहिये वह ठीक था। अगर उप-कुलपति कुलपति के कारण इस्तीफा देते हैं तो वह बोर्ड के सामने उपस्थित होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो कुछ अधिकार विद्वत परिषद को था वह इसमें से हटा दिया गया है, इसका मैं प्रजातंत्र तरीके से विरोध करता हूं। जिस प्रकार का पहले प्रावधान था विद्वत परिषद को जो अधिकार थे वे उसी प्रकार होने चाहिये।

इसके साथ साथ क्लाज १३ के अन्दर बोर्ड के निर्माण के बारे में लम्बी-चौड़ी व्यवस्था की है। पदेन सदस्य की जो उपधारा थी उसके अन्दर जो नियुक्ति की गई है उसका मैं विरोध करता हूं। यह सारा का सारा गठन सरकारी मोनोपोली का परिचायक है। इसके अन्दर शिक्षा मंत्री, राजस्थान, कृषि मंत्री, राजस्थान, मुख्य न्यायाधीश, विकास आयुक्त वित्त सचिव, कृषि सचिव, इस तरह से जितने भी कृषि से सम्बन्धित अधिकारी हैं उन सबको इसमें ले लिया गया है। इसके बाद में जाकर एक प्रतिनिधि राजस्थान विधान सभा का लिया है वह भी अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वह नियुक्त कर दे। अध्यक्ष के प्रति सदन को विश्वास है वे जिस किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि एक सदस्य इस विधान सभा का जाय यह ठीक नहीं है मैं इसका अध्यक्ष द्वारा नियुक्त करना प्रजातन्त्र तरीके से विरोध करता हूं और मैं यह सुझाव देता हूं कि एक की जगह कम

(श्री विजयसिंह झाला)

कम पांच सदस्य होने चाहिये और जो निर्वाचित प्रणाली से जायं, यह इसलिये आवश्यक है कि जहां हम कृषि विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो वह सदन के समक्ष आकर रखी जा सकती है। पांच सदस्य जो होंगे उसमें विरोधी दल के कुछ सदस्य हो सकते हैं इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिये।

वित्त सचिव को आपने इसमें ले लिया है, वित्त मंत्री को नहीं लिया, वित्त मंत्री को अवश्य लेना चाहिये। आपसी झगड़े के कारण आप नहीं लेते हैं तो यह ठीक नहीं। वित्त सचिव से वित्त मंत्री का पद इम्पोर्टेन्ट है। जहां आप शिक्षा मंत्री को लेते हैं, कृषि मंत्री को लेते हैं तो वित्त मंत्री को लेने में क्यों आपत्ति होनी चाहिये, जिसके आधार पर आप खर्चा चलायेंगे ? इसलिये जहां वित्त सचिव को लेते हैं वहां वित्त मंत्री को अवश्य लेना चाहिये।

मैं समझता हूं, यह इस प्रकार का विश्वविद्यालय होगा जो ज्यादातर कृषि से सम्बन्धित है। बहुत सी प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज आ सकती हैं, जो कृषि के बारे में नहीं समझते, उन अनएजुकेटेड लोगों को कृषि सम्बन्धी ज्ञान ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में किसानों का प्रतिनिधित्व बोर्ड में लेना चाहिये। पढ़े-लिखे लोग जिनके पास डिग्री होते हुए भी प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता है ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें रिप्रेजेन्टेशन ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन्स का भी होना चाहिये। कृषि निपुण का जिस तरह से जिला परिषद में किया है इसी प्रकार किसान को इसमें भी लेना चाहिये। जिला परिषद् का कृषि निपुण ले लीजिये या प्रोग्रेसिव फार्मर को ले लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, इसमें नगर निगम के अध्यक्ष को भी लिया गया है, इसमें जिला प्रमुख और जिला परिषद के एक सदस्य को भी नहीं लिया गया, एक सदस्य जिला परिषद का भी इस बोर्ड में लेना चाहिये।

(५.०० म० प०)

साथ ही साथ सब क्लॉज (६) के अन्दर जो अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया है उसकी संख्या २ से बढ़ाकर ५ कर दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, पहले उप-कुलपति कार्यकारिणी और बोर्ड का अध्यक्ष दोनों होगा, ऐसा प्रावधान किया है। अब चूंकि कार्यकारिणी निर्वाचित होती है तो उसका अध्यक्ष भी निर्वाचन प्रणाली से आना चाहिये। यह मैं अपनी ओर से सुझाव देता हूं।

साथ ही साथ जो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि बहुत सी आपत्तियां इस एक्ट की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा क्लीयर करनी होंगी। तो मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ताकि आपके दिमाग में भी जो डिफिकल्टीज़ हैं वे भी ठीक हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विश्व विद्यालय का सवाल है उसे ऐसा करना चाहिये कि आस पास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें वे अपने ज्ञान का परीक्षण करें और उनको उसका लाभ दें ताकि उनकी कृषि की उपज

(श्री विजयसिंह झाला)

में वृद्धि हो सके, इस तरह की भी कोई योजना बनानी चाहिये।

जैसा अभी एक सुझाव आया कि जो विद्यार्थी इस कृषि विश्वविद्यालय से निकलें उनको और काम नहीं मिलता है और वेकारी की संख्या वे बढ़ाते हैं तो उनके लिये भी जमीन कृषि करने के लिये देने का प्रावधान होना चाहिये, तो मैं इसका समर्थन करता हूं।

अब जिस उद्देश्य से ये संशोधन लाये गये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके स्थान के विवाद में मैं नहीं पड़ता और साथ ही इसका नाम प्रताप विश्व विद्यालय हो, यह मेरा मत है और फिर मैं एक बार और माननीय उप-शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पहले इसमें उन्होंने उत्सुकता दिखाई थी वैसी दिखाते रहें, जल्दी न करें, ताकि जिस प्रकार दूसरे विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था फैल रही है, वैसी यहां भी फैल जावे।

मैं उनका ध्यान उन विश्वविद्यालयों की ओर दिलाता हूं जिनमें उन्होंने कम्पलसरी अंग्रेजी में ८० प्रतिशत मार्क पर पास करने का प्रावधान रखा है। आज जो प्रथम श्रेणी का विश्वविद्यालय है वह भी पचास प्रतिशत मार्क आने वाले को अच्छी श्रेणी में पास कर देता है तो यह कैसा प्रावधान है इस विश्वविद्यालय का कि वह ८० प्रतिशत आने पर पास करेगा अंग्रेजी में।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : यह कौनसे क्लॉज के बारे में बहस हो रही है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं बता रहा हूं विश्वविद्यालयों की अव्यवस्था के बारे में। कि जल्दी जल्दी में वे कितनी बड़ी भूलें और अव्यवस्था का बीज बोते हैं और शिक्षा जैसे पवित्र स्थानों को वे बिगाड़ रहे हैं किस प्रकार से बिगाड़ रहे हैं, यह बता रहा हूं। आप इस तरह से बिगाड़ने की चेष्टा न करें, यह निवेदन कर रहा हूं। आज इन अव्यवस्थाओं को किसी प्रकार से भी ये चैक नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी नमूना यह है। आज आपके शिक्षा विभाग में इस प्रकार की अव्यवस्था बहुत जल्दी ही परीक्षा के परिणामों पर भी असर डालने जा रही है। मानसिक स्तर जो उनका है और जिसके अनुसार वे अंग्रेजी की जिद्द छोड़ नहीं सकते तो इनके ये इस तरह के कारनामे उनका मानसिक स्तर भी बिगाड़ रहे हैं।

मेरा यह भी सुझाव है कि जहां तक इस विश्व विद्यालय की कृषि सम्बन्धी शिक्षा का सम्बन्ध है उसका क्षेत्र सारे राजस्थान में बढ़ा दिया जावे तो भी हर्ज नहीं होना चाहिये। दूसरी फैकल्टियों का जहां तक सम्बन्ध है, उन्हें भले ही आप उदयपुर तक सीमित रक्खें। बाकी जो टैक्निकल शिक्षा है उसका जितना प्रसार हो सके वह किया जाना चाहिये ताकि हमारी इस टैक्निकल क्षेत्र की खामियां जल्दी पूरी हो सकें।

इन विचारों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, साल भर का भी समय नहीं हुआ कि यूनीवर्सिटी का नाम बदलने का सवाल सदन में आ गया है। जिस वक्त पिछले साल इस यूनिवर्सिटी का नामकरण संस्कार किया जा रहा था उस वक्त यह प्रयत्न किया गया था कि इसका नाम उदयपुर यूनीवर्सिटी रख दिया जाय। पर इसके बाद उसे वाइड स्कोप देने के लिये नया अमेन्डमेन्ट बिल साल भर के अर्से में ही यहां आ गया। तो इस प्रकार कानून बनाने की जो यह आदत है, उसमें एक खींचतान की परम्परा चल गई है। इसका शिकार टीनेन्सी एक्ट भी हुआ है। इससे जनता को बड़ी परेशानी होती है।

जहां तक विद्या जगत का प्रश्न है वहां तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये, वहां तो कोई भी काम किया जावे काफी सोच-समझ कर किया जाना चाहिये। जहां तक इसके स्कोप को वाइड करने का सवाल है, यह तो ठीक बात है। पर यह देखना चाहिये कि जितनी यूनीवर्सिटियां राजस्थान में हैं, तीन हैं, उनको फीड-अप करने के लिये उतने कॉलेज भी हैं या नहीं, उतने विद्यार्थी भी हैं या नहीं। वर्ना यह होगा कि मध्यभारत और गुजरात के विद्यार्थी लिये जावेंगे और राजस्थान के विद्यार्थियों का हक मारा जावेगा।

यह समस्या अभी भी हमारे यहां होती है। माननीय उप-मन्त्री जी भी कहा करते थे कि चित्तौड़ में इसी तरह से भर्ती का मसला आया था सामने। तो ऐसी स्थिति में खास तौर से विचारने की बात है कि उदयपुर के आसपास के कॉलेज उसे फीड अप कर सकेंगे या नहीं ?

जैसे भूतपूर्व मन्त्री जी कह रहे थे कि इसका नाम महाराणा प्रताप पर रखना चाहिये, तो इस तरह से अन्य और भी नाम सजेस्ट किये जा सकते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे जनमत के लिये प्रसारित कर दिया जाना चाहिये, मान लिया जाना चाहिये।

अभी कल एक पेम्फलेट भी देखने में आया था शिक्षा विभाग की अन्धेरगर्दी अव्यवस्था और गलत कारनामों के बारे में। इससे पता लगता है कि किस प्रकार ये डील करते हैं, किस प्रकार टेम्पर विथ करते हैं। इन मामलों में राजस्थान के तीन विभाग नामी हैं, एक है रेवेन्यू विभाग, दूसरा पुलिस विभाग और तीसरा यह एजुकेशन विभाग। यह शिक्षा विभाग आजकल तरक्की पर है। आये दिन हम सुनते हैं। स्ट्राइकें होती हैं, पेपर आउट होते हैं, एग्जामिनेशन्स में रिश्वतें चलती हैं। आज पता नहीं इस विभाग का स्तर कहां चला गया है। हम गिरावट की ओर चले जावेंगे। हमारी राष्ट्रीय भावना समाप्त हो जावेगी।

ऐसे समय में जबकि हमारे देश का केरेक्टर गिर रहा है, विद्या बहुत अनिवार्य है। अब विद्या जगत में ही अगर इस तरह की बातें होने लग जावेंगी तो यह लाजिमी है कि हमारे देश का कैरेक्टर बजाय ऊपर उठने के गिरता जावेगा। हमारा शुद्ध जीवन खत्म हो जावेगा। इसलिये इस अमेन्डमेन्ड को लाने से पहले जनमत जान लेना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह के पेम्फलेट जिनमें अधिकारियों और शिक्षा संस्थाओं के काले कारनामों का जिक्र है पढ़ कर ताजुब होता है कि आज १४-१५ साल की आजादी के बाद भी हमारी यही प्रगति है। तो इसलिये जनमत जानने के लिये इसे प्रसारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा; सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के द्वारा जो संशोधन बिल पेश किया गया है एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये । आज से करीब १।। वर्ष पूर्व ६ अप्रैल, १६६२ को जब यह बिल सदन में पेश हुआ और ८ मई, १६६२ को जब प्रवर समिति से संशोधित एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी बिल आया था उस पर जब बहस हुई उस वक्त भी विरोधी पक्ष की ओर से विशेष तौर से, मेरे द्वारा और मेरी पार्टी के अन्य सदस्यों के द्वारा इस बात को कहा गया था कि अब समय यह नहीं है कि हम एक सिंगल फैकल्टी युनीवर्सिटी का निर्माण करें और हमने चाहा कि हम एक मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनायें । लेकिन उस वक्त में सरकार ने इस संशोधन को इस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया कि उदयपुर में एक मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनाई जाये । अध्यक्ष महोदय, सिर्फ १।। साल के बाद में सरकार ने यह रियलाइज किया कि एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी को मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी में कन्वर्ट करना अत्यन्त आवश्यक है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस १।। वर्ष की अवधि में सरकार ने कोई लैसन के रूप में यह बात स्वीकार कर ली हो या सीख ली हो, ऐसी बात नहीं है.......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य-मंत्रीजी जब बोल रहे थे तब आप नहीं थे । उन्होंने इसके लिए सारे रीजन्स दिये थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप भी उसी को दोहरा दें जिससे आपको भी पब्लिसिटी मिल जाये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पब्लिसिटी तो आपके दिमाग में घर की हुई है जो आप ढूंढते रहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भाषण देकर सब खत्म कर गये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १।। वर्ष बाद में अध्यक्ष महोदय, उस यूनीवर्सिटी को जिसके लिए सरकार ने यह कहा कि नहीं हमको तो सिर्फ सिंगल फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनानी है और वह भी एग्रीकल्चर की ओर

Page No 60

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हमको अमेरिकन टीम से करोड़ों रुपयों की मदद मिल रही है और वह मदद भी सिर्फ एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी को बनाने के लिए मिल रही है। उस समय सरकार ने सिंगल फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनाने पर जोर दिया और उसके लिए यह कहा कि उदयपुर को उसके लिए इसलिए चूज किया है कि क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी ने साइट को विजीट करके उदयपुर को सारे राजस्थान में एप्रूव कर दिया है कि कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर मुकर्रर किया जाये, सब शहरों की अपेक्षा, गंगानगर की अपेक्षा, बीकानेर की अपेक्षा, उदयपुर को चुना गया और उसको चुनने में एक एक्सपर्ट कमेटी की राय कोट की गयी। हमने उस समय कहा था कि आप शुरू में ही एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी न खोलें बल्कि मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी खोलें, लेकिन उस समय तो सरकार सिंगल फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनाना चाहती थी। अब यह खुशी की बात है कि सरकार ने जल्दी ही इसको मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनाने का निर्णय ले लिया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह सारा बोनाफाइडी होता तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं था लेकिन जिस प्रकार से आप उदयपुर में एक मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं वह बोनाफाइडी नहीं है, मैलाफाइडी है। पहले तो यह एक एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी बनी और फिर उसको मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनाना इसी बात का प्रमाण है। इस सम्बन्ध में राजस्थान के जो दूसरे बड़े शहर हैं—अजमेर और बीकानेर, उनके क्लेम को नहीं माना है कि वहां पर तीसरी यूनीवर्सिटी खुले। जयपुर और जोधपुर के बाद में कोई यूनीवर्सिटी खुले तो वह अजमेर और बीकानेर में खुले। आपने दोनों शहरों के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है और दूसरे शहरों में यूनीवर्सिटी न खुल जाये इसलिए सबसे पहले सिंगल फैकल्टी यूनीवर्सिटी वहां पर आपने खोलीं और अब उसको मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी बना रहे हैं।

अब मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में तीसरी यूनीवर्सिटी कहीं भी खुले उसमें इस सदन को एतराज नहीं है लेकिन इस तरह घुमा-फिरा कर दूसरों के क्लेम्स को जो कि बोनाफाइडी हैं तीसरी यूनीवर्सिटी को एक खास जगह कायम करना उचित नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से घटनायें हुईं, जिस प्रकार के राजनैतिक दबाव थे, जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्य मंत्री के कार्य करने की विधि है उसको सभी अच्छी तरह से जानते हैं। पहले एक पौधा लगा दें फिर पेड़ बना दें। पहले सिंगल फैकल्टी फिर उसको मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी बनाकर जो दूसरों के क्लेम्स को अवोइड किया है इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन जैसी यूनीवर्सिटी बन रही है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यूनीवर्सिटी में डमोक्रेसी की सम्पूर्ण हत्या की है। आपने जो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल इसमें डाला है उसका आपने पूरी तरह से सरकारीकरण किया है। उसमें डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को डाला है वह पहले से था और आपने दसियों सेक्रेटरीज डाल दिये, एजूकेशन मिनिस्टर डाल दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि जयपुर की यूनीवर्सिटी और जोधपुर की यूनीवर्सिटी बिना एजूकेशन मिनिस्टर के मेम्बर हुए चल सकती है और यदि जयपुर और जोधपुर यूनीवर्सिटी में एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मेम्बर बनाने की आवश्यकता नहीं है तो जो अब एक तीसरी मल्टी फैकल्टी यूनीवर्सिटी कायम की जा रही है उसमें उनकी क्या आवश्यकता है कि उसमें एजूकेशन और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी मेम्बर बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, वहां के म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल का मेम्बर बनाया गया है, मैं नहीं समझता कि वह इसमें क्या कर सकता है। यदि सरकार यह समझती है कि वे बहुत काबिल व्यक्ति हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वजह है कि जयपुर यूनीवर्सिटी मे ग्राप संशोधन लाकर जयपुर के म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को ग्रौर जोधपुर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को यूनीवर्सिटी के बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल में नोमीनेट नहीं करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो ३ यूनीवर्सिटीज़ हैं इन तीनों के प्रिन्सिपल्स इतने डाइवर्जेन्ट हैं कि बल्कि ऐसा लगता है कि स्थानीय जो उनकी समस्यायें हैं जो राजनैतिक दबाव हैं उनको शांत करने के लिए यह एक्ट्स में ग्रौर बिल्स में तरह तरह के प्रोवीज़न्स डाल दिये जा रहे हैं। जहां हम यूनीवर्सिटी का विधान बनाते हैं वहां पर स्थानीय समस्याओं के हल करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए बल्कि उनके कुछ फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स हैं एजूकेशन के उनके ग्राधार पर तय किया जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल में जो लम्बी लिस्ट सरकारी ग्रधिकारियों को दी गयी है फाइनेन्स सेक्रेटरी भी उसमें है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी है, एजूकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी है इस तरह से उसमें ग्रापने सारा सरकारीकरण कर दिया है, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि इस तरह से सरकारीकरण करने की मनोवृत्ति है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा राज्य कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स की तरफ नहीं जायेगा बल्कि टोटलीटेरियन की तरफ ग्रौर समूहवाद की मनोवृत्ति की तरफ ग्रौर तानाशाही मनोवृत्ति की तरफ चला जायेगा। ग्राज भी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटीज़ कायम की हुई हैं उन्होंने राजस्थान की समस्याग्रों को पूर्ण रूप से न तो समझा है ग्रौर न उनके द्वारा समझने का प्रयास किया गया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी यूनीवर्सिटीज़ ने कुछ गलत परम्पराग्रों को भी कायम किया है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर की यूनीवर्सिटी ने ग्रभी ग्रभी प्री-यूनीवर्सिटी के जो स्टुडेन्ट्स हैं उनके द्वारा प्री-यूनीवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन पास करने के समय यह ग्रावश्यक किया है कि वे ग्रंग्रेजी में ८० परसेन्ट मार्क्स लायें। मैं पूछना चाहूंगा शिक्षा मंत्री महोदय से कि हम कौनसी परम्परा कायम करना चाहते हैं? राजस्थान में यूनीवर्सिटी इन्डिपेन्डेन्ट हो, मैं इसको ग्रस्वीकार नहीं करता लेकिन राजस्थान की यूनीवर्सिटी को क्या ग्रधिकार दिया जा सकता है कि जहां ग्राज भी ५०-६० प्रतिशत लोग ३३ परसेन्ट मार्क्स लाने में फेल होते हैं तो किस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि ८० परसेन्ट कैसे लायेंगे? जो ८० परसेन्ट मार्क्स नहीं ला सकेंगे उनको फेल घोषित किया जायेगा। इस तरह की पॉलिसी जो कि मैकॉले के मानस पुत्र हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हीं के द्वारा फोलो की जा सकती है....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह ग्रंग्रेजी के एक पेपर के लिए रखा है, ग्रामर के लिए ८० परसेन्ट रखा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रामर में भी ८० परसेन्ट लाना ग्रासान नहीं है।

Page No 62

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्रामर में ८० परसेन्ट तो दूर रहा, हमारे शिक्षा मंत्री के २२ परसेन्ट नहीं आ सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : इसमें ग्रामर का प्राधान्य नहीं रहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो ऊंचे आ जायेंगे, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उप-शिक्षा मंत्री जी भूल चुके हैं ग्रामर

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी भाषा से स्पष्ट है कि कैसी ग्रामर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिए मैं प्लीड कर रहा हूं कि ८० परसेन्ट मार्क्स लाना जरूरी नहीं है। मेरे जैसे स्टुडेन्ट्स तो पास कर लें जो कि एम. ए. कर चुके हैं। मुझे उपशिक्षा मंत्री की बुद्धि पर तरस आता है, अध्यक्ष महोदय !

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे आप पर सबसे ज्यादा तरस आता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे आपसे ज्यादा तरस आता है। अग्रेंज चले गये और सारी अग्रेंजी राज्य की हुकूमत में जब कि अग्रेंज यहां पर थे तब भी ८० पर्सेन्ट लाने की जरूरत नहीं थी तो किस तरह से अग्रेंजों के चले जाने के १५ वर्ष के बाद जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान की है इस तरह की पॉलिसी ले डाउन कर सकती है कि अग्रेंजी में ८० प्रतिशत मार्क्स लाने की जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा शिक्षा मन्त्री जी से कि आपने इस नीति के बारे में आज तक क्या कदम उठाये हैं ? क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ नीति को ले डाउन करके खिलवाड़ नहीं कर रही है ? हम स्टेट के कन्सोलिडेटेट फण्ड से यूनिवर्सिटी को लाखों-करोड़ों रुपयों की ग्रान्ट देते हैं तो राजस्थान को गलत नीति पर चलाने के लिए और प्रसारण करने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो सुझाव दिया है वह उत्तम दिया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इसको सम्बोधित करके कह रहे हैं तो वह माध्यम क्या है कि जिस माध्यम के आधार पर यूनि वर्सिटी के अन्तर्गत दखलन्दाजी की जा सके। जिस प्रश्न को लेकर कहा गया है वह माध्यम क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह माध्यम यह है कि सदन के द्वारा लाखों करोड़ों रुपयों की ग्रान्ट जिस यूनिवर्सिटी को दी जाती है तो सदन यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि यूनिवर्सिटी इस तरह की नीति पर चले। यह हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपशिक्षा मन्त्री ने मुझसे पूछा कि वह माध्यम क्या है ? तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह माध्यम यह सदन है जिसमें सम्भावित कानून बना कर सरकार के द्वारा अधिकार अपने हाथ में लेने का है। उसे आप उपयोग में नहीं लाना चाहते हैं तो सदन के समाप्त होने के बाद ऑर्डिनेन्स जारी करें और अगर ऑर्डिनेन्स जारी नहीं करना

Page No 63

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक घन्टे के लिए आप मेरे स्थान पर बैठिये और मुझे आपके स्थान पर बैठने दें तो मैं आपकी समस्या का हल कर सकता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानून लायेंगे तो आप विरोध करते हुए नजर आयेंगे। आगे आप टिकेंगे नहीं वहां पर।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सुझाव भी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कम से कम आप यहां आकर बैठिये।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया हम इन मल्टीफैकल्टी युनिवर्सिटीज को देते हैं उसमें इस तरह की गलत नीति चलती है तो हम लोगों को बहुत दुःख होता है और माननीय मंत्रीजी या उपमंत्रीजी कहते हैं कि क्या करें ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न पूछने का नहीं है। आप इस समस्या की गम्भीरता को महसूस करें, और आपको उन हजारों विद्यार्थियों के परिवार वालों का ध्यान है कि किस मुश्किल से उनको पढ़ा रहे हैं। यदि आपको इन कठिनाइयों का अहसास है तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

तो मैंने रिलेवेन्ट प्रश्न पूछा था कि अंग्रेजों ने जो अपनी १५० वर्ष की हुकूमत में नहीं किया, १५ अगस्त सन् ४७ के पहले जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि आज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का हैड आफ दी डिपार्टमेंट इंग्लिश का (अश्रव्य) हो या मि० वी० वी० जोहन, डाइरेक्टर ऑफ कालेज एज्युकेशन बन गये तो क्या राजस्थान के समस्त विद्यार्थियों पर यह आवश्यक रूप से लाद दिया जाता है कि इंग्लिश में ८० पर्सेन्ट मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से गलत नीति पर यूनिवर्सिटी चले तो यह सदन मजबूर होकर ग्रान्ट बन्द कर देगा। यह सदन राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मल्टी फैकल्टी युनिवर्सिटी बनें, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो नीति चलायें वे हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ न हों। आज जब सवाल यह आता है कि हमें देश में हिन्दी को लागू करना है, काम-काज में हिन्दी को लागू करना है, हिन्दी को प्रोत्साहन भी देना है, उसको राष्ट्र भाषा भी बनाना है तो किस तरह से डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन को युनिवर्सिटी प्रमोट कर सकती है, वह अपने यहां इस पालिसी को चलाये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में राज्य सरकार अपने आपको असमर्थ महसूस करती है तो विधान सभा को कोई एतराज नहीं होगा कि वह इस बारे में सरकार को सक्षम बनाने के लिए युनिवर्सिटी एक्ट में आवश्यक रूप से संशोधन लाये। विधान सभा में मैंने कभी भी इस तरह के आवश्यक अधिकार देने में कभी गुरेज नहीं किया है, यह बात माननीय उप शिक्षा मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों के मानस-पुत्र होने के नाते उनकी हिम्मत नहीं है। जो सैद्धान्तिक क्रान्ति उनके मस्तिष्क में होना आवश्यक है वह उनमें अभी नहीं है। वे अपने दिल और दिमाग में यह महसूस नहीं करते हैं कि अंग्रेजी इस देश से हटनी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहिए । अंग्रेजी के यहां बने रहने से हजारों विद्यार्थियों का किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो । कोई वाइस चान्सलर या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ले डाउन करता है नीति तो उसके सम्बन्ध में उप शिक्षा मंत्री बहुत ही कमजोरी महसूस करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमजोरी को दूर करने के लिए मंत्रीजी के दिमाग में विचार-क्रान्ति लानी पड़ेगी और उनके दिमाग में यदि विचार-क्रान्ति नहीं आयेगी तो इस तरह के आवश्यक संशोधन और एक्ट्स नहीं आ सकेंगे ।

इसलिए इस बात को यहां पर छोड़ते हुए मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो संशोधन बिल पेश किया गया है उसमें मुझे सबसे ज्यादा एतराज है कि इस यूनिवर्सिटी को स्टेट कन्ट्रोल में डालती है और यदि आप सरकारी नियन्त्रण शिक्षा पर पूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो हमारे देश में जो मानस बनेगा, जो दिमाग बनेगा वह बिल्कुल टोटेलिटेरियन कन्ट्रीज़ की तरह रेजीमेन्टेड होगा, उस पर पूर्ण रूप से सरकारी चिन्तन और सरकारी नीति का प्रभाव होगा और फ्री थिंकिंग दिमाग जिसको गांधीजी पैदा करना चाहते थे उस तरह का फ्री थिंकिंग दिमाग इस देश में पैदा नहीं हो सकता है । इसलिए फ्री थिंकिंग को पैदा करने के लिए, खास तौर से साइन्स में फ्री थिंकिंग भले ही न करें, लेकिन इस युनिवर्सिटी के द्वारा कई तरह की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें फ्री थिंकिंग आवश्यक है, और परसूट ऑफ लर्निंग के लिए न उप शिक्षा मंत्री के पास जाने की आवश्यकता है और रिसर्च के लिए कृषि मंत्रीजी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है । मेरा इस बात से विरोध है कि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में मंत्रियों को रखा जाय, सेक्रेटरीज़ को रखा जाय और म्युनिसिपल कमेटी के चैयरमैन को रखा जाय । मैं इस बात की कतई रूप से आवश्यकता महसूस नहीं करता । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के ऑफिसर्स को बोर्ड आफ कन्ट्रोल में डाला गया है इनको रद्द किया जाय ।

और जो मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसके नाम के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी को यदि उदयपुर में स्थापित करना चाहते हैं तो इसका नाम महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हो, यदि सरकार को यह बात मन्जूर नहीं है तो कम से कम यह सुझाव है, इस सुझाव को लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां के किसी राजनैतिक नेता के नाम पर जिसने कि बलिदान किया है और जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिसका आप अहसान मानते हैं, जिसके लिए यह समझते हैं कि इसने उदयपुर में नई विचार-क्रान्ति को जन्म दिया है, उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखें, तो मैं समझता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम ज्यादा सार्थक होगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : कामराज मिशन में यदि दा साहब इस्तिफा दे दें तो उनके नाम से रख दें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे कोई एतराज नहीं यदि इस यूनिवर्सिटी का नाम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रख दिया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आचार्य यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा ।

Page No 65

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : युनिवर्सिटी में तो आचार्य लोग होते ही हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इसीलिए निरंजननाथ आचार्य की जरूरत है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि अभी तक जो माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं उनसे थोड़ा ज्यादा निवेदन इसलिए नहीं करता हूं कि इससे साल भर पहले इस युनिवर्सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में सब तरह के विचार प्रकट किये गये थे, उस समय जैसा कि माननीय सुराणाजी ने कहा था कि मित्रों के विचार थे कि इसको एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के बजाय उदयपुर युनिवर्सिटी कर दें तो उदयपुर का नाम बार बार आता है, तो उससे नफरत होती है। माननीय उपमन्त्रीजी यह न समझ लें कि उदयपुर से नफरत है। उदयपुर से तो प्यार है, लेकिन उदयपुर में दो प्रकार के लोग हैं। एक छोटे वर्ग के हैं जिससे हम सब लोगों को प्यार है, लेकिन सुखाड़ियाजी या आचार्यजी के वर्ग के लोग है, उनसे नफरत है। नफरत नहीं, केवल नाराजगी है। यह भी इसलिए कि...

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाराजगी इसलिए रहती है कि सैंकड़ों दरख्वास्तें मुझे दी जाती हैं और मुझे बड़ी परेशानी होती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह भी मजबूरी है।

श्री रामकिशन : वह नाराजगी इसलिये है कि कुछ करते नहीं हैं, इसलिए बड़ा गुस्सा आता है। क्या करें दरख्वास्त भिजवा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से हम देखते हैं कि सरकार का जो भी काम होता है, जो भी कार्य-कलाप होता है उससे स्वयं स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है; जैसे युनिवर्सिटी का मामला है, दूसरे कानून के मामले हैं तो, यह स्थिति लोकतन्त्र के लिए बहुत खतरनाक है। जब बहस हो रही थी तो सदन के माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि अजमेर में हो, बीकानेर में हो, उनका एक तरह से हक भी था, उस समय दलील दी गई थी, अमेरीकी मदद की बहुत बड़ी व्याख्या की गई थी और कहा गया था कि इतने रुपये उसको इसलिए मिल रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी खोलें तो मिलेंगे। उस समय भी लोगों ने मांग की थी, माननीय सदस्यों ने सभी ने मांग की थी कि युनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन मेम्बरों की उस चीज को उस वक्त ठुकरा दिया। मैं समझता हूं, सरकार को अब अक्ल आ गई है, देर से आई है, लेकिन आई जरूर है।

इसमें तो हमें कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अभी जो माननीय सुराणाजी ने कहा है कि हम युनिवर्सिटीज़ स्थापित करते जा रहे है, कॉलेजेज स्थापित करते जाते हैं, लेकिन उनकी कोई नीति नहीं है, कोई सर्व-मान्य नीति नहीं है। आखिर देश में बनाना क्या चाहते है? शिक्षा की क्या नीति है? कभी अंग्रेज़ी के पीछे पड़ गये, कभी हिन्दी के पीछे पड़ गये, कभी किधर चले जाते हैं, कभी किसी और तरफ चले जाते हैं। आज से कुछ दिन पहले न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में

(श्री रामकिशन)

प्रस्ताव रखा गया था, उस सम्बन्ध में यह कहा गया था कि अंग्रेजी के सम्बन्ध में नियम बन गये हैं कि जिस छात्र के ८० पर्सेन्ट मार्क्स आयेंगे उसको पास किया जायगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है! इस सरकार की बड़ी अजीब हालत है। समस्या खुद पैदा करती है और उसको सुलझाने के लिये राय हमसे पूछते हैं। दुनिया के किसी भी लोकतन्त्र में इस प्रकार की बात नहीं है कि सरकार विरोधी पक्ष से पूछे कि राय बताओ कि क्या करें। आप शासन चलाते हैं, सरकार निकम्मी हो तो बात दूसरी है, वर्ना आपको टेक्निकल सहयोग प्राप्त है तब फिर विरोध पक्ष से क्यों पूछते हैं? प्रोब्लम्स क्रिएट करके विरोधी पक्ष से उसका हल पूछना हिन्दुस्तान में ही सम्भव हो सकता है। मैं उप शिक्षा मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा मन्त्रीजी तो बुजुर्ग हो गये हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। एक बार इग्लैंड में चैम्बरलेन ने किसी मामले में अपोजिशन से पूछा था कि बताइये क्या करें तब अपोजिशन ने जबाब दिया था कि आप इस्तीफा दे दीजिये क्योंकि राज्य करने के आप अधिकारी नहीं रहे हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि आप समझ नहीं पाये हैं। आप डोमेस्टिक अफेयर्स से कहां कानूनी मसलों की तरफ और विश्व की तरफ चले गये। चैम्बरलेन ने क्या कहा था, इसको आप समझ नहीं पाये...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपका नाम नहीं लिया, मिनिस्टर का नाम लिया है।

श्री रामकिशन : बुजुर्गों की सहायता लेकर मैं जो निवेदन कर रहा था उसको समझने की कोशिश करिये। मैं सीधा यह तो नहीं कह सकता कि आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आम नीति सरकार की इस प्रकार की ही रहती है। अभी दो दिन पहले मुख्य मन्त्री जी बोल रहे थे सीलिंग पर कि बताइये क्या करें? कैसे रिकग्नाइज़ करें ट्रान्सफर्स को? मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि आप अपनी नीति को बदलें। मैं इस समय युनिवर्सिटी पर नहीं कह रहा हैं आप इस तरह से कहना बन्द कर दीजिये कि क्या करें? मन्त्री परिषद् यह नहीं पूछा करती कि हम क्या करें। जिस दिन यह पूछेंगे उस दिन यह समझिये कि उनके कार्य करने की क्षमता, सोचने और विचार करने की क्षमता समाप्त हो गई है। मैं किसी का नामकरण नहीं करता लेकिन एक बात कहता हूं कि राज्य करने का अधिकार उनको नहीं रहता। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपका काम केवल उलझन बढ़ाने का ही नहीं है यह काम आपके हित में भी नही है और पीछे फिर आप अॉपोजिशन को पूछें कि आप राय दो उलझन को कैसे मिटावें।

यदि विश्वविद्यालय आपके नियम और कायदे के अनुसार नहीं चल सकते तो जो सरकार की ओर से उनको धन दिया जाता है, जो ग्रान्ट इन ऐड दी जाती है उसको आप बन्द कर सकते हैं। उसका कारण है। मैं अध्यक्ष महोदय, इसका क्यों उल्लेख कर रहा हूं इसलिये कि आपने जो ८० प्रतिशत अंग्रेंजी में मार्क्स लाने की बात रखी है यह कोई साधारण बात नहीं है। यह सोच-विचार कर इसलिये रखा है कि गरीब लोगों को हमेशा राज्य कार्य से अलग रखा जाय। यह विलक्षण बात हो रही है। इस पर सोचना

(श्री रामकिशन)

चाहिये। माननीय उप-मन्त्री जी ने इसको नहीं सोचा; उन पर तो मुझे दया आती है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे आप पर और आपके बाल-बच्चों पर दया आती है।

श्री रामकिशन : वह तो आनी हो चाहिये क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं।

शिक्षा मन्त्री जी पर आता है गुस्सा और उप-मन्त्री जी पर आती है दया। शिक्षा मन्त्री जी पर गुस्सा आने जैसी ही बात है। गुस्सा और दया में जो फर्क है, वह आप समझें। मुझे शिक्षा मन्त्री जी पर गुस्सा इसलिये आता है कि जिनकी जिन्दगी के ३०-४० साल केवल इसलिये बीते कि छोटे लोगों को बढ़ावें, उनको सहायता दें, उनका स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। आपके मन्त्रित्वकाल के अन्तर्गत युनिवर्सिटी ने ऐसे नियम बनाये और आप आंख मींच कर बैठे रहे। ऐसा मालूम होता है कि स्टेलिन के टाइम में जो मन्त्रियों की दशा थी उसी तरह से आप भी बुरे फंस गये हैं। ऐसा मालूम होता है कि आप किसी न किसी तरह अपने मन्त्री-पद को बनाये रखना चाहते हैं। गुस्सा इस बात के लिये आता है। आप केवल इस बात पर, अगर युनिवर्सिटी आप की बात नहीं माने अंग्रेजी के प्रश्न पर तो आप इस्तीफा देकर बाहर चले आइये। इससे आपकी गई हुई इज्जत वापिस आ सकती है। हम लोग जब पढ़ते थे तब आपकी लिखी हुई किताबें पढ़ने में बड़ा आनन्द आता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। आपके गांधीवादी विचार सुनने के लिये लालायित रहते थे और यह इच्छा रहती थी कि दा साहब से मुलाकात करें। लेकिन १५ साल बाद जब दा साहब को नजदीक से देखा तो निराशा हुई। दा साहब विपरीत परिस्थितियों के बीच में गिरफ्तार हुए, इधर उप-मन्त्री जी और उधर मुख्य मन्त्री जी। दोनों ही उदयपुर के हैं, वे क्या करें?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : ये आपकी दर्ख्वास्तें मेरे पास हैं, मैं उनसे कहता हूं कि करो, ये कहते हैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।

एक माननीय सदस्य : आप पता तो लगा लीजिये, दर्ख्वास्त किस बात के लिये है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : वे आपको रोज दर्ख्वास्त करते हैं, आप क्यों नहीं मानते?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) क्या उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज करना बन्द कर दिया है एक डिप्टी मिनिस्टर की तरह।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : वे गलत बात को नहीं मानते हैं।

श्री रामकिशन : इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस मामले को हंसी में या मजाक में नहीं लिया जाय। यह करोड़ों लोगों का मामला है। छोटे लोग और गरीब वर्ग के लोग शिक्षा से अलग रह जायेंगे। बड़े बड़े लोगों के लड़के सेन्ट जेवियर में जाते हैं, लेकिन गरीब लोग घाटे में रहते हैं, उनके लिये दा साहब से निवेदन है, उपमन्त्रीजी के समझ में तो यह बात आयगी नही क्योंकि उन्होंने तो अपने लड़कों को एकेडेमी में भेज कर अपना काम बना लिया है, परन्तु दा साहब को तो सोचना चाहिये कि गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पायेंगे तो सरकारी पदों पर वे लोग नहीं

(श्री रामकिशन)

आ सकेंगे और इन पदों पर धनवानों का ही अधिकार रहेगा, गरीब लोगों को राज्य कार्य से अलग रहना पड़ेगा। इसलिये दा साहब को अच्छी तरह से विचार करना चाहिये।

दूसरी बात है नाम के बारे में। मुझे इतना ही निवेदन करना है मन्त्रीजी से और उपमन्त्रीजी से कि आप दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्वान् हैं, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के ज्ञाता हैं। हमारे यहां की दो युनिवर्सिटीज राजस्थान और जोधपुर के नाम से हैं। अब तीसरी युनिवर्सिटी को उदयपुर के नाम के साथ जोड़ने के बजाय यदि ऐसे लोगों के नाम पर रखा जाय जिन्होंने राजस्थान की भलाई के लिये कुछ काम किया है तो लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। अब यह नाम क्या हो सकता है ? यदि स्ववर्णों में से चाहते हैं तो महा राणा प्रताप या दुर्गादास का नाम ह सकता है, यदि आदिवासियों का नाम लेना चाहते हैं तो बांसिया का नाम होना चाहिये जिसने मेवाड़ को बसाया है। मेवाड़ न राणाओं का हैं न सुखाड़ियों का है, न आचार्यों का है, बल्कि यह भीलों और आदिवासियों का है। यदि पुराने आदिवासी कार्यकर्ताओं के नाम पर इस युनिवर्सिटी का नाम रखेंगे तो इसका असर तामिलनाड और मध्यप्रदेश पर होगा। राज स्थान बनाने में जिसका हाथ रहा है उनमें से किसी विशिष्ट पुरुष पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखेंगे तो राजस्थान के ही नहीं बल्कि सारे देश के शोषित और दलित लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अब तक जो नाम लिये जाते रहे हैं वे उच्च वर्ण और उच्च वर्ग के लोगों के ही हैं। अब ऐसे लोगों के नाम लीजिये जिनका देश को बनाने में बड़ा हाथ रहा है। दोनों मन्त्री महोदय पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, संस्कृति और इतिहास के ज्ञाता हैं, वे अच्छा नाम तलाश करें; आदिवासियों और उस क्षेत्र के रहनेवालों में से और उनके नाम से यह विश्वविद्यालय रखा जाय।

दूसरा सवाल बोर्ड के गठन और व्यवस्था का है उस पर काफी बहस उस समय हो चुकी है जब कि मूल रूप में यह बिल हाउस के सामने आया था। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अभी माननीय सस्दस्यों ने भी इस पर प्रकाश डाला है। जिस तरह से इसका गठन किया है, सरकारी अधिकारियों को इसमें जिस तरह से रखा है उससे ऐसा लगता है कि वह सरकार नाम से तो है लोकतंत्रवादी, लेकिन कर्म से बनती जा रही है डिक्टेटरवादी। जिस तरह से इसका गठन किया जा रहा है उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हम कोई सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध नहीं हैं, शायद मन्त्रीजी सोचते होंगे कि सरकारी अधिकारियों का नाम आने से हमारे दिल में नफरत होती होगी या घबराहट होती होगी, ऐसी बात नहीं है।

एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य है विकेन्द्रीकरण करना, क्योंकि यहां उद्देश्यों में विकेन्द्रीकरण की बात कही गई है और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि सरकार शिक्षा के मामले में हावी होना चाहती है ! लोगों को शक होता है कि सरकार हर मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करती चली आ रही है। इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उपमन्त्री इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि उनके प्रदेश का सवाल है, लेकिन मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि १२-१३ साल आपको हो गए हैं, करीब-करीब अन्तिम समय आ गया है। मैं कोई दूसरे सेन्स में नहीं कहता लेकिन सरकारें बदलेंगी, मन्त्रिमन्डलों का गठन होगा। आप अपने हाथ मजबूत बनाएं। उपमन्त्री से नहीं कहूंगा, अगर मुख्यमन्त्री से

(श्री रामकिशन)

कहूंगा तो मुझे शर्म आती है। मैंने आपके बारे में मन्त्रिमंडल में शामिल होने का भी जब पढ़ा था तब भी मुझे ताज्जुब हुआ था। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आप गांधीजी के शिष्य को गद्दी इतनी प्यारी है, यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत घातक स्थिति है। इन सब बातों का नतीजा हुआ कामराज योजना, रामराज योजना और मोरारजी योजना। इनसे कुछ नहीं होने वाला है देश के हित में या प्रदेश के हित में। आप मुख्यमन्त्री के पास जाते हैं। गांधीजी के पास जवाहरलाल जाते थे, गांधीजी कभी जवाहरलाल के पास नहीं जाते थे। जा भी सकते थे उनमें छोटे-बड़े की भावना नहीं थी।

तो मैं निवेदन करूंगा कि जो विचार यहां प्रकट किये गये हैं उन पर गंभीरता से विचार करें और जो अंग्रेजी के नम्बरों का सवाल है हमारी पार्टी तो इसके विरुद्ध है ही। यह सवाल राजस्थान के २ करोड़ लोगों का प्रश्न है। अगर युनिवर्सिटी नहीं माने तो त्याग-पत्र दे दें तो हमारे प्रदेश का कल्याण होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय। हमारी राज्य-सरकार आए दिन शिक्षा सम्बन्धी नए बिल बनाती चली जा रही है। वह इस बात को नहीं सोचती कि इसका तत्व क्या निकलता है? सरकार कहती है कि एजुकेशन बढ़ रही है, इतने लोगों को पढ़ाते हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोल दीं, लेकिन तत्व क्या निकला? राष्ट्र का चरित्र दिनों-दिन गिरता गया। चरित्र भ्रष्ट नौजवान लड़के निकले रहे हैं। हमको सोचना है। हम इसके नाम को अमेंड करने जा रहे हैं, इसके लिए भी सोचना है। इस बिल को प्रवर समिति में ज़रूर भेजना चाहिए। पहले इसका नाम राजस्थान यूनीवर्सिटी रखा और अब उदयपुर यूनीवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है। जैसे मेरे पूर्ववक्ता श्री विजयसिंह झाला ने कहा इसका नाम प्रताप यूनीवर्सिटी रखा जाय। अभी उदयपुर के नागरिकों ने कहा है। हमारे यहां राणा प्रताप का इतिहास है, महाराणा कुम्भा का इतिहास है, मीरा का इतिहास है; इनमें से किसी का नाम रखा जा सकता है क्योंकि इनके पीछे इतिहास है, जिससे हमारे प्रदेश का भला हो सकता है। तो खास तौर से इसका नाम प्रताप यूनीवर्सिटी रखा जाय और यह नहीं तो कुंभा यूनीवर्सिटी रखा जाय।

हमारे महाराणा कुंभा का नाम सबने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। चितौड़-गढ़ में एक स्तंभ बना हुआ है। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान यूनीवर्सिटी में जितने भी संशोधन किए हैं वे क्यों किए है? सरकार खुद सारी उसको अधिकार में लेना चाहती है उस पर कन्ट्रोल करने के लिए, इसलिए जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा शक्ति उसमें सरकारी अधिकारियों में रखी है। हमारी सरकार जनता के राज्य में विश्वास रखती है। अगर गांधीजी के शब्दों को लेती है तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति जनता के हाथ में रखें, जनता के व्यक्ति आएं, जिससे यूनीवर्सिटी अपना महत्व बनाए रखे। जिस प्रकार आपने इसमें दो मास्टर रखे हैं, मेरा प्रस्ताव है कि ४ मास्टर होने चाहिए। इसमें कृषि-निपुण व्यक्ति जो खेती को समझता है, जिसने सारी उम्र खेती में बिताई

(श्री जोधसिंह)

और जिसे खेती के बारे में सारी बातें मालूम होती हैं, उसका इसमें होना ग्रावश्यक है। इसमें जिला प्रमुख को भी रखना चाहिए।

ग्राज उदयपुर नगर में यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है ? वहां के प्रोफेसरों ग्रौर बड़े-बड़े लोगों में झगड़े चल रहे हैं। वहां के स्टाफ के झगड़े हैं। हमारे यहां होम साइन्स का कॉलिज है उदयपुर में, उसको जल्दी से जल्दी इसमें लेना चाहिए क्योंकि वहां की संस्था मनमानी कर रही है। जिस समय इसकी प्रॉपर्टी की कीमत लगाएंगे उस समय सरकार को कीमत बढ़ाकर बतायी जायगी। मैं समझता हूं कि इसमें कई घोटाले हैं, इसकी जांच करनी चाहिए ग्रौर जांच करके जल्दी से जल्दी होम साइन्स कॉलिज को एग्रीकल्चरल कॉलिज में मिलाना चाहिए।

साथ ही यह भी निवेदन है कि हमारे एग्रीकल्चरल कॉलिज में एक बहुत पुरानी मशीन वहां ग्राई हुई पड़ी है। उसके क्या कारण हैं ? वह दूध बॉटलिंग मशीन है। हमारे उदयपुर नगरवासी सोच रहे थे कि कृषि कॉलिज के लिए है, हमको शायद ग्रच्छा दूध मिलेगा। वहां पर जो मिल्क की योजना थी जिसके लिए एक ग्रमेरिकन मशीन बहुत सालों से पड़ी हुई है उसको काम में लेना चाहिए ग्रौर उदयपुर में मिल्क की योजना चालू करना चाहिए जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी ग्रच्छा दूध मिल सके।

ग्रध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ने जो नया कानून बनाया है कि ग्रंग्रेजी में कम से कम ८० प्रतिशत लाना लाजमी है, उसका मैं खास तौर से विरोध करता हूं। पहले ग्रंग्रेज लोग जिस प्रकार से राज्य करते थे उसी प्रकार ये नए ग्रंग्रेज ग्रा गए हैं, ग्रपना ग्रलग राज्य की स्थापना करने के लिए जनता के ऊपर; इस प्रकार का नया कानून निकालते हैं कि ग्रंग्रेजी में ८० प्रतिशत नम्बर ग्राने चाहिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि यदि इस प्रकार से होता रहा तो उनके बच्चे ही पास हो सकेंगे ग्रौर ऊंची नौकरियें प्राप्त कर सकेंगे जो सेन्ट जेवियर्स ग्रौर दूसरी क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ने के लिये जाते हैं ग्रौर इससे उन स्कूलों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा ग्रौर हमारी यहां की स्कूलें हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें ग्रौर भावनाएं उनको ग्रपने दिमाग से निकाल देनी चाहिये कि उनके ही बच्चे ग्रागे बढ़ सकें ग्रौर गरीबों के लड़के न बढ़ सकें। ग्रापको चाहिये कि जनता की जो भाषा है उसको प्रोत्साहन मिले ग्रौर ग्रापको उसे प्रोत्साहन देना चाहिये। मगर ये लोग ग्रपना ग्रलग ढांचा ग्रौर ग्रलग राज्य बनाना चाहते हैं ग्रौर सब बड़े-बड़े ग्रधिकारी यही चाहते हैं ग्रौर वह भी चाहते हैं कि उन्हीं के बच्चे जो सेन्ट जेवियर्स ग्रौर दूसरी इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं वे ही ग्रफसर हों, यह बात नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिये ग्रौर इस प्रकार के कानून को रद्द किया जाए।

इसके ग्रलावा उदयपुर युनिवर्सिटी का जो प्रस्ताव रखा है उसमें मेरा यह निवेदन है कि इस युनिवर्सिटी का नाम उदयपुर युनिवर्सिटी नहीं रखा जाकर राणा प्रताप युनिवर्सिटी रखा जावे ग्रौर इस पर ग्रापको जोर देना चाहिए। मैं ग्राशा करता हूं कि ग्राप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

Page No 71

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३ जो यहां पर लाया गया है इसमें बहुत जल्दी संशोधन आया है, इसके सम्बन्ध में अभी चीफ मिनिस्टर महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि पहले अमेरिकन एड से हमारा विश्वविद्यालय चलाने का विचार था और अमेरिका जाने के बाद में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जब अमेरिका में इस प्रकार की बहुत सी फैकल्टीज चलती हैं तो हमारे यहां पर उसके आधार पर व्यवस्था क्यों नहीं होती, और इस आधार पर यह संशोधन बहुत जल्दी लाया गया है। मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जहां तक अमेरिकन युनिवर्सिटीज का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर जितनी कालेजेज हैं वे सब युनिवर्सिटीज बन जाती हैं क्योंकि हर कॉलेज में २० या २५ हजार के करीब लड़के पढते हैं और इसलिये वे कॉलेजेज युनिवर्सिटीज हो जाती हैं। इसके अलावा वहां पर इन्स्टीट्यूशन्स भी गवर्नमेंट के अ॰ नहीं चलाए जाते हैं, प्राइवेट तौर पर चलते हैं। आप राजस्थान में जिस प्रकार अमेरिका में होता है उसके अनुसार परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, तो मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में युनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में कोई आपकी निश्चित नीति होनी चाहिये। आपको पहले निश्चित नीति बना लेनी चाहिये। नीति के सम्बन्ध में इसमें कहा गया है कि हम शिक्षा का विकेन्द्रीकरण युनिवर्सिटी एज्युकेशन का करना चाहते हैं जैसा कि इसके उद्देश्यों में लिखा है। तो कम से कम या तो यह बात स्पष्ट होनी जानी चाहिये कि राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में युनिवर्सिटी रहेगी। आज यह कहा गया कि राजस्थान युनिवर्सिटी है यह सारे राजस्थान के लिये है! अब जोधपुर में युनिवर्सिटी हो गई और उदयपुर में हो रही है तो इस पॉलिसी को आप सामने रखें कि आया राजस्थान सरकार सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर युनिवर्सिटी रखना चाहती है, क्या यह गवर्नमेंट की नीति है? और यह बात इसलिये भी आवश्यक हो जाती है कि आज जिस क्षेत्र में हम कोई शिक्षा के लिये प्रबन्ध करें तो उसके लिये क्षेत्र निर्धारित होता है और यह कहा जाता है कि हम सारी एज्युकेशन युनिवर्सिटी को दे रहे हैं और अलग अलग युनिवर्सिटीज बना रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि दूसरे क्षेत्र जहां पर युनिवर्सिटीज नहीं हैं वे इससे वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार उदयपुर और दूसरों के लिये अलग क्यों लेते हैं? जब आप नामकरण करते हैं तो बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर आदि के लिये अलग-अलग युनिवर्सिटी बना दी जायं, इस प्रकार पांच अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिये युनिवर्सिटीज हो जाती है। जयपुर युनिवर्सिटी का नाम राजस्थान क्यों रखा जाता है? तो जयपुर की बात भी इसी तरह से आवेगी। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सब से पहले शिक्षा के आधार से बहुत थोड़े समय में परिवर्तन करते हैं तो चाहें माने या न माने, मगर राजस्थान के बाहर जो लोग इसको पढेंगे, यही कहा जावेगा कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी में संशोधन आया है तो हमारे सोचने का तरीका क्या है, इससे हमारी बुद्धि का परिचय लोगों को होता है, और यदि हम आपको पॉलिसी मैटर से संशोधन करने के नतीजे पर पहुंचते हैं तो वह नीति हमको स्पष्ट करनी चाहिये कि यह हमारी पॉलिसी रहेगी। मैं समझता हूं, इस बारे में हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिये।

मैं युनिवर्सिटी एज्युकेशन के संबंध में

Page No 72

(श्री मुरलीधर व्यास)

बहुत पहले से सोचता हूं तो इस बात का ध्यान जाता है कि राजस्थान की आर्थिक हालत किस प्रकार है । आज हमको कम्पल्सरी एज्युकेशन सबसे पहले करनी चाहिये । हमारे सामने दो तरह की बातें आती हैं । उस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता कि राजस्थान में किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी । जिसका माध्यम हम राजस्थान में दे रहे हैं । आप यह कह सकते हैं कि एज्युकेशन सार्थक हो रही है । मैं जहां तक सोच पाया हूं एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी राजस्थान में छात्रों को एग्रीकल्चर के बारे में इतना आकर्षण नहीं है । यह बात मैं सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अगर सरकार को मालूम हो कि वहां पर लोगों को आकर्षण नहीं हो रहा है तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिये । राजस्थान में हमको विकास कार्य के लिये इतने लड़के चाहियें, उसमें ज्यादा से ज्यादा लड़के शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिये प्रेरणा दे दें । इसमें एज्युकेशन युनिवर्सिटी हटाने से वह प्रेरणा खत्म हो जावेगी और व्यावहारिक तौर पर भी जिस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगी । मेडिकल कॉलेज, पोलिटैक्नीक अभी जोधपुर युनिवर्सिटी से छात्र निकलें हम उनको दूसरे कामों में नहीं लगा सकते । शिक्षा में दूसरे लोग भी आते हैं उसके लिये हमारी कोई ग्रान्ड व्यवस्था नहीं है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं, हम उन छात्रों को आगे किसी काम में लगा सकें तो हमारी सारी शिक्षा--मेडिकल या दूसरे पोलिटैक्निक की है वह उचित हो सकती है, अन्यथा हम प्लान के रूप में नहीं चल रहे हैं इसलिये आप पांच वर्षों में देखेंगे कि .....

(५.५८ म. प)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्याय पदासीन)

...आपको आगे चल कर इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा । आज भी आप आंकड़े लें तो आपको मालूम होगा कि इतने थोड़े समय में आपकी यह स्थिति हो गई है । इसलिये हमारी एज्युकेशन के मामलों में नीति स्पष्ट होनी चाहिये जिससे हम आगे बढ़ते जाएं । मुझे युनिवर्सिटी के नाम में विशेष दिलचस्पी नहीं है । लेकिन जहां पर भी जैसा काम हो उसके अनुसार नाम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है । युनिवर्सिटी का नाम किस पर रखना चाहिये, इसके लिये मैं यह कहूंगा कि कोई एज्युकेशनिस्ट हो, अगर उसका नाम हो तो अच्छा होगा ! मैं समझता हूं कि मीरा का नाम सब से ज्यादा अच्छा लगता है । मीरा साहित्यिक क्षेत्र में महान् थीं ! आज उसके भक्ति भरे गीतों के प्रति सारे संसार में श्रद्धा प्रकट की जाती है । तो हम शिक्षा क्षेत्र में ऐसा नाम रख देते हैं तो योग्य नाम मिलता है ।

तो मेरी धारणा है कि जहां तक युनिवर्सिटी के नाम का सम्बन्ध हो सकता है, यदि इस आधार पर सोचते हैं कि जैसी युनिवर्सिटी है, उस क्षेत्र में जो काम करने वाला है, उसके नाम से युनिवर्सिटी होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं । जहां तक बोर्ड के गठन का सवाल है, इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य कह चुके हैं कि बोर्ड का गठन हमें बहुत सोच विचार कर करना चाहिये । इसमें जिन व्यक्तियों को लेते हैं सोच-विचार कर लेते है, पर जब इसका नतीजा देखते हैं तो मालूम होता है कि बड़ी

(श्री मुरलीधर व्यास)

भारी गलती हो गई है। प्री-व युनिवर्सिटी के अन्तर्गत ८० परसेंट मार्क्स इंग्लिश पेपर के रखे, इस मामले में जो सदन के माननीय सदस्यों द्वारा बातें कहीं गई उनको मैं नहीं दोहराता। आप, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे यह बात पूछें कि एक छात्र ने मैट्रिक पास किया है, ५० में से १५ मार्क्स लाये तो उसे पास कर देते हैं और ग्रेस मार्क्स देने पर १३ नम्बर से भी पास हो सकता है तो इस तरह वह छात्र २६ परसेंट मार्क्स में पास हुआ है। उस छात्र को एक साल बाद परसेंटेज में इस तरह का परिवर्तन करके घोषणा कर दें कि ८० परसेंट मार्क्स ले आयेगा तो पास किया जायगा, तो जो नीचे का स्टेन्डर्ड चल रहा था, जिसके आधार पर आपने पास किया तो आप सोच लें कि जिन्होंने ८० परसेंट मार्क्स का फैसला किया, वे यह भी अनुमान नहीं लगा सके कि २६ परसेंट मार्क्स लाने वाला छात्र एक साल बाद ही ८० परसेंट मार्क्स कैसे ले आयेगा ? यह एक छोटा सा सवाल है, विशेषज्ञ इस पर भी नहीं सोच सके और सरकार इसे मान बैठी तो मैं कहूंगा कि आखिर राजस्थान के शिक्षा मंत्री एज्यूकेशन के मामलों में एक मात्र फाइनल ऑथोरिटी माने जाते हैं और इस प्रकार का परिवर्तन आता है तो उनके अधिकारों के अन्तर्गत है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करके इसमें परिवर्तन करें।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी के मामलों में पौलिसी मैटर निश्चित होना चाहिये। दूसरे क्षेत्रों के मैरिट्स की उपेक्षा करके, उनके हक को मारकर अपनी मनचाही जगह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। बहु-फैकल्टी युनिवर्सिटी हर क्षेत्र में करना है तो आपको देखना चाहिये कि कहां युनिवर्सिटी के लिए आवश्यक व्यवस्था थी, कहां कितने कॉलेजेज थे। बीकानेर में सारी व्यवस्था आवश्यक थी, उसके मेरिट को मारकर कृषि युनिवर्सिटी के नाम पर विश्वविद्यालय फिर वहां ले जा रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण सीमित और संकुचित रहता है। मुख्य मन्त्री का दृष्टिकोण इस तरह का हो जाय तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है ? उनको सारे राजस्थान के दृष्टिकोण से सोचना चाहिये क्योंकि वे सारे राजस्थान के हैं, क्षेत्र विशेष के नहीं। मुख्य मन्त्री और ऊपर बैठे मन्त्रियों का दृष्टिकोण संकुचित हो जाय और फिर राजस्थान के अन्दर एकीकरण की, इन्टीग्रेशन की, राष्ट्रीय एकता की बात कहें तो यह एक भुलावा मात्र है। जब तक जुबान और कदम, कथनी और करणी एक नहीं रखते तब तक आपकी जुबान का कोई प्रभाव नहीं होता।

इसलिये जहां तक युनिवर्सिटी खोलने का मामला है, पोलिसी मेटर तय हो जाना चाहिये। कोई बीकानेर का ही सवाल नहीं, चाहे अजमेर हो, कोटा हो, भरतपुर हो, कोई हो, जहां मेरिट्स के आधार पर युनिवर्सिटी खोलना उपयुक्त हो वहीं युनिवर्सिटी खोलनी चाहिये।

तो मैंने जो ये सारे मुद्दे रखे हैं, इन पर प्रवर समिति में ही अच्छी तरह विचार हो सकता है, इसलिये मैं इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं कि इसे मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

श्री गंगासिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी (ग्रमेंडमेंट) बिल जो सदन में प्रस्तुत किया गया है इसके जरिये पहले का जो एक्ट है उसको उदयपुर युनिवर्सिटी एक्ट में परिणत करने की बात कही गई है। इस नये बिल के जरिये जो इन्स्टीट्यूशन एग्रीकल्चर का था वह उस सीमा में न रह कर बहु-उद्देशीय युनिवर्सिटी बनेगी। जहां तक इस उद्देश्य का प्रश्न है, इससे मैं सहमति प्रकट करता हूं। पर यह बिल पेश हुग्रा है इससे पाया जाता है कि इसमें प्रोवीजन्स ऐसे हैं जो राजस्थान युनिवर्सिटी ग्रौर जोधपुर युनिवर्सिटी से भिन्नता रखते हैं। एक ही प्रान्त की तीनों युनिवर्सिटियां हैं ग्रौर उनमें, उनके प्रोवीजन में विभिन्नता हो तो यह वाज़िब प्रतीत नहीं होता। इसलिये मैं यह वाजिब समझता हूं कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिससे तीनों युनिवर्सिटियों के बारे में सोचकर एक ही तरह के प्रोवीज़न्स रखे जायं।

साथ ही यह बिल पेश हुग्रा है, इसके क्लॉजेज की तरफ मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूँगा। वाइस चान्स्लर्स की नियुक्ति का क्लॉज है, उसमें यह है कि वाइस चान्स्लर्स की नियुक्ति चान्स्लर द्वारा सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश पर की ज़ाती है। सिलेक्ट कमेटी के चार मेम्बर्स होते हैं, सिलेक्ट कमेटी के चार ग्रादमी मिलकर एक ग्रादमी को निर्धारित कर देते हैं तो चान्स्लर के सम्मुख सवाल नहीं रहता है कि किसको मुकर्रर किया जाय। पर उन चार मेम्बर्स में से दो मेम्बर किसी एक ग्रादमी के लिये सिफारिश करें ग्रौर दूसरे दो मेम्बर किसी दूसरे के लिये सिफारिश करें तो चान्स्लर के लिये मुश्किल होता है कि किसको मुकर्रर करें। तो ऐसी दशा में चान्सलर का मत भी लिया जायगा या चान्सलर का निर्णय फाइनल समझा जायगा, इसमें ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तीन मेम्बर्स एक तरफ राय प्रकट करें ग्रौर एक मेम्बर एक तरफ राय प्रकट करे तो तीन ग्रादमियों की राय मानी जायगी या नहीं, यह भी इसमें स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी दशा में यह ग्रावश्यक है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करके इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रोवीज़न रखा जाय।

बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल की नियुक्ति की गई है उसको देखें तो पुराने बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल के गठन में ग्रौर नये बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल के गठन में बड़ा फरक रखा गया है। नये बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल में चीफ जस्टिस, राजस्थान लेजिस्लेटिव ग्रसेम्बली के मेम्बर ग्रौर उदयपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन के चेयरमैन तक को लिया गया है। जहां तक चीफ जस्टिस, राजस्थान को बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल में रखने का प्रश्न है मैं इसका घोर विरोध करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि जुडिशियरी ग्रौर एग्जीक्यूटिव सेपरेट है ग्रौर चीफ जस्टिस एक खास स्थिति में हैं, युनिवर्सिटी के बारे में मुकद्मा हो सकता है ग्रौर चीफ जस्टिस बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल में मेम्बर हैं। तो वह उचित नहीं। चीफ जस्टिस की पोजीशन वहां ऐसी हो कि उनकी ग्रावाज केरी ग्राउट न की जाय। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि बोर्ड ग्रॉफ कन्ट्रोल में चीफ जस्टिस की विवादग्रस्त विषय में नीति ग्रौर हो ग्रौर दूसरे मेम्बर्स की नीति ग्रौर हो ग्रौर रिट पेश करनी पड़े तो जुडिशियरी के हैड को इन एज्यूकेशनल व एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स में डालना ग्रच्छा प्रतीत नहीं होता।

(श्री गंगासिंह)

इसके साथ ही साथ में यह भी कहूंगा कि जो प्योरली पौलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं, उनको एज्यूकेशन की गवर्निंग बोडीज में रखना उचित प्रतीत नहीं होता। इनको यदि रखा जायगा तो इज्युकेशन के इस पवित्र मामले में भी पोलिटिक्स घर कर जायगी।

इसके अतिरिक्त जो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की अभी नियुक्ति की है उसमें यह रखा गया है कि इसमें लाइफ मेम्बर होंगे। एक लाख रुपया जो देता है वह लाइफ मेम्बर बन जायगा। तो पैसे के आधार पर किसी इन्डिविज्युअल में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय वह वाजिब नहीं होगा।

तो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के बारे में भी जो ये मुद्दे हैं इनमें सुधार करना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से भी इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, जिससे कि इन सारी बातों पर विचार किया जा सके।

इन आधारभूत बातों पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा जो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन है उसको पास करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कोई उलझन नहीं रहती है। इसका मकसद तो ठीक है, लेकिन मुझे वे दिन याद आते हैं जब इस सदन में खड़े होकर माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की थी। आपने ही नहीं, जो आज हम हिन्दुस्तान में युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं, वाइस चान्सलर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री और तरह तरह के एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन्स और सैमीनार्स ने जो राय जाहिर की है कि युनिवर्सिटी का पेटर्न क्या होना चाहिये, इस पर सब ने यही राय जाहिर की है कि युनिवर्सिटी में मल्टी-फैकल्टी होनी चाहिये और उसको हमारी राजस्थान सरकार ने मान लिया है और यह अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

मान्यवर, इस बिल के मार्फत में यह कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेन्ट, यूनियन गवर्नमेन्ट, हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा को कोई डाइरेक्शन दे सकी, हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा का कोई एक पेटर्न तय कर सकी जिस प्रकार हमारे संविधान में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स तय किये हुए हैं, हिन्दुस्तान बनाने जा रहे हैं, या हिन्दुस्तान बन रहा है, युनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में स्टुडेन्ट्स शिक्षा प्राप्त करते हैं, मैट्रिक में पढ़ते हैं, उनका बेंट ऑफ माइन्ड उस तरफ ले जाकर, एक ही विषय सब जगह आता है चाहे आप किसी सेमीनार में जाकर बैठें, चाहे आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठें, एक ही रिज़र्वड डिस्कशन होता है, एक ही थीम आता है हम अपनी शिक्षा को, हम अपनी शिक्षा पद्धति को, चाहे युनिवर्सिटी एजुकेशन हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी और मिडिल, हायर सैकन्डरी एजुकेशन हो, हम उसको संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की तरफ नहीं बदल सकें हैं।

(श्री केदारनाथ)

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट आयी। कोई बच्चा हाई स्कूल को पास कर युनिवर्सिटी गेट पर खड़ा होता है, कॉलेज में जाता है तो उसकी उम्र १७ वर्ष की कर दी। किसी ने सोचा नहीं कि इससे राजस्थान की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? हम टीचर्स दे सकेंगे या नहीं, एपरेटस दे सकेंगे या नहीं? जो साफ तस्वीर शिक्षा की होनी चाहिये वह है या नहीं, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। मुदालियर कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसकी वह चीज़ राजस्थान में भी कर दी। इस प्रकार रेजिमेन्टेशन आॅफ थोट, राजस्थान के इलाकों की हालत को न देखते हुए उसको यहां इन्ट्रोड्यूस कर दिया। आज, मान्यवर, हिन्दुस्तान में यह टेन्डेन्सी पैदा हो रही है कि एग्रीकल्चर सर्विस आॅल इन्डिया पेटर्न पर लायी जाय। स्टेट का और यूनियन का पैटर्न एक हो। आज हमारी एजुकेशन का स्टेन्डर्ड गिर गया है। हमारी सरकार और हमारे शिक्षा मन्त्री एजुकेशन के पोर्टफोलियो नहीं सम्हाल सके हैं। यह सही है कि आज तक हम अपनी तालीम को, अपनी शिक्षा को नहीं सम्भाल सके हैं। मैं यह कहूंगा कि ये सीरियस थिंकिंग हो रहे हैं, ये फैसले हो रहे हैं, यूनियन गवर्नमेन्ट के विचार होते हैं कि ये सर्विसेज यूनियन लेवल पर होंगी, लाजमी तौर पर मानना होगा, एजुकेशन सुधर नहीं सके, राइट डाइरेक्शन नहीं दे सके, जो दिशा देनी चाहिये शिक्षा को वह नहीं दे सके और हमारी सरकार उसमें फेल हो गई। उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। मुझे एक बात याद आती है, उस वक्त कहा गया था कि चूंकि हमें पैसा मिलने वाला है, ग्रान्ट मिलने वाली है, इसलिए सीट का फैसला शीघ्र किया जाय। हमने यह पूछा था सिलेक्ट कमेटी का डिसिज़न है, रिपोर्ट है, क्या पोटेन्शियलिटीज हैं, कौनसा इलाका योग्य है और कौनसे इलाके की मांग है; लेकिन उसका ध्यान न रखते हुए एक स्वीपिंग फैसला किया गया, केवल एक उदयपुर का। मुझे उदयपुर से कोई चिढ़ नहीं है। नाम के लिए कहा जा रहा है कि उदयपुर युनिवर्सिटी हो। उदयपुर का इतिहास के अन्दर कुछ स्थान है। संस्कृति की दृष्टि से उदयपुर का विशेष स्थान है, जो ग्लोरीज़ हैं, टॉड की हिस्ट्री में हमको पढ़ने को मिलता है कि वास्तव में उदयपुर का विशेष स्थान है। राजस्थान बनने के बाद कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स आये, मिनिस्टर्स आये और मुख्य मन्त्री भी उदयपुर से आये। उदयपुर ने और भी बहुत कुछ चीजें दी हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है इसके नाम से। मेरा एतराज यही है उदयपुर का नाम कहने से कि देश में आज हमारे पास पोलिटिकल युनिटी है, लेकिन हमारे पास हिन्दुस्तान में कल्चरल युनिटी नाम की चीज़ नहीं है। कमेटियां बनायी गई, हिन्दुस्तान में सब जगह बनाई गयी, पोलिटिकल, युनिटी, कल्चरल युनिटी और रेशियल युनिटी कायम करने के लिए बनायी। देश में हमारे हाथ में सत्ता आने के बाद धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी जो कल्चरल युनिटी थी, जो कुछ भी हमारी संस्कृति बनी हुई थी, उसमें ह्रास आने लगा और हमारी कल्चरल युनिटी बिखरने लगी है। उदयपुर का नाम रखना, हम किस पेटर्न की तरफ जा रहे हैं, इससे भी भावात्मक एकता राजस्थान के अन्दर पैदा होती है या बिखरती है, यह भावात्मक एकता की ओर ले जाने वाला है या नहीं, उदयपुर नाम से कोई चिढ़ जैसी बात नहीं, उदयपुर नाम देना इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, साधारण होते हुए भी, जो राजस्थान की भावात्मक एकता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए उदयपुर

Page No 77

(श्री केदारनाथ)

नाम रखना उचित नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने नाम दिये हैं।

महाराणा प्रताप की हमारे देश में बहुत बड़ी कीमत है, मीरा की बहुत बड़ी कीमत है। राजस्थान की हिस्ट्री को देखा जाय, पन्ना धाय और भीलों में सबसे बड़ी यदि कुर्बानी की है तो बसी ने की है। मैं मानता हूं कि फाइटिंग भौरल मिल सकता हैं राणा के प्रताप के नाम से, मैं मानता हूं कि राणा प्रताप के नाम से एक इन्सेप्शन मिल सकता है, लेकिन अगर बेकवर्ड और पिछड़े लोगों को कोई एक करने में सहायक हो सकता है, कोई एकता की तरफ ले जा सकता है, जैसा कि हमने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा था पन्ना धाय का नाम। इसमें कोई शक नहीं है। संदेह नहीं है इसमें कि उस जैसी हिस्ट्री अनप्रिसिडेन्टेड है, अनपेरेलल है, कहीं नहीं मिलेगी। हिस्ट्री में आज उसका एक डोमीनेटिंग स्टेटस है। अपने बच्चे को मृत्यु के मुंह में धकेल कर, उससे बिछड़ते हुए भी वह हंसते हुए अपने बच्चे को ले जाती है। यह सारे राजस्थान की लाइफ को बता देती है वह राजस्थान के इतिहास को जन्म देती है, राजस्थान की लाइफ को, राजस्थान की ग्लोरीज को पैदा करती है। जिन ग्लोरीज़ के नाम पर गौरव आता है, राजस्थान का यह गौरव था, उसका यह इतिहास था। आप उसका नाम दें। देश में जहां पोलिटिकल युनिटी है, नेशनल युनिटी होते हुए भी कल्चरल युनिटी नहीं है, इन्टीग्रेशन नहीं है, यह नाम प्रेरणा देगा। हमने बहुत कहा। आज से दस वर्ष बाद और आपकी आगे की जेनरेशन यह फैसला करेगी कि आपने हमारी बात नहीं सुनी। कहां सेन्टर हो, किस प्रकार चल रहे हैं, आज वह सारी बात मानते हुए भी मल्टी फैकल्टी इसको बनाने जा रहे हैं, हमें इसकी खुशी है।

जिस तरीके से बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की बात है, उन्होंने कहा, वाइस चांसलर का अपोइन्टमेन्ट हो, उसकी टर्म एक्सपायर होने के पहले यदि लीव के कारण ऑफिस वेकेट होता है तो कौन अपोइन्टमेन्ट करे। अगर आप देखें, वाइस चान्सलर के जो पॉवर्स हैं, इस संशोधन के बाद भी उसकी डोमिनेटिंग पोज़िशन मालूम होती है। उदयपुर की युनिवर्सिटी के बारे में मुझे मालूम है, कुछ अखबारों में भी पढ़ा है। राजस्थान युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मुझे मालूम है। वैसे मैं सीनेट का मेम्बर हूँ, मैं मानता हूँ कि वाइस चान्सलर का किस प्रकार से असर पड़ता है। मुझे शेक्सपीयर का एक फ्रेज़ याद आता है। शायद आपने भी पढ़ा हो और माननीय उपशिक्षा मन्त्रीजी को मालूम हो:

"He acts like a Colossus who doth overrides not only Acts, not only Ordinances, not only Statutes, but even the decisions of the Senate and Syndicate."

किसी एक को नहीं मानते, न एडवाइज़र्स को, न सीनेट को और न सिन्डीकेट को माना चाहे प्रमोशन हों, अपोइन्टमेन्ट्स हों, खर्चे का सम्बन्ध हो, सब में धांधली। मैं यह नहीं चाहता कि युनिवर्सिटी के अन्दरुनी मामलों को यहां पेश करूं कि किस प्रकार का ट्रेन्ड है, किस प्रकार की पॉलिसी पैदा हो रही है। टीचर्स से पूछा नहीं, स्टुडेन्ट्स से पूछा नहीं। टीचर्स से पूछिये स्टूडेन्टस से पूछिये, उनके अभिभावकों से पूछिये। यह एक शिकायत मिलती है कि वाइस चान्सलर को डोमीनेटिंग स्टेटस दे दिया गया है सरकार के प्रोटेक्शन की वजह से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात कही गई कि यहां की असेम्बली

Page No 78

(श्री केदारनाथ)

क्या कर सकती है ? माननीय सदस्य क्या राय रखते हैं ? जिस पर सरकार द्वारा इतना पैसा खर्च किया जाय, एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिये जहां इतना पैसा खर्च हो रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार का इनडिसिप्लिन पैदा हो यह जो सारा युनिवर्सिटी में वातावरण बना हुआ है वह केवल एक आदमी की धांधली के कारण आतंक का वातावरण बना हुआ है। कोई ईमान की चीज नहीं। जहां ईमान को बेचा जाता हो, क्या ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन सरकार नहीं ले सकती ? आप कहते हैं कि असेम्बली कोई फैसला नहीं कर सकती। मेरा निवेदन है, हम हमारे प्रदेश में सुप्रीम पॉवर रखते हैं, पार्लियामेंन्ट के बाद स्टेट्स असेम्बलीज सुप्रीम बॉडी है। युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर की धान्धली हो रही है, जहां एजुकेशन खत्म होने जा रही है हम कुछ नहीं कर सकते ? मैं नहीं समझता कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपकी नीति नहीं है। आप कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते। बराबर उनको प्रोटेक्शन दिये जा रहे हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : जिस प्रकार की माननीय सदस्य स्थिति बता रहे हैं, उस तरह की भीषण स्थिति के अन्दर तो प्रोवीजन है।

श्री केदारनाथ : मेरा निवेदन इतना ही है कि आप जो यह अमेन्डमेन्ट बिल पास कर रहे हैं इसमें हमें यह देखना है कि कहीं हम वाइस चान्सलर को डोमिनेटिंग तो नहीं बना रहे हैं, कहीं ऐसी मिसाल तो नहीं पैदा कर रहे हैं जिस प्रकार की राजस्थान युनिवर्सिटी में पैदा हो रही है। वही गलतियों तो रिपीट नहीं कर रहे हैं ? हम आपको इसीलिये सतर्क कर रहे हैं।

कुछ कॉलेज आप इसके द्वारा एड करने जा रहे हैं जो प्रोपरली वर्डेड नहीं है, इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में देना जरूरी है। एजुकेशन का क्या पेटर्न होना चाहिये. जो एजुकेशन सर्विसेज़ इस ढंग से चल रही हैं वे इस लायक नहीं कि स्टेट को फायदा दे सकें। जिस प्रकार का हम विकास चाहते हैं उसके मुताबिक हम आज बच्चों का मानस तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ह्यूमेन वेल्यूज और मोरल वेल्यूज़ को नहीं बना पा रहे हैं, एज्युकेशन का स्टेटस बढ़ा कर कलचर पैदा नहीं कर सके, समाजवादी कलचर नहीं बना सके, नोन अलाइनमेन्ट का कल्चर नहीं पैदा कर सके। इस प्रकार के कल्चर आप नहीं पैदा कर सकते तो साइन्स फेकल्टी ह्युमेनिटीज़ फेकल्टी आदि कायम करने से क्या सार्थक चीज होगी ?

हम हमेशा खुशी जाहिर करते हैं कि हमने इस साल इतने हाई स्कूल खोल दिये, इतने स्कूल अप-ग्रेड कर दिये, इतने हायर सेकन्डरी स्कूल खोल दिये, लेकिन आपने कभी क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन की तरफ भी ध्यान दिया है ? आपने कभी रिजल्ट देखा है ? आपने कभी पाठ्यक्रम देखा है ? आपने, जो किताबें पढ़ायी जाती हैं उनको कभी देखा है ? आज आप जिस प्रकार की युनिवर्सिटी एज्युकेशन और प्राइमरी शिक्षा दे रहे हैं उसकी गंभीरता से एनेलिसिस कीजिये। आज जितने लड़के निकलते हैं क्या वे आज की परिस्थिति में, आज के युग में फिट बैठते हैं ? आपको तो अपनी पार्टी पोलिटिक्स से, अपने चुनाव

(श्री केदारनाथ)

क्षेत्रों से, पोलिटिकल अफेयर्स से फुर्सत नहीं है तो फिर आप कब इन गंभीर मसलों पर विचार कर सकते हैं ?

मेरे पूर्व वक्ता, माननीय सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है। मैं उनकी बातों को न दोहराता हुआ अर्ज करूंगा कि इस पर जो अमेन्डमेन्ट आये हैं उन पर विचार करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये ताकि वहां पर इस पर गंभीरता से सोच-विचार कर सकें। आॅल इण्डिया लेवल पर जो बातें शिक्षा के क्षेत्र में हो रही हैं, जो सेमीनार्स हो रहे हैं उनमें जो नये-नये अनुभव हो रहे हैं उनका भी समावेश हो सके। जैसे मुख्य मंत्री महोदय अमेरिका गये, वहां से वे यह बात लाये। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि जिस ढंग से हमारी एज्युकेशन का सिस्टम चल रहा है उसमें भी देश के वातावरण के अनुकूल परिवर्तन हो। यह हायर एज्युकेशन में परिवर्तन करने से ही बदल सकता है। युनिवर्सिटी एज्युकेशन का असर प्राइमरी एज्युकेशन पर भी पड़ता है। जैसा सिस्टम वहां होगा उसका रिफ्लेक्शन प्राइमरी ऐज्युकेशन पर पड़ेगा। इसके साथ-साथ हमारा जो एज्युकेशन डिपार्टमेंट है वह एक प्रकार से तमाशा सा हो गया है।

एक इन्स्ट्रक्शन निकाला गया कि प्री-युनिवर्सिटी में जो मैट्रिक पास करके जाते हैं उसमें इंगिलश का पेपर होता है उसके दो हिस्से हैं। मेरे पूर्व वक्ता महोदय इस चीज को ठीक तरह से समझा सके, मैं उस पर प्रकाश डालता हूं। एक पेपर पचास नम्बर का जनरल इंग्लिश का होता है जिसमें टैक्स्ट बुक्स होती हैं। टैक्स्ट बुक्स की पूरी तरह स्टडी करने के बाद भी मेरे जैसा व्यक्ति बीस पच्चीस नम्बर ही ला सकता है। मगर जनरल इंगिलश जिसमें अन्सीन पेसेज, डाइ-रेक्ट इनडाइरेक्ट, एक्टिव पेसिव, फिल अप दी बेलेन्क्स आते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति पचास में से चालीस नम्बर नहीं ला सकता। लेकिन इस प्रकार के इन्स्ट्रकशन्स सारे कालिजों में चले गये, वहां के स्टुडेन्ट्स ने प्रोटेस्ट किया, अध्यापकों ने प्रोटेस्ट किया; लेकिन उनके प्रोटेस्ट को किसी ने नहीं समझा। इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमें पूछा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं ?

मिसाल के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूं। इस साल बी० ए० में दो हजार विद्यार्थी फेल हुए, जिनको सप्लीमेन्टरी आया। १४०० लड़के इनमें से ऐसे थे जिनके इंगिलश में सप्लीमेन्टरी आया है। यह हमारा इंगिलश का स्टेंडर्ड है। यह राजस्थान स्टेट का स्ट्रक्चर है जहां हिन्दी भाषा के नाम से चिल्लाते हैं, जीनियस के मुताबिक भाषा बनाना चाहते हैं। यह बी० ए० फेल होने वालों का स्टेटस है, आप मास्टरों को पकड़िये। मुझे बात याद आती है प्रतापसिंह कैरों की। उन्होंने वहां की विधान सभा में कहा कि जिस टीचर का रिजल्ट अच्छा होगा उसको प्रोमोशन मेरिट पर दिया जायगा। सिनियो-रिटी का उतना ख्याल नहीं होगा जितना मेरिट्स का। उन्होंने यह घोषणा वहां की विधान सभा में की। आप हमें पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आपमें हिम्मत चाहिये, आप भी फैसला कर सकते हैं। आज वक्त है। आज यह बिल है, इस समय मौका मिला है। आप इसमें नये चेन्ज ला सकते हैं। इन सब बातों पर सोच-विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भिजवा दें तो बहुत अच्छा हो।

Page No 80

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदी-कुई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन बिल के ऊपर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाल दिया है। यह एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल इस विधान सभा के प्रथम सत्र में आया, उस पर वाद विवाद हुआ और उस समय सरकार से मांग की गई कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो वह सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। उस सिलेक्ट कमेटी का सदस्य होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। इस एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल के अन्दर जब सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग्ज हुई उनमें इस पर पूर्णरूप से विचार किया गया। आज फिर कुछ अर्से बाद उस कमेटी के अन्दर जो माननीय सदस्य थे वे इस संशोधन बिल को पायलोट कर रहे हैं। इतने थोड़े समय के अन्दर ही उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई जो इस संशोधन बिल को सदन में लाकर रखना पड़ा।

मैंने इस बिल के आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को पढ़ा है। इसके ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बड़े वेग टर्म्स के अन्दर लिखा गया है उसके लिये जो संशोधन में दलील दी गई है उसी पर प्रकाश डालूंगा।

जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में पेश किया जाकर इस पर विचार हो रहा था उस वक्त मैंने देखा कि राजस्थान के अन्दर चलने वाली दूसरी युनिवर्सिटी है वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। उसके बाद जोधपुर युनिवर्सिटी बनी थी उसकी सिलेक्ट कमेटी का मैं भी सदस्य था। उस समय जब उसका जोधपुर युनिवर्सिटी नाम रखा जा रहा था तब भी आशंका हुई थी। मैंने उस वक्त कहा था कि इस तरह से किसी शहर के नाम पर, किसी क्षेत्र के नाम पर किसी युनिवर्सिटी का नाम नहीं रखा जाना चाहिये। सदन में भी उसका विरोध हुआ था उस समय इस तरह के विचार उस क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने भी रखे कि इस युनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप युनिवर्सिटी रखा जाय, मीरां युनिवर्सिटी रखा जाय, पन्ना दाई के नाम से रखा जाय, इस प्रकार के तरह तरह के नाम रखने के विचार आये थे। मुझे उस वक्त भी शंका थी। आज मैं यह समझता हूँ कि उसी भावना से प्रेरित होकर इस संशोधन बिल को पायलोट करने वाले माननीय सदस्य ने, जब वे उप शिक्षा मंत्री बने उसी भावना से प्रेरित होकर यह संशोधन बिल पेश किया है। राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का नाम बदल कर उदयपुर युनिवर्सिटी रखा जाय। इसमें कम्पीटिशन की भावना की झलक लगती है। उन्होंने सोचा कि मैं मेरे टाइम के अन्दर ही इस राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का नाम बदलकर उदयपुर युनिवर्सिटी नाम रख रहा हूं जब कि जोधपुर युनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा था।

मैं आज आपके समने यह कहना चाहता हूं कि यह जो भावना का प्रदर्शन आपने किया, उस वक्त भी आशंका थी और आज वह आशंका फिर प्रकट हो गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी इसे पायलोट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : अब कौन इसे पायलोट कर रहे हैं और इसमें आपका कितना हाथ है, इस पर जनसंघ के सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको पता नहीं कि कौन पायलोट कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ इसमें आप (एक मन्त्री की ओर इशारा करके) पायलोट कर रहे हैं ।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : मैं जानता हूं एग्रीकलचर मिनिस्टर कर रहे हैं, पर इन पर भी किनकी छाया है, यह भी जानता हूं ।

जब जोधपुर युनिवर्सिटी का बिल आया था तब भी हमने कहा था । लेकिन आज जो संशोधन आया और उसके एम्स और आॅब्जें-क्ट्स देखे तो लगा वे बहुत वेग और सुन्दर भाषा में जरूर रखे गये हैं । उनको कोई बुरा नहीं कह सकता, पर पहला जो संशोधन है क्लॉज ३ का उससे आपकी मन्शा का पता लगता है और यह पता लगता है कि किनका कहना इन पायलोट करने वाले मन्त्रीजी पर असर डाल रहा है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अपको उदयपुर नाम पसन्द नहीं है तो पहलवान यूनिवर्सिटी रख दें ?

श्री मथुरेशविहारी माथुर : तो इससे तो क्षेत्रीय भावना का प्रदर्शन किया गया है । मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं कि उदयपुर में इसकी सीट रखी जावे । मैंने इसका उस वक्त भी समर्थन किया था । जो रिपोर्ट उस वक्त बताई गई और जिसे डिस्कस किया गया था तो कृषि के उत्थान के लिये कहीं भी इसे रखा जावे, चाहे उदयपुर में आप इसे रक्खें, चाहे जयपुर और बीकानेर में रखें उससे मेरा कोई विरोध नहीं । लेकिन विरोध तो आपकी इस क्षेत्रीय भावना के प्रदर्शन से है । आप भाषणों में राजस्थान की बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं और जहां क्रियात्मक प्रदर्शन का सवाल आता वहां आप इस तरह के संशोधन लाने से भी संकोच नहीं करते । पहले आप कहते हैं इसका नाम रहेगा राजस्थान युनिवर्सिटी । फिर आज आपको इसे बदलने के पीछे क्या दलील है ? मुख्य मंत्री महोदय ने भी इस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला था पर वे भी यह नहीं बता सके कि इसके पीछे उनकी क्या भावना है ? उनको राजस्थान नाम क्यों बुरा लगा, उदयपुर क्यों अच्छा लगा ? जोधपुर में चूंकि यूनिवर्सिटी है तो उसका नाम जोधपुर रहना चाहिये और चूंकि उदयपुर में हैं तो उदयपुर रहना चाहिये जिस लिमिट में जो हो, उसका नाम रहना चाहिये ऐसा विचार क्यों आया ? अब आपकी भावना देखकर सदन में कहा भी गया कि जो जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से चलती है उसका नाम भी जयपुर यूनिवर्सिटी कर दीजिये । अगर आप यही चाहते हैं तो फिर राजस्थान का नारा क्यों लगाते हैं । इसके लिये भी आप एक नीति निर्धारित कर दीजिये कि स्थानीय लिमिट के नाम पर नामकरण किया जावेगा तो इस तरह की नीति निर्धारित करके फिर अगर आप कुछ करते तो बात आपकी समझ में आ सकती थी, हालांकि यह नीति उचित नहीं होती । इसलिये जो आपने यह किया है अच्छा नहीं किया और यह आपके लिये शोभनीय नहीं है ।

इसका नाम आप जो था वही रखते, और कोई यूनिवर्सिटी वहां बनाते और उसका नाम उदयपुर रख लेते तब भी कोई बात नहीं थी । पर राजस्थान का नाम काफी वाद विवाद के बाद रखा गया, उसे हटाकर उदयपुर करना चाहते हैं तो इसके पीछे आपकी किस भावना का प्रदर्शन है, यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है ।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

मैं तो पूछता हूं आपको क्या डर है राजस्थान नाम रखने में ? अब जब कि आपकी स्टेट है, आपका शासन है, आपका एक्ट है और एक्ट में उसकी साइट के लिये साफ लिखा है कि साइट, इसकी सीट उदयपुर में रहेगी तो फिर आपको डर किसका है ?

इसीलिये तो माननीय सदस्यों द्वारा जब कई विचित्र और भिन्न भिन्न प्रस्ताव आये तो आप हंस रहे थे । कोई कहता था इसका नाम मीरा रख दियां जाय, कुम्भा रख दिया जाय, पन्ना दाई रख दिया जावे । तब आप हंस रहे थे । पर में कहूँगा कि इसको चलाने वाला कौन, इसको प्रेरणा करने वाला कौन ? आप तो यह जो भावना आपने प्रदर्शित की है, अच्छा नहीं किया ।

आगे से आप तय करते कि जिस क्षेत्र में जो संस्था या कॉलेज या जिस जिले में या डिविज़न में कोई चीज प्रगति की, कोई डबलपमेन्ट का बड़ा काम खोलेंगे तो उस क्षेत्र, जिला या डिविज़न के नाम से खोलेंगे तो यह आप अपनी नीति स्पष्ट प्रकट करें तब मैं समझ सकता हूँ और समर्थन कर सकता हूँ कि आप उदयपुर में अब किसी नये खुलने वलों बड़े काम का नामकरण उस जिले या डिविज़न या क्षेत्र के नाम से करें । मुझे तब विरोध नहीं होगा ।

पर आज विरोध है जब तक आप यह भी नहीं कहते कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी नाम बदल कर जयपुर यूनिवर्सिटी करते हैं और इसको बदलने के लिये भी अमेन्डमेन्ट बिल लाते हैं । तो आप इसको भी बदल दीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । |

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : जयपुर नहीं, मोती डूंगरी यूनिवर्सिटी कर दो इसे ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तो मैं फिर निवेदन करता हूं कि मैं आपके इस काम को ठीक नहीं समझता । आप जो इस तरह की संकुचित क्षेत्रीय भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं यह सही नहीं है ।

इसके साथ साथ इस संशोधन बिल के अन्दर मेरा भी एक संशोधन है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय । इसके लिये मैं इसके कुछ प्रावधानों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

जिस वक्त यह सिलेक्ट कमेटी में था बिल के रूप में, तब यू. पी. की रूपनगर या रूपगढ़ यूनिवर्सिटी का भी बिल देखा था, पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का भी एक्ट देखा था । उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि शिक्षा उप-मंत्रीजी ने जो उस वक्त सदस्य थे, डिस्कस किया था कि इसमें इलेक्टेड यह होना चाहिये । और दो की जगह एक किया था किसी जगह, और किसी जगह चार किया था । इतना होने के बाद आपको आवश्यकता पड़ गई इस बोर्ड के बनाने की । आपने इसके लिये एक रीज़न दिया है कि आप मल्टी-फैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं । पर इसके साथ आपने जो बोर्ड बनाया है और जो सैक्शन १३ के अन्दर अमेण्डमेण्ट लाये हैं उसके थोड़े नम्बर तो काउन्ट कर लें ? मैं बिल को पायलोट करने वाले मिनिस्टर महोदय का ध्यान उधर दिलाऊंगा, साथ ही फाइनेन्स मिनिस्टर का भी ध्यान दिलाऊंगा कि इस बिल में कितने आदमियों को बोर्ड में सदस्य रखा जा रहा है । यह नम्बर पचास सेभी ऊपर जाता है और फाइनेन्स मिनिस्टर

(श्रीमथुरेशबिहारी माथुर)

साहब कटौती की बात करते हैं। आज जब उदयपुर में पचास से ज्यादा सदस्य, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ डाइरेक्टर्स, कुछ सेक्रेटरीज और कुछ हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स और कुछ भिन्न भिन्न जगहों के इलेक्टेड पर्सन्स इकट्ठे होंगे, वहां जावेंगे, ठहरेंगे, मीटिंग अटेन्ड करने के लिये तो आप विचार करिये कि उनके टी. ए., डी. ए. का, एक बार की मीटिंग का, कितना बिल आ जावेगा। जैसे सदन में भी कई बार सवाल आया और कहा कि एक मंत्री बनाने पर छः हजार का खर्चा होता है। तो यह जो बोर्ड बना कर आप पचासों आदमियों को एक ओटोनोमस बॉडी बना कर निपुणों के तौर पर रख रहे हैं तो ये निपुण नहीं हैं। आप जो निपुण हों उनको ही रखिये।

आपका इतना बजट के ऊपर खर्चा कि ५०-६० मेम्बर्स बल्कि ५० तो मैंने अभी गिना है उसके अलावा डीन ऑफ दी फैकल्टी, हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट, लाइफ मेम्बर्स जो इसके हैं उनका तो पता नहीं कि कितने होंगे। हो सकता है उनकी तादाद १०,१५,२० से ज्यादा हो जाये। तो ५० ६० एक बोर्ड के मेम्बर्स हों और उदयपुर हर मीटिंग को अटेन्ड करने जायें तो कितना खर्च होगा। कितनी उनकी आवश्यकता है? उनकी आवश्यकता को आप देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने इसको डिसेन्ट्रेलाइज़ किया है या आपने अपने साथियों को आमदनी का जरिया दे दिया है। मैं तो यह कहूंगा कि आपने अपने साथियों को आमदनी का जरिया दिया है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब विचार करें कि आपके इस एडमिनिस्ट्रेशन में यह बीमारी फैल गयी है कि मीटिंग के नाम पर रोजाना मीटिंग बुला लेना और उसमें भारी तादाद में आदमियों को बुला लेना। इसकी आप आवश्यकता तो देखो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसकी आवश्यकता की ओर दिलाऊं। आपने इसके प्रावधानों द्वारा सारी सत्ता सरकार में निहित रखी है। सरकार के अन्दर अभी इसको सेन्ट्रलाइज़ किया है। सरकार चाहे तो उसकी जुरिस्डिक्शन बदल दे, सरकार चाहेगी तो अण्डर दी रूल्स प्रेस्क्राइब्ड, उसके तहत में रजिस्ट्रार मुकर्रर करेगी, सरकार चाहेगी उसको पहली बार वाइस चान्सलर बना देगी। आपकी सारी पॉवर्स का केन्द्र सरकार है। अब सरकार के तहत में जब सारी पॉवर्स हैं तो एक तरफ तो सरकार है और वही मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी और उसके सेक्रेटरी भी और कमिश्नर्स भी मीटिंग में जायेंगे और बोर्ड में बैठेंगे, तो फिर यह अपील अपर लेवल पर कौन सुनेगा? यह सभी सदस्य यहां आकर बैठ जायेंगे और उधर सरकार में भी यही लोग जाकर फैसला देंगे। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब वहां जाकर बैठ गये तो जितने भी मेम्बर्स हैं वह उनसे प्रभावित होंगे। चाहे आप इस बिल को कितना ही वसीह बना दें, क्योंकि उनको नोमीनेट करने वाले आप हैं, रजिस्ट्रार को अपॉइन्ट करने वाले आप हैं और वाइस-चान्सलर को आप बनाने वाले हैं, आपने कह दिया कि सलेक्शन कमेटी बनायेगी और आगे मैं आपका ध्यान सेक्शन ११ की तरफ दिलाऊंगा। उसमें आपने लिख दिया।

"Selection Committee appointed in the manner prescribed";

Prescribed by whom? मैं तो यह कहूंगा कि अगर आप इस पर गहराई से सोचें तो जो हमारी आशंकायें हैं वह सही हो जाती हैं। अब सिलेक्शन कमेटी प्रेस्क्राइब्ड इन दी मैनर

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

लेकिन प्रेस्क्राइब्ड इन दी मैनर बाई हूम ? मैं आॅटोनोमस की दलील देने वालों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय मैंने एक्ट पर विचार किया था उस समय सारी पॉवर्स कॉन्सटीट्यूएन्ट्स को दी थीं। जो कि वहां का बोर्ड है वह सारे नियम बनाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर जो पॉवर्स हैं वह बाई कॉन्सटीट्यूट्स हैं, जोधपुर युनिवर्सिटी में ज्यादा पावर्स कॉन्सटीट्यूट से आती है, लेकिन आप यह संशोधन ले आये कि प्रेस्क्राइब्ड इन दी मैनर। इसमें कौन है आपकी गवर्नमेन्ट और आप ? वह कोई रूल बना देंगे कि ३ आदमी, फलां सेक्रेटरी या और कोई भी, वह रजिस्ट्रार मुकर्रर करेंगे, वह वाइस-चांसलर मुकर्रर करेंगे या और सदस्य मुकर्रर करेंगे।

तो यह आपकी आॅटोनोमस की दलील क्या वक्त रखती है। जैसा कि ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में कहा है कि हम डी सेन्ट्रलाइज़ करने के अभिप्राय से यह संशोधन ला रहे हैं; आप ही बताये कहाँ आपकी दलील टिकती है ? आप डीसेन्ट्रलाइज़ कर रहे हैं या अन्डर दी प्रेसक्राइब्ड रूल्स जगह जगह लिख रहे हैं। पहले मेन एक्ट में यह शब्द कहीं नहीं थे और आप इनको इसमें ले आये। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है कुछ कमेटीज़ में मेम्बर होने का तो मैं देखता हूं आज इस बिल में यह बीमारी आ गयी और किसी भी बात को करने के लिए कह देते हैं अन्डर दी प्रेसक्राइब्ड रूल्स और जब मर्जी आई रूल्स बना दिये और लागू कर दिये और जब चाहा तब उन रूल्स के तहत में आदमी मुकर्रर कर दिये और जब उनको कुछ कहा जायेगा तो कहेंगे कि उस सिलेक्शन कमेटी के जरिये प्रेसक्राइब्ड रूल्स के तहत में ले लिये हैं। यह आपत्ति उठाई तो आप कह देंगे अण्डर प्रेसक्राईब्ड रूल्स है। तो आपने जो यह प्रेसक्राइब्ड रूल्स का जगह जगह संशोधन चाहा है, यह आपने क्लॉज़ ११ में चाहा है, क्लॉज़ १३ में चाहा है और क्लॉज़ १४ में चाहा है, यह जो अन्डर दी प्रेसक्राब्ड रूल्स का अमेंडमेंट दिया है यह बहुत ही गलत है। डीसेन्ट्रलाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स हैं उनके खिलाफ है। बल्कि इससे तो आप सेन्ट्रलाइज़ कर रहे हैं और सरकार द्वारा पूरी सता को अपने हाथ में रखना है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सता अपने हाथ में रखने की किसी तरह की मन्शा है तो चाहे मंत्री हों, चाहे उप-मंत्री हों वह उसी दिन इस ऑटोनॉमस बॉडी को खत्म कर देंगे। मैं इसका एक दृष्टान्त देना चाहता हूं।

पिछले सदन में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक यहां के वाइस चान्सलर के ऊपर हमारे सदन के माननीय सदस्यों ने बड़े आरोप लगाये। एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी से वाइस चान्सलर का जब झगड़ा हो गया तो वाइस चान्सलर ने मीटिंग ही बुलाना छोड़ दिया। यह आपकी सीनेट की और एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी की दलील है, जब सीनेट वालों ने एक प्रोफेसर के अपॉइन्टमेन्ट के बारे में कुछ कहा तो वाइस चान्सलर का झगड़ा हो गया। उसकी एक रिपोर्ट बनी थी और सदन में आई थी, उनका ऐसा झगड़ा हुआ कि मीटिंग ही बुलाना छोड़ दिया और उन्होंने कह दिया कि मेरी एग्ज़ीक्यूटिव से नहीं बनती है और वह मेरा कहना नहीं मानती है। फिर यह संशोधन में लाया गया कि उस सीनेट में और एग्ज़ीक्यूटिव में और आदमी बढ़ाये जायें।

आज बिल में देखा गया है कि सारी पॉवर्स सीनेट में या बोर्ड में किसी में नहीं हैं, वाइस चान्सलर में उसको पॉवर्स हैं और उसकी मर्जी है कि मीटिंग बुलाये या नहीं।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

पॉवर्स ऐसी हुआ करती हैं कि जब आप इतना बड़ा वसीह बोर्ड बना रहे हैं तो वाइस चान्सलर से उसकी नहीं बनती है और किन्हीं पॉइन्ट्स पर डिफ्रेन्सेज़ हो जाते हैं तो क्या सीनेट की २।३ तादाद या १।३ तादाद या ३।४ तादाद उस मीटिंग को नहीं बुला सकती; आपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा, केवल निहित कर दिये सारे पॉवर्स वाइस चान्सलर की मर्जी है, अगर वह डिफर करता है तो नहीं बुलायेगा। ऐसी मिसाल है हमारे पास। इसलिये जो आपने प्रावधान रखा है, क्योंकि वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार आप मुकर्रर करेंगे इसलिए आपको तो डर नहीं है। आपके कहने के मुताबिक तो वह ऑटोनॉमस बॉडी जिसके लिए आप अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं इसको पास कराने के लिए आप यह मिसाल तो पीछे दें, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके राजस्थान में और इण्डिया में जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं इस यूनिवर्सिटी को आप उनके पैमाने पर नहीं ले जाना चाहते हैं। केवल उदयपुर यूनिवर्सिटी ऐसी हो गयी, इसको चालू हुए एक साल हुआ है और प्रदेशों में हमारे भारत के अन्दर यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उनमें किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं की गयी उनमें किसी में प्रावधान नहीं रखा गया, फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ी इन प्रावधानों के लिए।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह प्रावधान जो इसमें रखे गये हैं इनको देखते हुए यह आवश्यक है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजा जाय और सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हो।

इस बोर्ड में इतने सदस्यों को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को नॉमीनेट गवर्नमेंट करेगी और शायद उप-मन्त्री महोदय को यह ख्याल आया होगा। मैं समझा कि उनका इसमें हाथ नहीं है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि फॉरेस्ट और पब्लिक वर्क्स और लॉ एण्ड जुडीशियल तक के रिप्रेजेन्टेटिव और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट इस युनिवर्सिटी में जा सकते हैं और उनके नुमाइन्दे वहां जायेंगे, आखिर क्या मतलब है इसका? इन विभागों से उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्या ताल्लुक है। फॉरेस्ट से इसका क्या लेना देना है? आपकी मर्जी आयेगी तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर को सदस्य बना देंगे। लॉ एण्ड जुडीशल वालों को भेज देंगे और इतने, सौइयों, आदमी मुकर्रर कर देंगे। उससे भी आपको तसल्ली नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन सारी बातों को आपने देखा है और आपके सामने जब एक्ट के ऊपर सिलेक्ट कमेटी के लिए गवर्नमेन्ट ने कन्सीड किया था और उस समय सदन की राय मानकर सिलेक्ट कमेटी को भेजा था और उस सिलेक्ट कमेटी में से निकल कर कोई चीज आई थी और सरकार ने पास किया था, तो आज कोई जल्दी नहीं है। केवल अगले सत्र तक इसको सिलेक्ट कमेटी में इन प्रावधानों के लिए भेज दें। लास्ट में, मैं कहूंगा इसका जुरिस्डिक्शन है, इस पर जो आप अमेंडमेंट लाये हैं यह उस वक्त नहीं था, मेन एक्ट के अन्दर, राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक्ट में यह प्रावधान नहीं था। उस वक्त नहीं था और आज आपने किया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कॉलेज को, किसी भी इन्स्टीट्यूशन को इसके अन्दर में कर सकती है। अब आपने कॉलेज का नाम नहीं रखा हैं, डिग्री कॉलेज नहीं रखा है—बल्कि डेफिनेशन को इतना वेग कर दिया है कि कोई प्राइवेट एग्रीकल्चर को इन्स्टीट्यूशन होगी, कोई भी फार्म होगा तो

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

वह भी नहीं बचेगा, उसको भी यूनिवर्सिटी के अन्डर में ले सकते हैं, क्योंकि आपने दिया है कि इन्स्टीट्यूशन्स को एड करने के लिए, जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अधिकार चाहती है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो जुरिस्डिक्शन बढ़ाने के लिए आपने अमेंडमेंट रखा है, ये आशंकायें पैदा करता है और आपके अभिप्राय पर माननीय सदस्यों ने शंकायें प्रगट की हैं वे सही हैं और वह यह है कि चाहे छोटी चीज हो, चाहे बड़ी चीज हो, आप सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड मैनर में वह लाकर अपनी मन्शा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए, मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करूंगा कि मेरा जो संशोधन है कि यह बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय यह अत्यन्त आवश्यक है और मुझे आशा है कि सरकार और सदन के माननीय सदस्य इसे आवश्यक समझेंगे। क्योंकि यह शिक्षण संस्था और इन्स्टीट्यूशन का सवाल है, इसलिए इसे जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

(६.५२ म. प.)

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३

(प्रवर समिति के सदस्यों के नाम)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! राजस्थान प्राइमरी एजुकेशन बिल, १९६३, जो प्रवर समिति को सौंपा गया है, के सदस्यों की नामावली इस प्रकार से रहेगी :

१. श्री निरंजननाथ आचार्य, चेअरमैन
२. श्री रघुनाथ बिश्नोई
३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
४. श्री गिरधारीलाल व्यास
५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार
६. श्री मानिकचन्द सुराणा
७. श्री कृष्णकुमार गोयल
८. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
९. श्री केदारनाथ
१०. श्री फूलचन्द
११. श्री केसरीसिंह (पाली)
१२. श्री अमरसिंह (जसोल)
१३. श्री पोहूमल ईसरदास
१४. श्री दलपतसिंह
१५. श्री भगराज चौधरी
१६. श्री जयकृष्ण शर्मा
१७. श्री मोहरसिंह राठौड
१८. श्री रावतराम
१९. श्री भरतलाल
२०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२१. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

Page No 87

राजस्थान कृषि विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३

(पूर्व क्रम से विचार-विमर्श एवं पारित)

सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सवा सात बजे तक वाद-विवाद चालू रहेगा ; उसके बाद सरकार का जवाब होगा।

(विराम)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इधर के सदस्यों को तो चान्स नहीं मिला। सवा सात तो ये बजा देंगे। हमें कहना है वह कह नहीं सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I shall request the Hon'ble Member to be brief.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पन्द्रह मिनट तो बोलूंगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक राजस्थान एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया है। इसको पढ़ा, पहले भी देखा और आज भी बहुत गौर से देखा। मैं समझता हूं कि कई मेरे मित्रों ने रखा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, किसी ने रखा, पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा जाय, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट बिल का घोर विरोध करता हूं।

(श्री मानसिंह महार)

यह मेरी निश्चित विचारधारा है और मैं कहता हूं कि यह एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसको वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देना चाहिए। इसे सदन में पेश करके सरकार ने एक प्रकार से सदन का एक दिन वेस्ट किया है और इसलिए मैं सरकार का भी घोर विरोध करता हूं....

एक माननीय सदस्य : कल टाइम नहीं दिया इसलिए।

श्री मानसिंह महार : जी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कहिये।

श्री मानसिंह महार : बीच में इन्टरप्शन्स होंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो बीस मिनट लूंगा।

श्री रामकिशन (वैर) : यह सो रहे हैं, इन्हें पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनके इन्टरप्शन को माइन्ड नहीं करें।

श्री मानसिंह महार : मेरा दिमाग उधर चला जाता है, मैं मजबूर हूं। मेरे मित्र ने कहा कि कल टाइम नहीं दिया इसलिये। टाइम अगर देते तो इनकी सात पीढ़ियां उधेड़ देता। ये टाइम कैसे देते ? लड्ढा साहब को डर लगा कि मानसिंह महार बोलेगा तो अपना दिवाला निकल जायगा, इसलिये टाइम..........

श्री उपाध्यक्ष : कल को छोड़िये। आज की कहिये।

श्री मानसिंह महार : मुझे डिस्टर्ब करते है तो मै क्या करूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आया, इसको मैंने देखा तो बड़ी खुशी हुई। मैंने देखा कि जो शंका सदस्यों ने एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी बिल को पास करते समय इस सदन में व्यक्त की थी, वह हमारे मुख्य-मन्त्री ने, हमारे कृषि मन्त्री नाथूराम जी ने और हमारे मन्त्रियों के मन्त्री लड्ढा जी ने पूरी की है; राजस्थान एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी का नाम बदल कर धीरे से उदयपुर युनिवर्सिटी कर दिया गया है। कमाल कर दिया। मैं इनकी बुद्धि को दाद देता हूं। इनकी तरकीब को दाद देता हूं। जब राजस्थान युनिवर्सिटी बनने लगी तब हमने कह दिया कि इसका नाम जयपुर युनिवर्सिटी रख दो तो कहा; तुम तो क्षेत्रीय भावना से भरे हुए हो और कहा हम तो बड़े दिल वाले हैं। हम कब कहते हैं, रखिये राजस्थान युनिवर्सिटी। इसी तरह जब एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी बनाने का सवाल आया तो उस समय हमने कहा कि जोबनेर में खोलनी चाहिए। तो कहा गया कि उदयपुर उपयुक्त है इसलिये राजस्थान एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी उदयपुर में रहेगी। हमने कहा, ठीक है साहब, उदयपुर में रख दीजिये। अब वही शंका, वही बात आ गई साहब कि इसका नाम बदल कर, राजस्थान एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी न रख कर सीधा उदयपुर युनिवर्सिटी कर दिया जाय। क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर का इतना प्रभुत्व है, राजस्थान में उदयपुर के मुख्य मन्त्री हैं; राजस्थान में वाइस चान्सलर उदयपुर के हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव उदयपुर के हैं और हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स में भी जो मिनिस्टर मोस्टपॉवरफुल हैं वे उदयपुर के महानुभाव हैं और जो इस बिल को पॉयलोट कर रहे हैं वे भी उदयपुर के हैं। हम यह भी जानते हैं कि जब उदयपुर युनिवर्सिटी फंक्शन करने लगेगी तो वाइस चान्सलर भी कोई मेवाड़ी आयेंगे। हम यह भी जानते है; लेकिन हम यह कहते हैं कि अरे, इस संकुचित भावना को भूल जाओ। आपको मैं एक मिसाल देता हूं, वह मिसाल है, आप तो डिप्टी मिनिस्टर हैं। आपके पूर्वज भूतपूर्व राजस्व मन्त्री थे उनकी मिसाल देता हूं कि उन्होंने भी पिता के नाम से मालपुरा में बृजलालनगर बसाया दामोदरनगर बस या। रामपुरा गांव था उसका नाम बदल कर और मालपुरा में दामोदर मार्ग कायम किया। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, निवाई के अन्दर एक गौशाला भी दामोदर गौशाला नाम से बनाई गई है। यह 'दामोदर-दामोदर' जब ज्यादा की तो दामोदर घर बैठ गये। मिसाल लो, सबक लो। यदि 'उदयपुर–उदयपुर' ज्यादा किया तो तुमको लोग निकाल देंगे और अजमेर और जोधपुर वाले कब्जा कर लेंगे। और क्या मालूम, कामराज नाडार एक बीमारी ले आये हैं, उसके कारण मुख्य मन्त्री जी कितने दिन के लिए यहां बैठे हैं। यह सोचो, उदयपुर–उदयपुर कहने का आपके दिमाग में यह कीड़ा भर गया है, वह आपके दिमाग को खोखला कर रहा है, दिमाग का दिवाला निकाल दिया है। मेवाड़ी भाईयों, आपको मैं कहता हूं कि आप नीचे गिरते जायेंगे और एक समय वह आने वाला है; दिन कह देंगे कि यह उदयपुर युनिवर्सिटी नहीं, यह तो इन्दुबाला सुखाड़िया युनिवर्सिटी है। कोई मीरा के लिए कहते हैं, कोई महाराणा के लिए कहते हैं, आप इस पर आ जायं, आप दल-दल में फंसे रहे तो नीचे गिरते रहेंगे। आपके सुखाड़िया जी, जो

(श्री मानसिंह महार)

महान् व्यक्ति हैं, उनकी आप अवहेलना करते हैं। हम उनको राजस्थान का मानते हैं। हम यह मानते हैं कि वे ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के एक महान् व्यक्तित्व हैं, वे चाहे किसी तरह बढ़े हों, लेकिन वे बढ़ गये हैं और अच्छे नेताओं में से माने जाते हैं। अगर राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर उदयपुर यूनिवर्सिटी करें और अमेरिका की मिसाल दें। मुझे दुःख इस बात का हुआ कि अमेरिका के अनुभव इसमें ही लगाये उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, तो लाखों रुपये कुए में डाल दिये। मैं सही कहता हूं कि वह अमेरिका से लौटकर आये तो मैं समझता था कि वहां पर एक बहुत अच्छी शराब चालू हुई है वॉडका नाम की जो कि रूस से गई है, मेरे एक अमेरिकन मित्र ने लिखा था कि इसका भारत में भी प्रचार करना चाहिए...

(७.०० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष ; एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल से उसका क्या ताल्लुक है ?

श्री मानसिंह महार : उसी से ताल्लुक रखता है, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा था कि अमेरिका के अनुभव से यह कह रहे हैं, तो अमेरिका में जो आपको मिला तो मैं उनको यह आह्वान करना चाहता हूं कि कुछ उस ड्रिंक में कुछ खूबी है कि उसको पीने के बाद शराब की बास नहीं आ सकती। कोई भी पी सकता है। आप लोग भी पी सकते हैं। जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं उनको आह्वान करता हूं। आपके लिए बोलता हूं कि चुपके-छाने पीते हैं तो बास आ जाती है। वह ड्रिंक ले आते। उसकी बात करते तो मैं मान लेता कि अमेरिका के तजुर्बे के आधार पर राजस्थान के नाम को अखंडित करने की बात चाहते हैं।

उदयपुर जिले का नाम रखा। उदयपुर के इतिहास को मैं मानता हूं। इसके इतिहास की तारीफ करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि आप राजस्थान के टुकड़े करना चाहते हैं और मैं राजस्थान को अखण्ड रखना चाहता हूं। आप में और मेरे में यह फर्क है। आप राजस्थान की जनता की भावना को इस तरफ ले जा रहे हैं और आप कहते हैं कि हम नेशनल इन्टिग्रेशन चाहते हैं। उदयपुर के भाई पिछड़े हुए हैं और हम जयपुर वाले कॉस्मोपोलिटन आदमी हैं। हम नहीं कहते हैं कि जयपुर युनिवर्सिटी होनी चाहिये। आप लोग संकुचित भावना के हैं। संकुचित ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, नीचता की भावना मैं उसको कहता हूं, वह आप में कूटकूट कर भरी हुई है। फिर तो अजमेर वाले कहेंगे कि अजमेर युनिवर्सिटी बनाओ और फिर चौथा नाम आयेगा। हम ऐसे नहीं हैं। जो यह बात कही गई है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। मै तो यह कहता हूं कि यह पीस ऑफ पेपर है।

मैं और बातों पर चला गया। नाम का चल रहा है। नाम के लिए मैं कन्विन्स करना चाहता हूं उप-मन्त्री जी को और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को कि नाम बड़ा खतरनाक है। नाम ऐसा है कि वह हमारी युनिटी को खत्म कर देगा। आप यह क्या कर रहे हैं ? आपने शायद सोचा नहीं कि इसके कान्सीक्वेन्सेज क्या होंगे। आप उसकी भावना में बह गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कुछ नाम बताइये।

श्री मानसिंह महार : इन्दुबाला युनिवर्सिटी रख दें। मैं कह चुका हूं कि बार बार डिस्टर्ब न करें। आप हमको मौका देते हैं कि ऐसी बात कहें। मेरी सुनेगें नहीं। तो कानों के पर्दे नहीं खुलने वाले हैं। इसीलिए मुझे यह कहना पड़ता है।

फिर मैंने इसको पढ़ा, उपाध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर के अलावा और भी कोई मतलब की चीज हो तो इसमें कुछ ऐसी नहीं है। एक नई बात मैंने जरूर देखी कि राजस्थान युनिवर्सिटी जयपुर में भी है, और भी जगह युनिवर्सिटीज़ हैं, भारत में कई जगह युनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन एक नायाब बात देखी कि उदयपुर म्युनिसिपेलिटी के चैयरमैन उसके बोर्ड के मेम्बर जरूर होंगे। क्यों न हों? उदयपुर म्युनिसिपेलिटी के चैयरमैन के रूप में सुखाड़ियाजी अपने एक आदमी को क्यों न बढ़ायें? उसके अन्दर उनका प्रभुत्व बना रहे। वे तो एक ऐसे आला दिमाग आदमी हैं। वह यह चाहते हैं कि अगर कामराज नाडार योजना में वे हट जायें तो ५-७ वर्ष तक इस युनिवर्सिटी के अन्दर मेरा आदमी आज भी बैठा हुआ है। एम० एल० एज़० में से ही तो वह भी आपके ग्रुप का। १७६ में एक है, लेकिन देखिये कि उसके भी चुनने का अधिकार नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, में चेयर की बहुत कद्र करता हूं, यह नहीं कि मैं चेयर के लिए कोई एस्पर्शन करता हूं, लेकिन एम० एल० एज़० में से भी एम० एल० ए० चुनकर जाय। उसमें भी यह होता हैकि वह आदमी चुन कर जायगा और हर वक्त एक ही पार्टी का नहीं जायगा। एक बार कांग्रेस का जायगा तो एक बार विरोधी पक्ष का जायगा, तो ऐसा कोई प्रोवीज़न होता। वर्ना कांग्रेस ही कांग्रेस का आदमी आयेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपको भेजे देंगे।

श्री मानसिंह महार : मुझे भेज दें तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। मुझे कहीं नहीं भेजेंगे, आप चिन्ता न करें। आपको मुमकिन है कि भेज देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खतरनाक परम्परा है। इस परम्परा को रखना बहुत गलत है। एम० एल० ए० जायें तो स्पीकर नहीं भेजे, बल्कि हम ही लोग चुनकर भेजें। इस प्रकार की बात है। तो एक बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन को देखिये तो राज्य सरकार के सभी आदमियों को रख दिया करीब करीब। वित्त मन्त्री जी को जरूर अलग रखा होगा। उनको स्थान नहीं दिया। शायद अजमेर के हैं, इसलिए नहीं मिला। उसमें हैं :

"(i) Vice Chancellors of the other Universities in Rajasthan,

(ii) ex-Vice Chancellors of the University,

(iii) the Deans of Colleges or Faculties,

(iv) the Registrar,

(v) the Chief Justice, Rajasthan,

(vi) the Minister of Education, Rajasthan,

(vii) the Minister of Agriculture, Rajasthan.

(viii) the Developement Commissioner, Rajasthan,

(ix) the Finance Secretary to the Govt. of Rajasthan,

(श्री मानसिंह महार)

(x) the Agriculture Secretary to the Govt. of Rajasthan, ..

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि :

"(xii) the Director of Agriculture, Rajasthan,

(xiii) the Director of animal Husbandry, Rajasthan,

(xiv) the Director of College Education, Rajasthan,

(xv) the Director of Education (Primary and Secondary), Rajasthan."

ये दुनियां भर के नाम रख दिये। इनके आने-जाने में कितना खर्च होगा ? ये सेक्रेटरी और डाइरेक्टर जो लिये हैं वे तो खुश होंगे ही और मुमकिन है कि अब यह सेक्शन उन्हीं के यहां से इन्सर्ट हुआ होगा कि हम महीने दो महीने में उदयपुर की सैर कर आयें तो तुम्हारा क्या गया। एक सेक्रेटरी को रखा तो दूसरे ने कहा होगा। एग्रीकल्चर वाले ने कहा होगा, तो रेवेन्यू वाले ने कहा होगा। रेवेन्यू वाले ने कहा होगा तो एज्यूकेशन वाले ने भी कहा होगा। एक डाइरेक्टर ने कहा होगा तो दूसरे ने भी कहा होगा। उदयपुर टूरिस्ट्स सेन्टर है सब ट्रिप कर लेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने शायद सब पर अहसान कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बहुत अनुभवी और योग्य आदमी हैं। उन्होने कहा कि मौज करो मित्रों ! उन्होने सब के लिए उदयपुर का ट्रिप रिजर्व कर दिया। मुबारकबाद है। इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत कर देने में नाथूरामजी मिर्धा को मुबारक देता हूं, जिनके दस्तखतों से यह बिल आया है। जोधपुर में होली पर नाथूरामजी तो मिट्टी के पुतले होते हैं। इस बिल को देखने के बाद मान लें कि होली के नाथूरामजी मंत्री महोदय १६ आना हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि एमर्जेन्सी के टाइम में जब हम खर्च कम करने की बात कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी पंचायत समितियां तकाबी की बात करती हैं और भेजती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो यह कहते हैं कि नेशनल एमर्जेन्सी है उसमें तकाबी बांटना बन्द कर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुमकिन हो यहां लोग इधर-उधर देखने लगें कि यह क्या कह रहा हूं कि किसानों ने बिजली की तकाबी देने की बात कही तो कहा गया कि एमर्जेन्सी की वजह से कुछ रोक लगा दी है, ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक लगाओ तो सब पर एक साथ लगाओ। मैं कहता हूं कि राजस्थान को बरबाद करने वालों पर लगाओ जो इस तरह से लाखों करोड़ों रुपये टी० ए०, डी० ए० पर वेस्ट कर रहे हैं। उन पर लगाओ। जमीन पर सीलिंग तो जरूर लगायेंगे और वह ऐसे काश्तकारों को मिलेगी जिन्होंने सुखाड़िया गवर्नमेंट से पहले कभी काश्त नहीं की थी। आदिवासियों को नहीं मिलेगी। आदिवासी मित्रों से मैं कह रहा हूं कि आदिवासियों को मिलनी चाहिए, लेकिन कभी मिली क्या ? मैं आज की स्पीच में बता रहा हूं कि क्या क्या गलत काम करते हैं। मैं आप लोगों के दिमाग को किस तरह से मोड़ूं, मैं किस तरह से आपको मेरा विचारधारा की ओर लाऊं ? मैं इसलिए आपको बहुत अधिक कहता हूं क्योंकि दिमाग कुछ कम है उधर वाले मित्रों से, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक बार कहने से समझ में नहीं आता, १० बार कहने पर नहीं आता। एक ही बात १०० बार कूट कूट कर दिमाग में भरी जाय,

(श्री मानसिंह महार)

इसलिए इतना कहता हूं कि मान लो जैसे कि मनी लैण्डर्स बिल पर ४ ने दस्तखत कर दिये हमारे बहकाने से और उस कार में गये तो फौरन काट दिया । स्पीकर महोदय ने बहुत अच्छा एस्पर्शन कास्ट किया ।

मैं इसकी ताईद करता हूं कि आप लोग बिना दिमाग से काम करते हैं इसलिये उनको मालूम ही नहीं है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल क्या है । वे जानते तो ऐसी बात कभी नहीं करते । कोई सेन्सिबल आदमी हो, कोई आदमी राजस्थान में ऐसा हो जो सही ढंग से देखे तो वह कभी ऐसा नहीं करेगा । मैं जानता हूं राजस्व उपमन्त्रीजी जवाब देंगे तब कहेंगे कि गलती हो गई जो उदयपुर का नाम रख दिया । मैं जानता हूं वे कहेंगे जरूर यही बात

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : चापलूसी करते हो ।

श्री मानसिंह महार: चापलूसी करता तो इधर नहीं बैठता उधर बैठता । यह तो आपकोही मुबारक हो। हम चापलूसी करके क्या लेलेंगे । मैं बहुत कुछ कह सकता हूं आप मुझे डिस्टर्ब मत करिये, नहीं तो और पोल खुलेगी । मैं चाहता नहीं हूं कि आपकी पोल खोलूं । मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट पर ही रहूँ और ओन दी पॉइन्ट ही बोलू । आप मुझे डिस्टर्ब करके उल्टी बातें कहलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं पार्लियमेन्टरी प्रेक्टिस का पालन करता हूँ । आपकी तरह अनपार्लियामेन्टरी नहीं हूँ जो बीच में किसी को डिस्टर्ब करूं, अगर आप मुझे अपना भाषण नहीं देने देंगे और बीच में इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे कुछ और बातें कहनी पड़ेंगी । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये चुप रहें ।

हमारे आदरणीय श्री नाथूरामजी मिर्धा के दस्तखतों से यह स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स है उसको हमने देखा तो पाया कि इसमें कुछ नहीं है, कोई चीज तथ्य की नहीं है । सारा का सारा केवल षडयन्त्र से भरा है । षडयन्त्र इस बात का कि उदयपुर के कुछ सोशियल वकर्स इसके मेम्बर बनें क्योंकि दो चार वकर्स चुनाव में हार गये इसलिये कहीं तो उनको प्रोवाइड करें । नेता लोग भटकते फिरते हैं इसलिये दो तो सोशियल वकर्स के नाम से इसमें घुसे । इसके अलावा और बताता हूँ :

" (vi) Two members, not below the rank of the Head of the following Departments to be nominated by the State Government by rotation:-....."

हमारे उपमन्त्रीजी अगर जबाव दें, वही जबाब देंगे क्योंकि मेवाड़ के हैं इसलिये उनको ही जबाबदेना चाहिये । दूसरे लोग तो पोल खोल देंगे इसलिये आप ही जवाब देंगे । इसमें लिखा है :

".........(a) Medical,"

कौन मेडिकल ? मेडिकल का इससे क्या लेन-देन ? मेडिकल, इन्डस्ट्री एन्ड फॉरेस्ट एन्ड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के रिप्रेजेनटेटिव इसमें रहेंगे । आप कोई जंगलात का काम करने जा रहे हैं क्या ? या खेतो की तालीम देंगे ? खेती की तालीम देंगे तो खेती के विशेषज्ञ लेने चाहिये । जंगलात के और दूसरे लोग करेंगे क्या वहा जाकर के । आपकी बुद्धि तो जरा देखिये

श्री गिरधारीलाल व्यास : बुद्धि का तो दिवाला निकल रहा है ।

श्री मानसिंह महार : दिवाला तो आपकी बुद्धि का निकल गया । इसमें आगे

Page No 93

(श्री मानसिंह महार)

लिखा है माइन्स एन्ड जियोलोजी एन्ड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के लोग भी होंगे । अब पी. डब्ल्यू. डी. के लोग वहां जाकर क्या करेंगे ? अरे इस डिपार्टमेन्ट को तो रहने दो पहले ही बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसमें युनिवर्सिटीज़ में इन भ्रष्टारियों को क्यों ले जाते हो ? इनको तो ऊंचा रहने दो। मैं अपील करता हूं कि इन युनिवर्सिटीज को तो गर्त में मत ले जाओ। जो भ्रष्टाचारी आपकी सरकार में हैं उनको युनिवर्सिटीज़ को देना चाहते हैं, आप इनको तो बचाइये। मैं कहता हूं कि आप डइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को इसमें लीजिये, एनिमल हस्बेन्ड्री के डाइरेक्टर को लीजिये, मैं उनका विरोध नहीं करता । इसके अन्दर एज्युकेशन सेक्रेटरी को लिया गया है तो उनको भी लीजिये क्योंकि वे मेवाड़ के हैं। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन मेवाड़ के है तो उनको भी आप रखेंगे ही और क्यों नहीं रखेंगे जब कि मेवाड़ का बोल बाला है। अरे, यह मेवाड़ हमको कहां ले जायगा, यह उदयपुर कहां ले जायगा ? मैं कहता हूं आप कोस्मोपो ल्टिन बनिये ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेवाड़ पहले कहां ले गया था और आज आपके नेता आपको कहां ले जा रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : हमारे नेता कोस्मोपोपोल्टिन हैं। वे संकुचित विचार के नहीं हैं जो कहें कि 'मेवाड़ मेवाड़' वे सारे राजस्थान के हैं। वे अपने आपको कहते हैं राजस्थानी फर्स्ट। मेवाड़ क्या है ? हम कहते हैं राजस्थान सब कुछ है. "Rajasthani first, Mewari afterward ."

श्री गिरधारीलाल व्यास : You are Jaipuri.

श्री मानसिंह महार : We are not so 'Sankuchit' minded. Don't talk of these non-sensical things. We are not Jaipuries. We are not so low level people as that.

जो यह समझते हैं कि हम लोग जयपुर के हैं वे गलती करते हैं। We are Rajasthanis. हम राजस्थान को ऊंचा उठाना चाहते हैं। उन लोगों की तरह हम नीचे तबके के नहीं हैं जिनसे एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का नाम बर्दाश्त नहीं हुआ। हो सकता है कि मेवाड़ के महाराणा साहब ने हुक्म दिया हो कि इसका नाम मेवाड़ युनिवर्सिटी रखो । हो सकता है, क्या हर्ज है। मैं सभी माननीय सदस्यों से जो उधर बैठनेवाले हैं, निवेदन करूंगा और कम से कम उनसे जो अलवर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर की तरफ के हैं

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कुछ बीकानेर के भी हैं।

श्री मानसिंह महार : बीकानेर के और सीकर, झुन्झुनु के हैं और जयपुर का तो कोई नहीं है जिससे मैं अपील करूँ·······

एक माननीय सदस्य : और टोंक ?

श्री मानसिंह महार : टोंक का भी उधर कोई नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है । मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि यह उदयपुर की बीमारी बहुत खतरनाक है, आपको भी ले डूबेगी। केबिनेट में भी ये लोग तीन चार हैं, अलवर वाले चिल्लाते हैं कि हमारा भी लो लेकिन लिया नहीं जाता है,

(श्री मानसिंह महार)

इसलिये मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इस बीमारी से बचिये। इसका विरोध करिये। इसमें बड़ी बात नहीं होगी। एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के पीछे राजस्थान नाम रह जाय तो कोई हेवन या आकाश नहीं जायगा हमारे ऊपर या उप-मंत्रीजी दबेंगे नहीं उसके नीचे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल का विरोध करिये। सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेजें ? क्या है इसमें ? मैं उप-मंत्री जी से पूछूंगा कि इस कानून से क्या मुश्किल आ गई थी ? एक साल से युनिवर्सिटी चल रही है उसमें क्या अनियमितता फैल गई जिससे आपने एक दिन सदन का वेस्ट कर दिया। आप तो वही कर रहे हैं, "Penny wise and round foolish." कल प्रार्थना की गई थी कि सीलिंग बिल पर ५ मिनिट दे दीजिये तो नहीं दिया। मैं कहता हूँ उदयपुर में ज्यादा जानवर होते हैं क्या कि जो जानवरों की तरह बनाया गया बिल है उसके लिये एक दिन सदन का वेस्ट कर दिया····

श्री गिरधारीलाल : जानवर···

श्री मानसिंह महार : जानवर इसलिये कहा कि सेन्सस की रिपोर्ट के आधार पर उदयपुर में गधे अधिक होते हैं। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। खतम करना चाहता हूं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि न तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और न पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, बल्कि इसको तो ठुकरा ही देना चाहिये और माननीय नाथूरामजी से कहें कि खर्चा आज का जो हुआ है वह अपनी तनख्वाह में से दीजिये, क्योंकि आपने सदन का समय बिना अकल के व्यर्थ में वेस्ट किया है। इस बिल को थ्रो किया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : If you want to speak, five minutes ! Strictly five minutes After that the hon. Deputy Minister will give the reply.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३ जो आज विचारार्थ लिया गया है और उस संबंध में जो विचार सदन के समक्ष आये हैं उनके सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ।

एक विचार यह आया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय क्योंकि इसमें बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिन पर विचार-विमर्श करना आवश्यक है। दूसरा यह है कि जनमत जानने के लिये इसे प्रसारित किया जाय ताकि आम जनता की राय जाहिर हो और जो संशोधन रखा है उसमें किसी प्रकार की कमी न रह जाय।

सबसे मुख्य मुद्दा बहस में उठाया गया है वह युनिवर्सिटी के नाम के संबन्ध में उठाया गया है।

मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उदयपुर यूनिवर्सिटी के नाम से ताल्लुक है, उस पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने पहले भी एतराज़ किए थे कि उदयपुर में यूनिवर्सिटी क्यों हो और अब भी ऐतराज़ किए कि उदयपुर यूनिवर्सिटी नाम क्यों रखा जाय, दूसरा क्यों नहीं रखा जाय ? आज हिंदुस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी देखिए, जिस शहर में वह है उसी नाम से चलती है। यू. पी., पंजाब, बंगाल और

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बिहार और दूसरी जगह जहां पर भी इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ है, उन शहरों के नाम से हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम रहने से कोई ऐसा अन्याय नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं।

दूसरा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पहले नाम था उसको क्यों तरमीम किया जा रहा है। इस संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। हमारे मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, हम इस यूनिवर्सिटी को मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो ऐसी हालत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नाम रखना उपयुक्त नहीं होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए यह सोचना कि मुख्यमंत्री उदयपुर के है या जो और मंत्री हैं उनकी वजह से हो रहा है। इस प्रकार की दलीलें दी जायें, उनमें कोई सिद्धांत नहीं है, उनमें कोई फोर्स नहीं है।

दूसरी बात इसके कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में कही गई है कि जो बोर्ड में मेम्बर्स रखे गए हैं वह सरकारी अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी कतार है और उसकी वजह से यहां पर ब्यूरोक्रेसी का साम्राज्य स्थापित हो जायगा—और यूनिवर्सिटीज़ अपनी ड्यूटीज़ और फन्क्शन्स नहीं कर सकेंगी। मगर देखा जाय तो इसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे इसमें ऐसे आदमी रखे गए हैं जिनकी वजह से उदयपुर विश्वविद्यालय का कार्य अच्छी तरह से संचालित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा आदमी जिसके हाथ में राजस्थान के न्याय की बागडोर है, उनको इसमें शामिल कर दिया गया है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उदयपुर म्यूनिस्पैलिटी के चेअरमेन की क्वालीफिकेशन्स बताइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे आदमियों के रहते हुए किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ होने की आशा नहीं है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने उदयपुर म्यूनिसिपैलिटी के चेअरमैन की क्वालीफिकेशन्स के बारे में पूछा तो जैसे आप एम. एल. ए. चुन कर आए हैं और दूसरे कई माननीय सदस्य ऐसी पोज़ीशन रखते हैं और अगर म्यूनिसिपैलटी की रिकमन्डेशन से उसके सदस्य बन जाते हैं तो क्या शंका है ? वे भी चुने हुए प्रतिनिधियों में से हैं, ऐसे व्यक्ति पर हम ज्यादा से ज्यादा विश्वास कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत) उदयपुर से जो एम. एल. ए. चुनकर आये हैं उनको उसमें क्यों नहीं रखा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : नोमीनेट करेंगे तो हो सकेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आवश्यक तौर पर क्यों नहीं ? आप जयपुर और जोधपुर के बारे में संशोधन लाए कि वहां के एम. एल. ए. बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में रहेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उदयपुर के एम एल. ए., मुख्य मंत्री हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आज मुख्य-मंत्री हैं, कल नहीं रहें। आप सिद्धांत तय कर रहे हैं। जब म्यूनिसिपलिटी का चेअरमैन रहे तो एम. एल. ए. क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक एम. एल. ए. का वैसे ही प्रावधान है। अध्यक्ष की तरफ से जो नॉमीनेट किया जायगा वह रहेगा। ऐसी हालत में कोई आशंका की गुंजाइश नहीं कि श्री सुखाड़िया का आदमी है, उसको रखने के लिए यह प्रावधान रखा गया है। जहां तक मेरा दृष्टिकोण है म्यूनिसिपैलिटी के चेअरमेन के रहने से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे यूनिवर्सिटी को मदद मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सदन की यह मन्शा है कि जब तक यह बिल पारित हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा हुआ समझा जाय।

श्री मानसिंह महार : यह पारित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : पारित हो जायगा। लेकिन इसका जो निर्णय होगा वह आज ही लिया जायगा और उतने समय तक समय बढ़ा हुआ माना जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल के संबंध में चर्चा जारी है और इस संबंध में सदन के सामने दो तरह के प्रस्ताव आए हैं। एक प्रस्ताव इस बिल को जनता की राय जानने के हेतु भेजने के लिये और दूसरा प्रस्ताव इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए पेश हुआ और फिर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं और अपनी असहमति प्रकट करता हूं। इसका मूल कारण यह है कि यह जो अमेंडमेंट बिल रखा गया, यह कोई मूल विधेयक नहीं है। इसमें कोई ऐसी बहुत सारी बातें उलझी हुई नहीं हैं जिनके लिए जनता की राय जानना या प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना आवश्यक हो। वास्तव में दो मुद्दे ऐसे हैं कि जो इस नए बिल के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और बाकी जो सारी धाराएं हैं उन दो मुद्दों के लिए जो कान्सीकुएन्शल अमेंडमेंट्स होने चाहिए, उसको लिए हुए हैं। पहला मुद्दा यह है कि आजकल जो वाइसचान्सलर यूनिवर्सिटी में होते हैं और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का चेअरमेन होता है, वे दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अनुभव ने और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कानूनों ने यह बतलाया कि बोर्ड ऑफ मेनेजमैंट का चेअरमेन और वाइसचेअरमेन एक ही व्यक्ति होना चाहिए, खास तौर से उस सूरत में जबकि हमारी यह नीति हो कि हम यूनिवर्सिटों के अन्दर वाइसचान्सलर के पद के लिए एक बहुत ऊंचे कैडर के लोगों को लाएं। जब यह विचार करते हैं तो संभव नहीं होता है कि यह किसी बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के अंडर में रहे। इसका बैक ग्राउंड थोड़ी देर पहले हमारे नेता महोदय ने बताया। उस बैकग्राउंड को मैं नहीं दोहराता, यही निवेदन करता हूं कि जैसा यू० पी० में है, पंजाब में है और हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में है, यह मुनासिब समझा गया कि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के चेअरमेन और वाइसचान्सलर दोनों एक ही व्यक्ति हों। इस दृष्टि से एक मुद्दा तो यह था।

दूसरा यह था कि यह जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसको मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी किया जाय। पहले जो एक्ट था उसके अन्दर भी जो ड्यूटीज़ और फंक्शन्स हैं, संस्थाएं खोलने के बारे में या उनको सुपरवाइज़ करने के बारे में, लेकिन वह एक

Page No 97

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

विस्तृत अधिकार नहीं था और इसलिए इसको एक मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाने की दृष्टि से यह अमेंडमेंट लाना जरूरी हुआ। मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जाय, इस संबंध में मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा, उसको नहीं दुहराता हुआ एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी स्टेट में प्लानिंग बोर्ड हैं। उसने, जो ६ और १० सितम्बर, १९६२ को मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान में यह रिकमेंड किया कि जो उदयपुर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसको मल्टफैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाया जाय। तो इसलिए एग्रीकलचर मिनिस्ट्री के डिरेक्शन्स के आधार पर या अमरीका में यूनिवर्सिटियों से हुए डिस्कशन्स के आधार पर ही नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर, दूसरी जगह पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए, यह मुनासिब समझा गया कि उदयपुर की यूनिवर्सिटी को मल्टी-फैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाया जाय। मल्टी-फैकल्टी यूनिवर्सिटी बन जाने के प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों को संदेह होने लगे कि जब एक साल पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था इस सदन के द्वारा, तो फिर इतनी जल्दी यह तरमीम क्यों लाई गई? इसके पीछे भी कई भावनाएं और कई आशंकाएं व्यक्त की गईं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें न कोई सरक्यूलर्स में जाने का सवाल है, न कोई आशंका का सवाल है। स्पष्ट बात है। प्लानिंग बोर्ड की रिकम-डेशन्स थीं और मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी के बारे में सभी जगह के अनुभव बताते हैं। इसलिए मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाने का सोचा गया। यहां पर यह भी चर्चा उठाई गई, मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी दो हैं तो तीसरे की क्या जरूरत है? इतने कॉलेज, इतने स्टूडेन्ट कहां है? ये सारी बातें उठाई गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल के बाद में मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी खोलने का प्रश्न है—इसके ऊपर इस प्रकार की शंका नहीं की जानी चाहिए। खास तौर पर उस सूरत में जब, जिस समय यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत था, उन समय कई माननीय सदस्यों ने यह बताया था कि इसको एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के आधार पर नहीं खोला जाय, बल्कि इसको मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी किया जाय। कई कारणों से उस वक्त माननीय सदस्यों की इच्छा कार्यान्वित नहीं की गई और अब कार्यान्वित की जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब कोई दूसरा इरादा हो गया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए।

साथ ही साथ कुम्भलगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा कि इसे मल्टीफैकल्टी यूनि-वर्सिटी बना दिया गया तो जो मैन पर्पज इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने का था, वह कहीं खत्म नहीं हो जाय। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे अमेंडमेंट्स को देखने से ऐसा लगता है कि जब इसका एग्रीकल्चर बायस मान लिया है और इस बात का ध्यान रखा गया है—चाहे वह बोर्ड का सवाल हो, चाहे और व्यवस्थाओं का सवाल हो। और उन व्यवस्थाओं के साथ साथ आज जो व्यवस्था है और जो सब्जेक्ट और तौर-तरीका चल रहा है, उसमें एग्रीकल्चर की दृष्टि से किसी तरह की कमी आने का सवाल नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification. आपने बताया कि किन्हीं कारणों से, तब जो मांग की गई थी, वह पूरी न हो सकी और अब पूरी कर दी गई है; ये क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : वह कारण मैं बता दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने किस लिए पोइन्ट उठाया है वह मैं बता दूं, ताकि आप एक दफा ही जवाब दे दें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मुझे मालूम है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज भी वहां ले जायं; मेडिकल कॉलेज उदयपुर में आयेगा तो उसको भी आप ले जायं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं समझ गया हूं। आप सुनिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे कारण आप बता दें, क्या फर्क आज हो गया है जो पहले नहीं था ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण दुबारा मैंने इसलिए नहीं दोहराये क्योंकि जब एक सदस्य बोल रहे थे तब मुख्य मन्त्रीजी खड़े हुए थे और उन्होंने कारणों पर प्रकाश डाला था और बताया था कि उस वक्त जो हमें अमेरिकन ऐड मिलने वाली थी, उसके बारे में ख्याल था कि एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी होने पर वह एड मिल सकती है, एग्रीकल्चर की वन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी होने से मिल सकती है। उस अधार पर उस वक्त यह तय किया गया लेकिन वे सारी चीजें अमेरिका जाने पर, वहां के विशेषज्ञों, वहां के प्रोफेसर्स, साइन्टिस्ट्स एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों से मिलने पर यह स्पष्ट हो जाने पर, और प्लानिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से बातचीत हो जाने पर और यह स्पष्ट हो जाने पर कि यह मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी बनाना उस एड के प्राप्त करने में बाधक नहीं होगा, इसलिये अब इस सदन में उस समय की सदन के सदस्यों की इच्छाओं को और प्लानिंग बोर्ड की रिकमन्डेशन्स को कार्यान्वित करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है। यह कारण हैं इसके पीछे और दूसरा कारण नहीं है, जिन कारणों की आशंका नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, तो जब मल्टी फेकल्टी युनिवर्सिटी बनाते हैं तो बोर्ड कंट्रोल और मैनेजमेंट की दृष्टि से वाइस चान्सलर और बोर्ड और कंट्रोल के चेअरमैन एक व्यक्ति को बनाते हैं। ये दो चीजें हैं जिनको लेकर यह अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। जब इन दो सिद्धान्तों पर चलते हैं तो बहुत से कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट आते हैं। और पहला अमेंडमेंट कॉन्सीक्वेन्शियल यह आता है कि इसका नाम क्या रखा जाय। नाम के ऊपर बड़ी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान में जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं, उनको उदयपुर शब्द से इतनी नफरत नजर आने लगी मुझे उसके संबन्ध में कुछ नहीं कहना, वह नफरत सदियों से चली आ रही है, वह एकदम बन्द नहीं हो सकती। फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उदयपुर शब्द की बात रखी है, इसके पीछे जो सिद्धान्त है, जो आधार है- वह मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

पहले यह युनिवर्सिटी राजस्थान एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी थी। अब सिद्धान्त यह तय

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया गया है कि एग्रीकल्चरल, शब्द को उड़ा दिया जाय तो इस शब्द के उड़ा देने से मल्टी फेकल्टी युनिवर्सिटी हो सकती है। अब अगर 'राजस्थान युनिवर्सिटी' शध्द रह जाते हैं और जयपुर में भी युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है तो ये दोनों नाम एक तरह के हैं। इसलिए राजस्थान शब्द रखने में असमर्थता सरकार की थी। यह इसलिए नहीं कि हम कोई कोस्मोपोलिटिकल करेक्टर नहीं रखना चाहते या किसी क्षेत्रीय भावना के कारण उदयपुर के शब्द के साथ अटेचमेंट हैं -ये बातें नहीं है। युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का नाम था, इसलिए वह नहीं हो सकता था, उससे धोखा हो सकता था। अब सिर्फ दो तरीके हो सकते थे एक तो जिस शहर के अन्दर युनिवर्सिटी बनती है, जिस म्यूनिसिपल लिमिट के कॉलेज उसके दायरे में दिये गये हैं, वह वहां के नाम से पुकारी जाय या जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा—किसी ने महाराणा प्रताप का नाम लिया, किसी ने मीरां का नाम लिया, किसी ने आदर्श नेता का नाम लिया—इस प्रकार के भिन्न भिन्न नाम लिये हैं। ये नाम नये नही हैं, गत साल जब सदन में यह बिल पेश हुआ था उस वक्त भी ये नाम लिये गये थे। अब उदयपुर का नाम रखने के क्या कारण हो सकते हैं। वैसे उदयपुर ऐसा शहर नहीं है जिसके नाम से युनिवर्सिटी नहीं हो सकती। हमने जोधपुर युनिवर्सिटी का बिल पास किया है। बाहर भी दिल्ली युनिवर्सिटी है, कलकता युनिवर्सिटी है, अलीगढ़ युनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है। हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से ७०-८० प्रतिशत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिस शहर में है, उसी के नाम से पुकारी जाती हैं जब हमारी ८० प्रतिशत ऐसी हैं, जो जिस शहर में स्थित है, उसके नाम से पुकारी जाती है, तो उदयपुर में यूनिवर्सिटी कायम होती हैं तो आप क्यों आपत्ति करते हैं ? इस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ उदयपुर जोड़ देने से नफरत का विषय कहां से बन जायगा—यह समझ में नहीं आता। इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण नहीं है, कोई बात नही हैं। आम तौर पर जिस तरह युनिवर्सिटीज के नाम रखे जाते हैं वही नाम रखा हैं........

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : साथ में विक्रम यूनिवर्सिटी का नाम रखा है, ऐसी कितनी हैं राजस्थान में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच परसेन्ट हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : राजस्थान में जीवित मिनिस्टरों के नाम से गांव बसते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बाद जो शंकायें प्रगट की गई हैं, उनमें एक सवाल आया कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा ?

श्री विजयसिंह झाला: On a point of order, अभी स्पष्ट कहां हुआ। राणा प्रताप के नाम से उदयपुर में मिल है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे बोल लेने के बाद आप एक्स्प्लेन कर लें।

श्री विजयसिंह झाला : उदयपुर का नहीं, राणा प्रताप का नाम हो तो क्या है ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : वे नेशनल हीरो हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे महाराणा प्रताप या और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किसी नाम से नफरत नहीं है। मुझे प्रेम है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उदयपुर के नाम से आपको क्यों नफरत होती है। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर का नाम रखा गया है वह अजीब चीज नहीं है, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर करीब करीब सभी युनिवर्सिटीज़ के ऐसे नाम हैं।

दूसरा सवाल रखा गया है कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा? कितने हिस्सों में ऑपरेशन होगा? और इस वजह से बहुत सारी शंकायें प्रकट की गई। मेरे ख्याल में जुरिस्डिक्शन के सम्बन्ध में जो प्रॉवीजन इस बिल में रखा गया है, उससे अच्छा प्रॉवीजन नहीं हो सकता है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है तो एग्रीकचलर के हिसाब से मान कर चलते हैं कि इसमें एग्रीकल्चरल कॉलेज है। उसके अलावा कहा है कि म्यूनीसिपल लिमिट्स ऑफ उदयपुर सिटी के अन्दर जो कॉलेज हैं वे इसके जुरिस्डिक्शन में बताये हैं। इसके अलावा और कोई जुरिस्डिक्शन बढ़ाना हो तो उसके लिए इस बिल के अन्दर यह प्रावधान किया हैं कि सदन की राय जानी जायगी। सदन की एप्रूवल से जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जाय। में समझता हूं, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका हो नहीं सकता जुरिस्डिक्शन कायम करने का। उस तरीके पर काम करने के बावजूद जुरिस्डिक्शन के सवाल पर क्रिटिसिजम किया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक रास्ता और कोई हो सकता है जिसके अनुसार जुरिस्डिक्शन कायम किया जा सके।

माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान में बताया कि इसमें जो रिप्रजेंटेटिव्ज़ हैं, उनमें एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बना दिया है। किसी ने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर को बना दिया। किसी ने कहा कि म्यूनिसिपल चेअरमैन को बना दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि जो बिल में प्रावधान रखा है, वह नया नहीं है। जो राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ था, उसके अन्दर जिन जिन को मेम्बर बनाने का प्रावधान था, उनको ज्यों का त्यों कायम रखा है। इसके साथ ही जब यह डिसीज़न लेते हैं कि इसको मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी बना रहे है तो जो मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनी हुई है और जिसका एक्ट इस सदन के माननीय सदस्यों ने पारित किया है, उसके अन्दर सदन ने जिन जिन प्रॉवीज़न्स को माना है, उनको हमने इसके अन्दर इन्सर्ट करने की कोशिश की है। कोई नई चीज नहीं आई है, कोई नया प्रोवीज़न नहीं है, कोई इम्पोर्ट नही किया है। जोधपुर यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रॉवीज़न और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रोवीजन्स का सम्मिश्रण करके इसे रखा है। फिर नई चीज कहां से आ गई? म्युनिसिपल चेअरमैन का प्रोवीज़न जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट में है, उसके अन्दर प्रावधान है, इसके अलावा आप बम्बई को ले लीजिये, पूना को ले लीजिये, जहां की यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें अधिकतर में मिलेगा कि जहां यूनिवर्सिटी होती है, जहां स्थित होती है वहां के चेअरमैन मिलेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्वर मिनिस्टर हैं और एजूकेशन मिनिस्टर है। इस यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर बायस है, इसलिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लिया गया। एजूकेशन मिनिस्टर पहले से हैं। कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वक्त नहीं था, अलबत्ता मल्टी फेकल्टी यूनीवर्सिटी बनाने की वजह से जौधपुर यूनिवर्सिटी एक्ट में से जरूर लिये गये हैं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यहां पर यह भी कहा गया है कि जो मेम्बरों का नम्बर रखा है वह बहुत ज्यादा है और नम्बर ज्यादा होने से खर्चा बहुत पड़ेगा। इसमें खर्चा ज्यादा होने की कोई बात नहीं क्योंकि जितनी भी युनिवर्सिटीज़ होती हैं वहां पर जो बोर्ड होते हैं उनमें इसी प्रकार संख्या होती है; लगभग ४० के मेम्बरों की संख्या होती है। इतने बड़े काम के लिये जहां हम इतना पैसा खर्च करते हैं वहां पर जहां उनकी पोलिसी और कई दूसरे मामलों पर डिसिज़न लिया जाने के लिए वेल एक्सपर्ट और क्वालिफाइड व्यक्तियों को हम लेते हैं तो उनकी युटिलिटी से हमें काफी मामलों में सहायता मिलती है इसलिये अगर उन पर कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है जिसको इतना वजन दिया जाए।

इसमें यह भी कहा गया कि टीचर्स को इसमें रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया। मैं कहूंगा कि टीचिंग प्रोफेशन के लोगों को इसमें रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है उसे प्रोफेसर्स, डीन्स, प्रिन्सिपल, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी आदि हैं जिनको रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है। चाहे वे टीचर्स हों चाहे प्रिन्सिपल हों चाहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से पुकारे जाते हों, उनको हमने इसमें रिप्रेजेन्टेशन दिया है। उनके साथ फेअर जस्टिस किया गया है।

यहां यह भी बताया गया है कि कोऑपरेटिव और प्रोग्रेसिव फार्म्स का रिप्रेजेन्टेशन नहीं होगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के प्रोविज़न प्रोग्रेसिव फार्म्स या कोऑपरेटिव पर्सन्स को रखने के बारे में थे उनको हमने रिटेन किया है, हटाया नहीं और वे जिस प्रकार से पहले रिप्रेजेन्टेशन पा सकते थे उसी तरह आज भी पा सकते हैं।

यहां पर क्लॉज १९ है उसके बारे में जो वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार हैं वे ज्यों के त्यों बरकरार कायम रहेंगे। उन्होंने शायद आरोप लगाया कि ये क्यों रखे जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यह चाहते हैं कि यूनवर्सिटी के स्टाफ और अधिकारियों को केआोस में डाल कर छोड़ दिया जाए। आज यह पास हो जाता है और कल एक्ट बन जाता है तो यूनिवर्सिटी की एसेट्स और लाए बिलिटीज है, वाइस चान्सलर है, रजिस्ट्रार है, दूसरा स्टाफ है, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेन्ट हो, अगर कोर्ट में कोई सूट हो तो वे सारे के सारे कहां जावेंगे इनका इन्तजाम तो करना होगा। इसलिये हमने इसको इसमें रखा है इसमें यह हो जावेगा एज़ इफ ये इनके साथ थे। यह प्रावधान इसलिये रखा गया है। आज जो स्टेटस को है उसको ज्यों का त्यों मेन्टेन करने के लिए रखा गया है। इसलिए क्लाज़ १९ के बारे में जो शंकायें हैं वे निराधार हैं। ट्रान्जीश्नल पीरियड के एरेंजमेन्ट को ध्यान में रखते हुए सेक्शन ६ क्लाज १९ के तहत यह किया गया है।

इस प्रकार माननीय उपाध्यक्ष, जो मुद्दे सदन में उठाये गये उनके बारे में मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है। इस विधेयक में दो मुद्दे उठाये हैं और दोनों ही स्पष्ट हैं इसलिये इसको जनता की राय जानने के लिए या सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना जरूरी नहीं है। केवल एमेन्डिग बिल होने से यह कहना कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे या जनता की राय के लिये भेजा जाए, उचित नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि इसके साथ साथ जो भी क्लाजेज़ रखे हैं वे जोधपुर युनिवर्सिटी बिल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के मॉडल पर रखे हैं। इसलिये इसको जनमत जानने या सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना उचित नहीं है इसलिये मैं दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हुआ सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि एमेन्ड-मेंट्स को वापिस लिया गया समझा जावे।

(विराम)

सदन की मंशा से यह समझा जाता है कि सारे एमेन्डमेंट्स वापिस लिये गये समझे जावें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

सदन की कार्यवाही कल २।। बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म. प. ७.४५ बजे दिनांक १३ सितम्बर, १९६३ के म. प. २.३० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, दिनांक १२ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ १

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

शोधग्रन्थ का प्राइमरी स्कूलों के पुस्तकालय हेतु स्वीकार किया जाना ।

कच्चे नमक का निर्यात ।

सरकारी खजाने में पंचायतों का जमा रुपया ।

ईडवा में भूमि का अलॉटमेन्ट ।

अस्थाई अध्यापकों की नियुक्ति एवं परीक्षा में बैठने के नियम ।

राजस्थान में नये स्कूल ।

शिवगंज हाई स्कूल की शिकायत ।

सांचोर पंचायत समिति में लघु सिंचाई योजनाएं ।

नागसर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ।

भाखरा केनाल क्षेत्र में भूमिहीन पुरुषार्थियों को अलॉटमेंट ।

चम्बल नदी के कटाव से खतरा ।

कोटा कोलोनाइजेशन विभाग के कर्मचारी ।

राजस्थान स्टेट होटल के कर्मचारी ।

स्कम्भ

धार्मिक जागीरें ।

मऊ में गर्ल्स स्कूल की योजना ।

ब्यावर को औद्योगिक शहर बनाने की योजना ।

पाली जिले को प्लास्टिक का कोटा ।

राजकीय सचिवालय के कनिष्ठ लेखक ।

भाखरा क्षेत्र के एलॉटीज ।

भरतपुर में साईकिल का कारखाना ।

डीडवाना में बी० डी० ओ० क्वार्टर्स ।

बीकानेर में क्लस्टर टाइप ट्रेनिंग सैन्टर ।

सरपंच द्वारा त्यागपत्र ।

हाथी दांत व चन्दन के माल की खरीद ।

हनुमानगढ़ में मकानों के लिए प्लॉट ।

बीकानेर में मिल्क पाउडर फैक्ट्री और पेश्चुरेशन प्लान्ट की योजना ।

स्थगित प्रश्न

(५-९-६३)

स्कम्भ

केन्द्रीय यांत्रिक कृषि फार्म द्वारा लिये गये तालाबों व कुओं का मुआवजा

२. सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्य सेक्टर में श्रमिकों की समस्याएं और उनके निवारण के लिये उठाये गये कदम से सम्बन्धित, श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने एक लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा।

३. विधायी कार्य

१ राजस्थान प्राइमरी शिक्षा विधेयक, १९६३ ६१

[The Rajasthan Primary Education Bill, 1963]

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. श्री निरंजननाथ आचार्य, सभापति

२. श्री रघुनाथ विश्नोई

३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

४. श्री गिरधारीलाल व्यास

५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार

६. श्री मानिकचन्द सुराणा

७. श्री कृष्णकुमार गोयल

स्कम्भ

८. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा

९. श्री केदारनाथ

१०. श्री फूलचन्द

११. श्री केसरीसिंह (पाली)

१२. श्री अमरसिंह जसोल

१३. श्री पोटूमल ईसरदास

१४. श्री दलपतसिंह

१५. श्री भगराज चौधरी

१६. श्री जयकृष्ण शर्मा

१७. श्री मोहरसिंह राठोड़

१८. श्री रावतराम

१९. श्री भरतलाल

२०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

२१. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

२. अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक १९६३ ६३

[The Ajmer Shamlat Committees (Dissolution) Bill, 1963]

उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिया जाकर सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३ ८०

[The Rajasthan Agricultural University (Amendment) Bill, 1963.]

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री विजयसिंह झाला, श्री अब्दुल जब्बार खां ने किया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन सर्व श्री रामकिशन, जौधसिंह चौहान, मुरलीधर व्यास, गंगासिंह (४५), केदारनाथ शर्मा एवं श्री मथुरेशबिहारी माथुर ने किया ।

वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर, विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

सदन की बैठक ७ बजकर ४५ मिनट पर दिनांक १३ सितम्बर, १९६३ को दिन के २-३० बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३ की कार्य-सूची

१. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श एवं पारित)

२. जयपुर सूद सदावर्त फण्ड प्रशासन विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट नं० १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ का उत्तर देखिये)

भूतपूर्व जोधपुर राज्य के समय से कुछ पंचायतों की राजकीय कोष में जमा धनराशि की सूची:—

क्रम संख्या	नाम ग्राम पंचायत	३०-६-४६ को जमा राशी
१.	जालोर	७१२६-४-६
२.	जसवन्तपुरा	१५००-०-०
३.	मेड़ता	६५२६-११-०
४.	पचपदरा	१३७६-३-०
५.	पाली	१३६५-१४-०
६.	फलौदी	३१०२-१२-६
७.	सांचोर	२७५-०-६
८.	शिव	७१८-८-०
६.	शेरगढ़	१७६१-८-०
१०.	सिवाना	११८५-१५-६
११.	सोजत	४८४-५-६
१२.	जोधपुर	३४१९-१२-०
१३.	बीलाड़ा	१८५७-६-०

परिशिष्ट नं० २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ का उत्तर देखिये)

अवधि एवं नाम फर्म जिससे माल खरीदा।	हाथी दांत रुपये	चन्दन रुपये	कुल रुपये
अप्रैल, ६०—मार्च, ६१			
१ मारियामल बालचन्द	६२६१.३५	२२६३.८०	८५२५.२२
२ गोविन्दराम रामचन्द	६३००.५६	५११६.२०	११४१६.७६
३ स्टेन्डर्ड हाई क्राफ्ट्स	१८८३.८८	१४३२.८०	३३१६.६८
४ रर्म मसल		३७४५.५६	३७४५ ५६
५ जयपुर हाथी दांत चन्दन कलाकार सहकारी समिति, जयपुर	३८१५.२६	३२७६.६०	७०६०.८६
६ हाथी दांत चन्दन खिलौना सहकारी समिति, झोटवाड़ा	५१६६.५०	२७६.५०	५४४६.००
	२३४२६.५५	१६११७.५६	३६५४७.११
अप्रैल ६१ से मार्च ६२ तक :			
१ गोविन्दराम रामचन्द	२६१२.४२	—	२६१२.४२
२ मारियामल बालचन्द	६३८६.७१	११६२.०५	७५८१.७६
३ हरी नारायण	११८०.२०	—	११८०.२०
४ चौथमल कलाकार	—	८०.५०	८०.५०
५ धन्नालाल	—	३६६.६६	३६६.६६
	१०४८२.३३	१६४२.११	१२१२४.५४

१	२	३	४
१ अप्रैल सन् ६२ से अब तक :			
१ महेन्द्र हैन्डीक्राफट्स	—	४५६.६०	४५६.६०
२ पृथ्वीराज माणकचन्द, जयपुर	३१.००	२६३.६२	३२४.६२
३ रतूमल, जयपुर	१०८६.५३	७६१.८६	१८७८.३२
४ राजस्थान राज्य सहकारी उद्योग संघ, जयपुर	४६.००	११०.२५	१४६.२५
५ थारियामल बालचन्द	१३१६.७८	१४६२.४१	२८०६.१६
६ चुन्नीलाल जयपुर	—	१३५४.२२	१३५४.२२
७ भगवती आर्टस इण्डस्ट्रीज़, जयपुर।	४६.६६	६८३.८२	७३०.५१
८ गोविन्दराम रामचन्द, जयपुर	१४२१.३६	५६०.३८	२०११.७७
६ ओमप्रकाश बाछूलाल, जयपुर		२५८.००	२५८.००
१० गोपलालाल, जयपुर		१३२.००	१३२.००
११ कल्याणसहाय रामदयाल, जयपुर		३८४.६२	३८४.६२
१२ कन्हैयालाल, जयपुर		१३.५०	१३.५०
१३ गणेशनारायण जयपुर		२८.००	२८.००
१४ हाथी दांत चन्दन कलाकार सहकारी समिति, जयपुर	५२.७८	१५८.२४	२११.०२
१५ धन्नालाल एण्ड ब्रॉदर्स, जयपुर	३६६.३७	—	३६६.३७
१६ खुदाबख्स, मेडता	१२१.२०	—	१२१.२०

१	२		३
१७ जमाउद्दीन, मेड़ता	१२५.२५	—	१२५.२५
१८ ऐलीफैन्ट टीथ वर्क्स कोआॅपरेटिव सोसाइटी मेड़ता	११०.५०	—	११०.५०
१९ मुजफ्फर, जयपुर	१६.००	—	१६.००
२० कैलाशचन्द्र, जयपुर	२०१.१५	—	२०१.१५
कुल	४९४७.५४	६७४३.८५	११,६९५.३९

परिशिष्ट ३

(कृपया सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का इस सम्बन्धी वक्तव्य देखें)

Labour problems in the State Sector and steps taken for their redressal.

During the current Monsoon Session of the Rajasthan Legislative Assembly a number of Hon'ble Members have indicated their desire to know what steps the Government has taken to solve the problems put forward by labour Unions in the departments under my control:—

NAMES OF DEPARTMEMTS

1. Rajasthan State Electricify Board.
2. Water Works Department.
3. Government Printing & Stationery Department.
4. Publlc Works Department, and
5. Rajasthan State Roadways.

Various labour unions have been putting forth form time to time their demands to the Government and to the Labour Department and it has been the ardent and definite policy of the Government that such demands be immediately looked into and speedily implemented. In pursuance of this policy the Government has been holding periodical meeting with the Labour Unions at various levels. The Government firmly believes that unless the legitimate demands are speedily solved and implemented. no genuine progress and efficiency can be established in the State Sector.

The Rajasthan State Electricity Board being an autonomous Board, the question of attending to labour problems falls within their purview, but, in order to review, co-ordinate and receive a comprehensive report, the Government has been calling the representatives of the Board and members of the recognised Federation.

I would like to trace a brief history of the labour problems arising in the Electricity and Water Works Department. Before the formation of the Board, the employees of the Department

were considered as Government employees and their demands were decided at the Government level.

Demand charter was placed by the Rajasthan Electric and Water Workers Federation on 5th June, 1956 as accepted at their Fourth Annual Conference held at Bikaner between 16th to 18th May, 1956. On 13th April, 1957, the above demand charter was reconsidered by the federation and submitted to the Government to be accepted by 26th June, 1957, failing which the Federation decided to go on hunger strike all over Rajasthan.

In order to discuss these labour demands, the Secretary (PWD) convened a meeting on 12th June, 1957, It was decided in this meeting that a "Demands Enquiry Committee" may be set up, which would go into the question of these demands and submit its recommendations to the Government. This Committee was constituted by the Government in August, 1957 under the Chairmanship of Shri K. P. U. Menon. The Committee submitted its unanimous recommendations to the Government for consideration, which were accepted by the Government on 21-1-59 (Appendix 'A')

In the month of February, 1961 due to reasons best known to the federation, two parallel Executive bodies of the Federation were formed. The Government, therefore, in the Water Works and the Rajasthan State Electricity Board discontinued negotiations with the Federation. During this period of stalemate, when the Registration of the Federation was open to question, several unions placed charter of demands before the Government for consideration. Accordingly, the Government constituted a High Power Committee under the Chairmanship of Shri M. U. Menon, Addl. Chief Secretary. This Committee was required to look into the grievances of the workers in general and submit its findings to the Government.

The High Power Committee, keeping in view the Government decision on the recommendations of the "Demands Enquiry Committee", submitted its report to the Government. The Government issued an order on 24th August, 1961, meeting some of legitimate demands of the workers (Appendix 'B')

The 'Rastriya Bijli Nal KaramChari Union', Jaipur, being dissatisfied with the Government order dated 24th August, 1961, threatened to go on strike, with effect from the 21st September,

1961. The Chief Minister very kindly intervened and constituted a Sub—Committee of the Cabinet Ministers, consisting of P. W. Minister, Labour Minister and the Home Minister, to consider the representation of the "Rastriya Bijli Nal karamchari Union".

On the recommendation of the Sub-Committee, the Government further granted certain further facilities to the workers of the Rajasthan State Electricity Board and Water Works Department, which are summarised below :

(i) accumulation of privilege leave from 30 days to 60 days ;

(ii) grant of uniforms to the workers oth hn those covered by Factories Act ;

(iii) making eligible non-Matriculates to the grades prescribed in respect of Matriculates.

(iv) grant of casual leave to work-charged staff after 2 years of service instead of 3 years.

A Government order in this behalf was issued on 9th December, 1961 (Appendix 'C')

Simultaneously another federation in the name of "Prantiya Vidyut Jal Mazdoor Federation was registered on 3-8-61 with the Registrar of Trade Unions, Rajasthan. The "Prantiya Vidyut Jal Mazdoor Federation claimed recognition under the Code of Discipline which was granted by the Chief Engineer [Health] on 12.9.62 and Chief Engineer [Rajasthan State Electricity Board] on 5.11.62. The Government has been meeting the Federation thereafter to consider their problems and to review the progress of the implementation of the Government orders.

The meetings convened by me between 23rd August, 1963 and 25th August, 1963 were in fact a continuation of the series of meetings reviewing the implementation of Government decisions

It will, therefore, be observed that the Government has accepted many important demands of labour, relating to the codification of service conditions grant or provident fund; supply of uniforms and fixation of employaes in the revised pay scales

etc. pending since a very long time. These benefits have been to extended all the labour throughout Rajasthan.

The other departments under my charge are the Government Printing & Stationary, the P. W. D. and the Rajasthan State Roadways. as pointed out above. In the case of these department also, the Goyernment has tried to satisfy the legitimate demands of the workers and have extended benefits to the workers in general, after meeting the labour organisations.

PRINTING PRESSES.

In the case of Government Printing Presses, there is only one federation namely "Rajasthan Rajya Mudranalaya Karamchari Federation" duly recognised by the Government a nd the Government has been meeting the federation for various demands sponsored by it (Appendix 'D')

P. W. D.

In the case of P. W. D., there fs a federation known as Rajasthan P. W. D. Workers Federation. It placed its demands before the Government in the year 1957, which were duly considered by the Government in 1959 and orders issued, meeting some of their demands (Appedix 'E'). Thereafter, the Ajmer Division P. W. D. Employees Union, Jaipur approached to the Government with some more demands, which were also considered by the Government and the Government orders issued in this connection are at (Appendix 'F. I to F. V')

It has been brought to my notice that since 1957 the P. W. D. Workers' Federation has not put up any fresh demands to the Government. It is understood that they have forwarded their fresh demands only on the 16 August, 1963 and the matter has already been taken up in conciliation by the Labour Department.

ROADWAYS.

In the case of Rajasthas State Roadways, there are two registered Trade Unions, functioning on Rajasthan basis, No union has been recognised by the Governmeni so far, under

the Code of Discipline. Demands in respect of one of the two registered Trade Union, namely the Rajasthan Rajya Roadways Karamchari Sangh, Jaipur, were pending for consideration before the Government. The Government has considered some of these demands recently, in the meeting held on 24.8.63 [Appendix 'G']. The other union, namely the State Roadways Workers' Union, Jaipur had sponsored nearly 17 demands before the Labour Department, which were admitted in conciliation. The Conciliation Officer recommend only one demand, relating to night-halt allowauce to workers, for consideration by the Government. This demand has been met with now, to a considerable extent.

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक १२ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	३	बैण्क म. पू. २.३३	बैठक म. प. २.३३
३	अन्तिम से २	(नांवा)	(नावां)
४	१७	(लूणकणसार)	(लूणकरणसर)
६	शीर्षक	–११ सितम्बर	–१२ सितम्बर
१०	१३ पंक्ति के बाद	————	अस्थाई अध्यापकों की नियुक्ति एवं परीक्षा में बैठने के नियम–
,,	१७	उच्चस्तर	उच्चत्तर
१५	अन्तिम से ३	श्री श्योपतिसिंह	श्री श्योपतसिंह
१७	२,२०,२४, २८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
२६	२	श्री गोकलप्रसाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
२७	शीर्षक	१२ सितम्बर, ७३	१२ सितम्बर, ६३
३७ से ३८ तक	,,	प्रश्नोत्तर तारांकित–१२ सितम्बर, ६३–प्रश्नोत्तर तारांकित	तारांकित प्रश्नोत्तर–१२ सितम्बर, ६३–तारांकित प्रश्नोत्तर
३८	१८	इन्डस्टीज	इन्डस्ट्रीज़
४४	३	वद	वेद
४७	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिह)
५१	शीर्षक	सतम्बर,	सितंम्बर
५३	शीर्ष	(श्री श्योपतसिंह)	(श्री श्योपतसिंह)

१	२	३	४
५५	२	ढानि	ढाणी
६४	शीर्षक	शामलत	शामलात
६५ से ८० तक	शीर्षक	प्राइमरी शिक्षा विधेयक, ६३–१२ सितम्बर, ६३–शामलात कमेटियां विधेयक, ६३	शामलात कमेटियां–१२ सितम्बर, ६३–विधेयक, १९६३
७१	१०	बडे वडे	बड़े बड़े
७४	७	इम्पूवेबल	इम्मूवेबल
८०	१०	पवं	एवं
,,	१५	(ग्रमेडमेन्ट)	(ग्रमेन्डमेन्ट)
८१	शीर्षक	–११ सितम्बर,	–१२ सितम्बर,
,,	२०	शिपट	शिफ्ट
८२	१८	एग्रीकल्वरल	एग्रीकल्चरल
,,	ग्रन्तिम से ५	गंगानगर	गंगानगर
,,	,, ,, ३	रेशनलाइज्ड	रेशनलाइज़्ड
८७	शीर्षक	सतम्बर	सितम्बर
,,	,,	(संशोवन)	(संशोधन)
,,	२	सार्ब्सस्टेंस	सब्सिस्टेंस
,,	११	इरेगुलर	इर्रेगुलर
८८	१	में	मैं
९३	शीर्ष	(श्री सतिशचन्द्र ग्रग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल)
९५	शीर्षक	(संवोधन) विधेयक	(संशोधन) विधेयक
९९	शीर्ष	(श्री सतिशचन्द्र ग्रग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल)
१०३	ग्रन्तिम से १०	हयुमेनीटीज	हयुमेनिटीज़
१०५	६	सुवारू	सुचारू

१	२	३	४
१०७	अन्तिम से ८	दिलात्ता	दिलाता
१०६	शीर्षक	कृर्ष	कृषि
११२	१०	पतिनिधित्व	प्रतिनिधित्व
११७	१३	सलेक्ट	सिलेक्ट
११८	१५	आचाय	आचार्य
११६	शीर्ष	(श्री मानिकवन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१२८	अन्तिम से ५	सुगणा	सुराणा
१३४	१६	रिकॉग्नाइज़	रिकॉग्नाइज़
१३५	शीर्ष	(श्री रामकिशन)	(श्री रामकिशन)
,,	१६	स्ववर्णों	सवर्णों
,,	१७	नाम हा	नाम हो
१४६	२४	युनिवर्सिटी	युनिवर्सिटी
१५६	अन्तिम से ३	परिस्भिति	परिस्थिति
१६३	शीर्षक	सितम्बर	सितम्बर
,,	शीर्ष	(श्री मथुरेश बिसारी)	(श्री मथुरेशबिहारी)
१६७	१४	मुकरर्र	मुकर्रर
१७१ से १७२ तक	शीर्षक	कृषि विश्व विद्यालय-१२ सितम्बर, ६३-विधेयक, १६६३	कृषि विश्व विद्यालय-१२ सितम्बर, ६३-प्रायमिक शिक्षा विधेयक
१७२	११	श्री केसरीसिंह	श्री केसरीसिंह
१७३	शीर्षक	प्राथमिक शिक्षा विधेयक-१२ सितम्बर, ६३-कृषि विश्वविद्यालय विधेयक १६६३	कृषि विश्व विद्यालय-१२ सितम्बर, ६३-विधेयक, १६६३
१७७	शीर्ष	(श्री मानसिंह महार)	(श्री मानसिंह महार)
१८१	६	D rector	Director

१	२	३	४
१८६	अन्तिम से १०	झुन्झुनु	झुन्झुनू
१८७	शीर्ष	(श्रीं मार्नसिह)	(श्री मानसिंह)
१६३	२०	यूयिर्वसिटी बनाथा	यूनिर्वसिटी बनाया
१६५	१२,१७	लढ्ढा	लड्ढा
,,	१६	कांरण	कारण
२०१	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड़ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
२०८	१०	राठोड़	राठौड़
२०६	११	जौधसिंह चौहान	जोधसिंह चौहान
·१०	अन्तिम से ४	एबं	एवं
२१५	,,	परिशिष्ठ	परिशिष्ट